मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2018–19

मंत्री	–	श्री जयर्वधन सिंह
प्रमुख सचिव	–	श्री संजय दुबे
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	–	श्री गुलशन बामरा
आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश	–	श्री राहुल जैन
आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल	–	सुश्री करलिन खोंगवार देशमुख
सचिव	–	श्री राजीव शर्मा
उप सचिव	–	श्री मनीष सिंह
उप सचिव	–	श्री शुभाशीष बनर्जी
वित्तीय सलाहकार	–	डॉ. सुषमा दुबे

प्रस्तावना

नगरीय विकास एवं आवास विभाग का वर्ष 2018–19 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018–19
–: विषय सूची :–

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विभागीय संरचना	1
2.	विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय एवं संस्थाएं	1
3.	विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम	1
4.	विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	2
5.	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	4
6.	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	36
7.	राजधानी परियोजना प्रशासन	48
8.	राज्य नगर नियोजन संस्थान	54
9.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल	62
10.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	77
11.	परिशिष्ट	80

विभागीय संरचना

1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग की प्रशासनिक संरचना निम्नानुसार हैः–

1.1 राज्य मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर प्रमुख सचिव के अधीन एक सचिव, दो उप सचिव, एक अवर सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार पदस्थ हैं।

2. विभाग के अधीनस्थ प्रमुख कार्यालय/संस्थाएं

(1) संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास।
(2) संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश।
(3) राजधानी परियोजना प्रशासन।
(4) राज्य नगर नियोजन संस्थान।
(5) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल।
(6) मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम।

3. विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम

3.1 राज्य शासन द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को निम्नांकित अधिनियमों के प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है :–

(1) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956
(2) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961
(3) पशु अतिचार अधिनियम, 1971 (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(4) विदिशा (भेलसा) रामलीला विधान, 1956
(5) सिंहस्थ मेला अधिनियम, 1955
(6) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(7) स्लाटर ऑफ एनीमल्स एक्ट (जहां तक कि वह नगरीय स्थानीय क्षेत्रों मे लागू है)
(8) मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984
(9) मध्यप्रदेश गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976
(10) मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और पथ पर विक्रय का विनियमन अधिनियम, 2011
(11) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973
(12) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
(13) मध्यप्रदेश आवास नियंत्रण अधिनियम, 1961
(14) मध्यप्रदेश भूमि उपयोग विनियमन अधिनियम, 1948
(15) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972
(16) मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 1976
(17) मध्यप्रदेश नगर तथा परिक्रमा नियंत्रण अधिनियम, 1960
(18) मध्यप्रदेश अर्जन अधिनियम, 1948
(19) अचल संपत्ति (अधिग्रहण तथा अर्जन) अधिनियम, 1952
(20) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012
(21) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975

4. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

विभाग के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :–

(1) पट्टे के दस्तावेजों के वितरण की प्रगति का परिवीक्षण

(2) नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन अर्थात नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद एवं अन्य विभागों को न सौंपे गए निकायों से संबंधित समस्त विषय

(3) यात्रियों पर सीमा कर को छोड़कर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किए गए कर का प्रशासन

(4) मध्यप्रदेश चुंगी प्रतिकर निधि का प्रशासन

(5) नगरीय क्षेत्रो में कांजी हाउस और उनमे पशु अतिचार की रोकथाम

(6) नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के प्रबंध के अधीन बाजार और नगरीय क्षेत्रों में मेले

(7) नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता

(8) विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाओं की प्रगति का परिवीक्षण एवं गंदी बस्ती निवारण एवं सुधार से संबंधित योजनाएं

(9) नगरीय महायोजनाओं और उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों में संशोधन

(10) नगरीय क्षेत्रो में गरीबों के लिए आवास नीतियों का निर्धारण तथा समन्वयन। गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका परिवीक्षण करना

(11) विभाग से संबंधित सेवाओं में नियुक्तियां, पदस्थापना, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, सेवा निवृत्ति वेतन, प्रतिनियुक्तियां, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां एवं दण्ड तथा अभ्यावेदन से संबंधित कार्यवाही

(12) UIDSSMT, IHSDP, DAY-NULM, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल/अधोसंरचना विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

(13) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन

(14) नगरीय निकायों के कर्मचारियों की पेंशन, परिवार कल्याण एवं समूह बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन

(15) स्वच्छ भारत मिशन

(16) म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का प्रशासन

(17) म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का प्रशासन

(18) म.प्र. मेट्रो रेल कंपनी का प्रशासन

(19) मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का प्रशासन

(20) शहरी यातायात एवं परिवहन का प्रशासन

(21) प्रदेश के शहरों में संवहनीय लोक परिवहन एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना

(22) शहरी अधोसंरचना

(23) शहरी गरीबों के लिये आवास

(24) शहरी पेयजल

(25) आग की रोकथाम

(26) शहरी सुधार कार्यक्रम

(27) मल–जल शोधन संयंत्रों की स्थापना में निकायों को सहयोग
(28) ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण
(29) प्राकृतिक जल स्त्रोतों का संरक्षण
(30) नगर विकास योजना तैयार करना
(31) शहरी गरीबों का कौशल उन्नयन
(32) नगर तथा ग्राम निवेश
(33) वास्तुकला
(34) नगरीय विकास
(35) राज्य की नगरीय गृह निर्माण नीति से संबंधित समस्त विषय तथा नगरीय गृह निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वय
(36) आवास स्थान को भाड़े या उप–भाड़े पर देना जिसमें उसका अर्जन तथा अधिग्रहण सम्मिलित है।
(37) कामन पूल के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन तथा प्रशासकीय अनुमोदन
(38) राजधानी परियोजना तथा उसके प्रशासन से संबंधित समस्त विषय

———————

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास

भाग – एक

विभागीय संरचना

विभाग के अंतर्गत आयुक्त के अधीन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का विभागाध्यक्ष कार्यालय गठित है।

1. संभागीय कार्यालय

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधीन संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक के कार्यालय इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं शहडोल में गठित हैं। संभाग स्तर पर नगरीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन और उनकी परियोजनाओं के पर्यवेक्षण के लिये अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री पदस्थ हैं।

2. राज्य शहरी विकास अभिकरण

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शहरी गरीबों के कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये विभागीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में ''राज्य शहरी विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अभिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं।

3. जिला शहरी विकास अभिकरण

नगरीय निकायों में गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यो के पर्यवेक्षण के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी जिलों में जिला शहरी विकास अभिकरण गठित हैं। इन अभिकरणों में विभाग द्वारा परियोजना अधिकारी पदस्थ किये गये हैं।

4. विभाग के अंतर्गत गठित संचालनालय, उसके संभागीय कार्यालयों और जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिए स्वीकृत अमले का विवरण **परिशिष्ट–एक** पर है।

5. नगरीय स्थानीय निकाय

प्रदेश में कुल 408 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	निकाय की श्रेणी	संख्या
1	नगरपालिक निगम	16
2	नगरपालिका परिषद	98
3	नगर परिषद	294
	योग	408

5.1 प्रदेश में गठित नगरीय स्थानीय निकायों की जिलेवार सूची **परिशिष्ट–दो** पर है।

————————

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन

1. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए विभागीय बजट में कुल रूपये 1708968.00 लाख का प्रावधान किया गया था, उक्त प्रावधान के विरूद्ध मार्च, 2019 तक कुल रूपये 1252374.00 लाख का व्यय किया गया है।

2. उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि में से **आयोजना** मदों तथा **आयोजनेतर** मदों में मदवार/योजनावार व्यय की जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट–तीन (एक)** एवं **परिशिष्ट–तीन (दो)** पर है।

3. विभागीय बजट में आयोजना मद के अन्तर्गत मुख्य रूप से केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय अंशदान प्राप्त अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं बाह्य वित्त पोषित योजनाएं संचालित है ।

4. राज्य आयोजना की प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिए आर्थिक कल्याण योजना, युवा स्वाभिमान योजना तथा शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु मास रेपिड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम सर्वे हेतु बजट रखा गया है।

5. राज्य शासन द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को अन्य संस्थाओं से प्रदाय किए गए ऋणों की प्रतिभूति के विरूद्ध पुर्नभुगतान की व्यवस्था बजट में की गई है।

6. आयोजनेतर मद में मुख्य रूप से नगरीय निकायों को भुगतान किए जाने वाले चुंगी क्षतिपूर्ति/यात्री कर क्षतिपूर्ति, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए देय अनुदान आदि तथा संचालनालय एवं उसके संभागीय कार्यालयों के वेतन भत्तों के लिये प्रावधान किए गए हैं।

भाग–तीन

राष्ट्रीय, राज्य एवं बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

(अ) राष्ट्रीय योजनाएं

1. स्मार्ट सिटी मिशन

1.1 भारत सरकार द्वारा 25 जुलाई 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की गाईडलाईन जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रतिस्पर्धा के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाना था। स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्वेश्य शहरों का समुचित विकास, आर्थिक सुधार तथा नागरिकों की जीवन शैली में सुधार तथा क्षेत्रीय विकास है।

1.2 शहरों के लिये 100 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति शहर के मान से कुल 500 करोड़ रूपये तथा इतनी ही राशि राज्य शासन को मिलाये जाने का प्रावधान है।

1.3 भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार प्रथम चरण में प्रदेश के 16 नगर निगमों को प्रतिस्पर्धा हेतु आमंत्रित किया गया था तथा गाईडलाईन में जारी प्रावधान अनुसार 7 शहरों का चयन किया गया, जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर का चयन हुआ।

1.4 उक्त सातों शहरों ने भारत सरकार द्वारा जारी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया तथा प्रथम चरण की 20 शहरों की सूची में प्रदेश के सर्वाधिक 3 शहर भोपाल, इन्दौर एवं जबलपुर का चयन किया गया।

1.5 भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के द्वितीय चरण में उज्जैन एवं ग्वालियर शहर का चयन किया गया तथा प्रतिस्पर्धा के तृतीय चरण में जून 2017 में सागर एवं सतना शहरों का चयन किया गया।

1.6 स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एंव मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन किया गया है तथा शहर स्तर पर भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन में दिये गये निर्देशानुसार स्पेशल परपस वेहिकल्स (एसपीवी) का गठन किया गया है। एसपीवी के अध्यक्ष जिले के कलेक्टर, कार्यपालक संचालक नगर निगम के आयुक्त तथा प्रत्येक शहर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) भी नियुक्त किये गये हैं। एसपीवी अर्न्तगत अन्य मनोनीत अधिकारियों में चीफ प्लानर, चीफ फॉयनेंस ऑफिसर, प्रबंधक ई गवर्नेन्स अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी तथा अधीक्षण यंत्री आदि को शामिल किया गया है।

1.7 प्रदेश के अन्तर्गत कुल रू. 23,000.00 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई गई है इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं (अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल, स्वच्छ भारत मिशन आदि) से कन्वर्जंस किया गया है।

1.8 स्मार्ट सिटी मिशन का क्रियान्वयन सुनियोजित कार्ययोजना अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मार्च 2019 तक–125 प्रोजेक्ट लागत रु. 2373.70 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। 267 प्रोजेक्ट लागत रु. 8887.60 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 79 प्रोजेक्ट लागत रु. 7408.84 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.9 भोपाल स्मार्ट सिटी

1.9.1 **स्मार्ट स्ट्रीट लाईट पोलः—** भोपाल स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 690 करोड़ का अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत 400 इंटेलिजेन्टस पोल, 21,000 एलईडी आधारित एनर्जी एफीस्यिंट एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये जा रहे हैं। इस कार्य हेतु नगर निगम को कोई राशि व्यय नही करना होगी तथा कम्पनी द्वारा 47 करोड़ की राशि नगर निगम को भुगतान किया जायेगा। कम्पनी द्वारा उपरोक्त विवरण अनुसार 20400 खम्बों को ऑप्टिकल फाईबर द्वारा जोड़ा जायेगा तथा कम्पनी उक्त केबल को अन्य कम्पनियों को लीज पर दे सकेगी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को इन खम्बों पर विज्ञापन लगाये जाने के अधिकार भी होगें। मार्च 2019 तक 20,700 स्ट्रीट लाईट को एलईडी लाईट में बदला जा चुका है तथा 150 स्मार्ट पोल लगाये जा चुके हैं।

1.9.2 **पब्लिक बाईक शेयरिंगः—** इसके अन्तर्गत 75 साईकल स्टेशन बनाये गये हैं। जिसमें प्रत्येक डॉकिंग स्टेशन पर 10 साईकल उपलब्ध रहेगी। इसके लिये 5 मीटर चौड़ा एवं 12 कि.मी. लम्बाई के साथ बीआरटीएस के साथ—साथ निर्माण किया गया है। अभी तक 400 साईकल आ चुकी है तथा 40,000 से अधिक नागरिकों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है।

1.9.3 **कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः—**भोपाल स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत यह देश का प्रथम कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। भोपाल स्मार्ट सिटी को ''इन्नोवेटिव आईडियाज'' श्रेणी में कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर हेतु भारत सरकार से अवार्ड प्राप्त हुआ है। उज्जैन एवं जबलपुर स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किया जा चुका है तथा अन्य 4 शहरों में कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु भोपाल स्मार्ट सिटी को नोडल सिटी बनाया गया।

1.9.4 **इन्क्यूबेशन सेंटरः—**भोपाल स्मार्ट सिटी द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर—''बी नेस्ट''प्रारंभ किया जा चुका हैं। जिसका उददेश्य नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। इसके माध्यम से रोजगार हेतु कौशल विकास के लिए मंच प्रदान किया जा रहा हैं। वर्तमान मे 35 से अधिक स्टार्ट—अप पंजीकृत है।

1.9.5 **धरोहर संरक्षण (Heritage Conservation)**:— सदर मंजिल के धरोहर संरक्षण का प्रथम चरण फसाड अपलिफ्टमेंट पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर हैं।

1.9.6 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development)** :— इसके अन्तर्गत 342 एकड़ भूमि में पुर्नविकास किया जाना हैं, इस हेतु स्मार्ट सिटी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर नोटीफिकेशन जारी किया जा चुका है।

1.9.7 भोपाल स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा कियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः—

मिशन अंतर्गत 25 प्रोजेक्ट लागत रू. 1305.88 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 41 प्रोजेक्ट लागत रू. 1729.75 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। 6 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 3139.68 करोड़ की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.10 इन्दौर स्मार्ट सिटी

1.10.1 **सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट—**अंतर्गत शहर के दस ट्रासंफार्मर पर सोलर पेनल लगाये जाकर लगभग 1.5 मेगावॉट ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।

1.10.2 **बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट**–चोइथराम सब्जी मण्डी में बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट स्थापित कर सीएनसी उत्पन्न की जाकर बसों के संचालन में उपयोग की जा रही है।

1.10.3 **स्मार्ट रोडः–** इन्दौर स्मार्ट सिटी एरिया में दो रोड़ सेक्शन को स्मार्ट रोड़ बनाने के लिये अनुबंध किये जा चुके हैं। योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। ABD क्षेत्र में स्मार्ट रोड के निर्माण के साथ एक Bridge का निर्माण किया जाना है। प्रोजेक्ट की समयावधि 03 वर्ष और लागत लगभग 172 करोड़ है।

1.10.4 **धरोहर संरक्षण (Heritage Conservation)**:–राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, होल्कर छत्री आदि स्मारकों के धरोहर संरक्षण का कार्य प्रगति पर है।

1.10.5 **रिवर फ्रंट डेवलपमेंटः**– कान नदी के संरक्षण, संवर्धन एवं सफाई की कार्यवाही प्रगति पर हैं। नदी के आसपास पार्क निर्माण, आठ क्षेत्रों में 3.9 कि.मी. लंबाई का कार्य प्रचलन में हैं।

1.10.6 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development)** :–इंदौर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 742 एकड़ भूमि पर पुर्नविकास एवं रेट्रोफिटिंगमॉडल अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास किया जाना हैं। क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

1.10.7 इन्दौर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–इन्दौर शहर के 48 प्रोजेक्ट लागत रू. 173.71 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। इन्दौर शहर के 109 प्रोजेक्ट लागत रू. 3142.42 करोड़ के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। इन्दौर शहर के 36 प्रोजेक्ट लागत रू. 3175.63 करोड़ की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.11 जबलपुर स्मार्ट सिटी

1.11.1 **Waste-to-Energy Plant**:–जबलपुर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिक प्राईवेट पार्टनशिप (पीपीपी) के आधार पर रू. 178 करोड़ का अनुबंध किया गया है, जिसके अन्तर्गत शहर का समस्त ठोस अपशिष्ट का संग्रहण कर बिजली बनाये जाने का कार्य प्रांरभ हो चुका है तथा प्रतिदिन 11.7 मेगावॉट बिजली का उत्पादन प्रांरभ हो गया है।

1.11.2 **RFID (Radio Frequency Identification) Tagging** के द्वारा कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को हाईटेक किया गया है। डस्टबिन एवं कंटेनर में आरएफआईडी टेग लगाया जाकर रियल टाईम कचरा प्रबंधन किया जा रहा हैं। 2 लाख RFID Tagging की जा चुकी है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 6.5 करोड़ हैं।

1.11.3 **इन्क्यूबेशन सेंटरः**–जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा इन्क्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा चुका है, जिसका उददेश्य नवीन विचारों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करना है। इसके माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल विकास के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है।

1.11.4 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development)** :– इसके अन्तर्गत चयनित एजेंसी द्वारा क्षेत्र आधारित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही पूर्ण की जाकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।

1.11.5 **जबलपुर स्मार्ट सिटी** – एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः– जबलपुर शहर के 23 प्रोजेक्ट लागत रू. 391.23 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। जबलपुर शहर के 36 प्रोजेक्ट लागत रू. 519.29 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। जबलपुर शहर के 11 प्रोजेक्ट लागत रू. 192.77 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.12 उज्जैन स्मार्ट सिटी

1.12.1 **ई–रिक्शा** के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करते हुए यातायात प्रबंधन का कार्य किया गया हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1.5 करोड़ है।

1.12.2 **बाईक शेयरिंग** के द्वारा Non Motorized Transport एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का कार्य किया गया हैं। 100 साईकल प्राप्त की जा चुकी है।

1.12.3 **बॉयोमेथेनाईजेशन प्लांट**–इसके अंतर्गत सब्जी मण्डी आदि से प्राप्त जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। प्लांट की केपेसिटी 5TPD एवं इसकी लागत 1.74 करोड़ रूपये है।

1.12.4 **कमांड एंड कंट्रोल सेंटरः**–उज्जैन स्मार्ट सिटी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रारंभ किया जा चुका है। इसके माध्यम से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, फायर आदि सेवाओं को जोड़ा गया है।

1.12.5 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD)** हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। पेन सिटी अंतर्गत Public Mobility, Smart Classes आदि की कार्यवाही चल रही है। मास्टर प्लान तैयार करने एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही प्रगति पर है।

1.12.6 उज्जैन स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–उज्जैन शहर के 15 प्रोजेक्ट लागत रू. 187.60 करोड के पूर्ण किये जा चुके है। उज्जैन शहर के 28 प्रोजेक्ट लागत रू. 1431.47 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। उज्जैन शहर के 2 प्रोजेक्ट लागत रू. 92.05 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.13 ग्वालियर स्मार्ट सिटी

1.13.1 **क्षेत्र आधारित विकास (Area Based Development-ABD)** हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट कंसलटेंट का चयन किया जाकर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है एवं मास्टर प्लान के अनुरुप चैन्ज इन लैण्ड यूज़, भूमि विकास नियम आदि में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन मे है।

1.13.2 **पेन सिटी** अंतर्गत लेडीज पार्क, शिवाजी पार्क एवं नेहरु पार्क पुर्नविकास का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

1.13.3 **Rain Water Harvesting- Phase I** अंतर्गत शहर के शासकीय भवनों आदि मे Rain Water Harvesting System लगाये जा चुके हैं एवं Phase II अंतर्गत शहर की बावड़ियों में RHS लगाने की कार्यवाही प्रचलन मे है।

1.13.4 **One City One App** अंतर्गत शहर की नगरीय सेवाओं एवं सुविधाओं को समस्त नगरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु One City One App एप्लीकेशन बनाया गया है।

1.13.5 **स्मार्ट क्लास रूम (Smart Class Room- Phase I)** अंतर्गत शहर के 37 स्कूलों में स्मार्ट तरीके से विद्यार्थीयों को शिक्षा सुलभ कराई जा रही है। जिसमें विद्यार्थियों को कन्टेंट हिन्दी व अंग्रेजी में ऑनलाईन व ऑफलाईन उपलब्ध कराया गया है।

1.13.6 **मल्टीलेवल पार्किगं**– शहर में 24 स्थानों पर मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किगं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.13.7 ग्वालियर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा क्रियान्यवित किये जा रहे प्रोजेक्टस की जानकारी निम्नानुसार हैः–ग्वालियर शहर के 14 प्रोजेक्ट लागत रू. 315.28 करोड के पूर्ण किये जा चुके हैं। 30 प्रोजेक्ट लागत रू. 685.09 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। ग्वालियर शहर के 18 प्रोजेक्ट लागत रू. 600.41 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है।

1.14 सागर स्मार्ट सिटी

सागर स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा 39 प्रोजेक्टस लागत 1526.59 करोड के क्रियान्यवित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से सागर शहर के 12 प्रोजेक्ट लागत रू. 1051.83 करोड के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। 27 प्रोजेक्ट, अनुमानित लागत रू. 474.47 करोड़ की डीपीआर बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

1.15 सतना स्मार्ट सिटी

सतना स्मार्ट सिटी एसपीवी द्वारा 37 प्रोजेक्टस लागत 1367.4 करोड के क्रियान्यवित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से सतना शहर के 11 प्रोजेक्ट लागत रू. 327.75 करोड के कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। 6 प्रोजेक्ट लागत रू. 208.30 करोड की निविदा प्रक्रिया मे है एवं 20 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत रू. 831.35 करोड़ की डीपीआर बनाई जाना प्रक्रिया में है।

2 अमृत मिशन

2.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 को एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में अधोसंरचना विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का शुभारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों तथा धार्मिक महत्व एवं नदी तट पर स्थित ओंकारेश्वर को सम्मिलित किया गया है।

2.2 मिशन के अंतर्गत प्राथमिक रूप से शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेष रूप से गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा।

2.3 प्रदेश में मिशन शहरों के अंतर्गत नागरिकों की सुविधा के लिए अमृत मार्गदर्शिका के अनुसार विभिन्न सेवा स्तरीय बेंच मार्क को प्राप्त किया जाना है।

2.4 अमृत परियोजना के घटकों में क्षमता निर्माण, शहरी सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का विवरण निम्नानुसार है :—

2.5 जलापूर्ति

2.5.1 प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति (135 LPCD) उपलब्ध कराना।

2.5.2 मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जलापूर्ति प्रणाली।

2.5.3 शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।

2.5.4 विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिए जलाशयों का पुर्नरूद्धार।

2.6 सीवरेज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट

2.6.1 प्रत्येक परिवार को जल—मल निस्तारण के लिये सीवेज कनेक्शन सुलभ हो ।

2.6.2 मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियाँ।

2.6.3 पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापना।

2.6.4 लाभकारी प्रयोजन के लिये शोधित जल का पुर्नचक्रण एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

2.6.5 मल गाद प्रबंधन, कम लागत पर सफाई, परिवहन एवं शोधन।

2.6.6 सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

2.6.7 सीवरेज परियोजनाओं को लागू करने में विशिष्ट घटकों जैसे–ऊर्जा उत्पादन, सोलर सेलों का उपयोग (जिससे अनुरक्षण एवं प्रबंधन व्यय में कमी की जा सके) ।

2.7 लोक परिवहन सुविधा को बढ़ावा देना

2.7.1 गैर मोटरीकृत परिवहन (एन.एम.टी.) के लिये फुटपाथ, फुट ओव्हर ब्रिज का निर्माण।

2.7.2 बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण।

2.7.3 द्रुत बस परिवहन प्रणाली (BRTS)

2.8 वर्षा जल नालों का विकास

2.8.1 बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों एवं वर्षा जल नालों का निर्माण एवं सुधार।

2.9 हरित क्षेत्र एवं सुव्यवस्थित पार्कों का विकास

2.9.1 बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिए अनुकूल विशेष प्रावधानों के साथ हरित क्षेत्र एवं पार्कों का विकास, प्रबंधन के साथ पार्कों का निर्माण एवं उन्नयन।

2.9.2 पार्क में बच्चों के खेलने के लिये झूले आदि की व्यवस्था।

2.9.3 नागरिकों को पार्क भ्रमण के लिये वाकिंग ट्रेक (पाथ वे) का निर्माण।

2.9.5 निकाय को स्थानीय निवासी भागीदारी के साथ रखरखाव हेतु प्रणाली की स्थापना करना।

2.10 वित्तीय प्रबंधन

2.10.1 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 33 प्रतिशत, राज्यांश : 50 प्रतिशत, निकाय अंश : 17 प्रतिशत।

2.10.2 वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरीय निकायों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.3 अधोसंरचना विकास के हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण घटक हेतु सभी मिशन शहरों के लिये

केन्द्रांश : 50 प्रतिशत, राज्यांश : 40 प्रतिशत, निकाय अंश : 10 प्रतिशत।

2.10.4 अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं उनकी प्रगति का विवरण **परिशिष्ट–चार** पर है

3. प्रधानमंत्री आवास योजना

3.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का शुभारंभ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है, इस योजना के अंतर्गत (भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के सहयोग से) शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना है।

3.2 योजनातंर्गत शहरी गरीबों को निम्न 4 घटकों के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जानी हैः–

- "स्व स्थाने" स्लम पुर्नविकास ("In Situ" Slum Redevelopment).
- क्रैडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम् से किफायती आवास (Affordable Housing through Credit Linked Subsidy).
- भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership).
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी (Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction)

3.3 नगरीय निकाय अथवा राज्य की अन्य निर्माण एजेंसियां उक्त चारों में से एक या एक से अधिक सभी विकल्पों पर योजना तैयार कर सकती है।

3.4 योजना अंतर्गत निम्नलिखित आय वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाना हैः–

- आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,000 तक।
- निम्न आय वर्ग के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 3,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 6,00,000 तक।
- मध्यम आय वर्ग–1 के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 6,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 12,00,000 तक।
- मध्यम आय वर्ग–2 के लिये परिवार की वार्षिक आय राशि रू. 12,00,001 से अधिक एवं राशि रू. 18,00,000 तक।

3.5 योजना अंतर्गत निम्नानुसार हितग्राहियों को वित्तीय सहायता दिया जाना हैः–

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
1	"In-Situ" Slum Redevelopment with participation of private developers using land as a resource.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) हितग्राहियों को राशि **रू. 1.00** लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल भूमि उपलब्ध कराई जाती है।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
2	Affordable Housing through Credit Linked Subsidy.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) एवं निमन आय वर्ग (LIG) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 6.00 लाख तक के गृह ऋण पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 9.00 लाख तक के गृह ऋण पर 4. 00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)	–	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग–1 (MIG-1) और मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2)

क्रं.	योजना के विकल्प	केन्द्रांश	राज्यांश	पात्र हितग्राही
		मध्यम आय वर्ग–2 (MIG-2) के लिए हितग्राही को 20 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए राशि रू. 12.00 लाख तक के गृह ऋण पर 3.00 प्रतिशत ब्याज अनुदान (Interest Subsidy)		
3	Affordable Housing in Partnership with Public & Private sectors.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	केवल मलिन बस्तियों में निवासरत हितग्राहियों के लिएः राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
4	Subsidy for Beneficiary-Led Individual House Construction.	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) आय–वर्ग के हितग्राहियों को राशि रु. 1.50 लाख प्रति आवासीय इकाई	राशि रु. 1.00 लाख प्रति आवासीय इकाई	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)

3.6 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को योजना में सम्मिलित किया गया है।

3.7 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 378 शहरों के हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन (HFAPOA) भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य, मंत्रालय को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

3.8 प्रदेश के समस्त 378 शहरों की 1,274 परियोजनाओं में कुल 7,18,922 आवासीय इकाई जिनमे 6,51,976 आवासीय इकाई EWS श्रेणी के, 48,708 आवासीय इकाई LIG श्रेणी के एवं 18,238 आवासीय इकाई MIG-1/MIG-2 श्रेणी के कुल लागत लगभग राशि रू. 37,500 करोड़ की भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 37,050 हितग्राहियों को योजना के CLSS घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

3.9 योजनांतर्गत भारत सरकार से राशि रू. 4,972.74 करोड़ प्राप्त हो चुकी है, जिसमें राज्यांश सम्मिलित करते हुए कुल राशि रू. 7,235.59 करोड़ निकायों को आवंटित की जा चुकी है।

3.10 स्वीकृत योजनाओं में CLSS को सम्मिलित करते हुए लगभग 2.25 लाख आवासीय इकाईयां का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष इकाइयों पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

3.11 इस योजना अंतर्गत प्रदेश में यह प्रयास किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों के साथ कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए भी आवासीय इकाईयों का निर्माण किया जाये, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के सामाजिक स्तर में भी सुधार तथा निर्मित किये जाने वाले परिसर का संचालन, संधारण भी नियमित रूप से हो सके। मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए निर्मित की जा रहीं आवासीय इकाईयों से होने वाले आय से आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के हितग्राहियों को भी क्रॉस सब्सिडी के विकल्प को भी ध्यान में रखा गया है।

3.12 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भवन एवं संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिको को राशि रु. 1 लाख तक अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

3.13 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को भूखण्ड/आवास उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदाय करने के लिये मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लिये आवास गारंटी अधिनियम, 2017 जारी किया गया है ।

3.14 योजना अवधि में कुल 11.52 लाख आवासों का निर्माण किया जाना लक्षित है।

4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) मध्यप्रदेश

4.1 भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नगरीय स्वच्छता को उन्नत करने के लिये स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया है। जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं :–

4.1.1 खुले में शौच से मुक्त करना

4.1.2 हाथ से मैला उठाने वाले की प्रथा समाप्त करना

4.1.3 शहरी ठोस अपशिष्ट का आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रबंधन

4.1.4 स्वच्छता प्रयासों के संबंध में व्यवहारिक बदलाव लाना

4.1.5 स्वच्छता हेतु लोगों को जागरूक करना एवं लोक स्वास्थ्य से जोडना

4.1.6 नगरीय निकायों के क्षमतावर्धन बनाना

4.1.7 कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (संचालन और संधारण) में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाना

निर्धारित लक्ष्य		
क्र.	**विवरण**	**वर्ष 2014–2019 तक अनुमानित भौतिक लक्ष्य**
1.	व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण	7,31,971
2.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	1200
3.	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण (1 सीट/25 महिलायें एवं 1 सीट/35 पुरूष के मान से)	500
4.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	378
5.	क्षमतावर्धन	378
6.	जन–जागरूकता एवं सूचना, शिक्षा–संप्रेषण	378

4.2. व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण :–

4.2.1 **परिभाषा** :–व्यक्तिगत शौचालय से आशय ऐसे शौचालय जो एक परिवार के सदस्यों के उपयोग को उनके आवास सीमा में निर्मित किये जाये, व्यक्तिगत शौचालयों के रूप में नामांकित किये जायेगे।

4.2.2 **वित्तीय प्रावधान** :–योजना की इकाई लागत के लिये निम्नलिखित वित्तीय प्रावधान होंगे :–

(राशि रु. में)

क्र	इकाई लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंशदान	हितग्राही अंशदान
1	13600.00	4000.00	6880.00	1360.00	1360.00

प्रगति :– वर्ष 2018–19

क्र	निकायों की संख्या	व्यक्तिगत शौचालय	
		कुल स्वीकृत	कुल निर्मित जून माह तक
कुल	378	653227	544000

- राज्य को स्वच्छ करने के संकल्प अंतर्गत 02 अक्टूबर 2017 को समस्त 378 नगरीय निकाय खुले में शौच की समस्या से मुक्त हेतु क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी है।

4.3 सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का निर्माण :–

4.3.1 **परिभाषा** :–सामुदायिक शौचालय से आशय ऐसे शौचालय से है, जिन्हें गंदी बस्ती क्षेत्रों, अल्प आय वर्गों को लक्षित कर तैयार किया गया है एवं उसके उपयोगकर्ता अधिकतम गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासी हों, सामुदायिक शौचालय के रूप से नामांकित किये जायेगें। नगरीय निकायों को प्रस्ताव के साथ इस हेतु प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

4.3.2 **वित्तीय प्रावधान :–सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं:–**

स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान अंतर्गत प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) केंद्रांश अधिकतम राशि रु. 39200.00 के प्रावधान हैं। इस आधार पर अधिकतम प्रति सीट (डब्ल्यू.सी.) लागत निम्नानुसार होगी। प्रति सीट राशि से अधिक व्यय की स्थिति में वित्तीय भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा:–

क्र.	निकाय	केन्द्रांश	राज्य शासन अनुदान	निकाय अंशदान
1	नगर परिषद	39200.00	32500.00	6500.00
2	नगरपालिका परिषद	39200.00	32500.00	6500.00
3	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर को छोड़कर)	39200.00	29250.00	9750.00
4	नगर निगम (भोपाल एवं इन्दौर के लिये)	39200.00	26000.00	13000.00

प्रगति :–

क्र.	स्वीकृत शौचालय की संख्या	वर्ष 2019 तक निर्मित सीट	स्वीकृत सीट का निर्माण शेष
1	24233	17301	6932

4.3.3 राज्य स्तर पर भ्रमणशील जन सामान्य जैसे:–तीर्थ यात्री आदि के लिये मोबाईल टायलेट नगरीय निकायों को प्रदान किये गये है जिसके अंतर्गत कुल 118 इकाई मोबाईल टॉयलेट प्रदान कर नदियों एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्यवाही की गयी है। जिससे खुले में शौच की समस्या को स्थाई रूप से समाप्त किया जा सके।

4.4 **सूचना, शिक्षा, संप्रेषण तथा प्रचार–प्रसार** :– स्वच्छ भारत मिशन के विहित प्रावधानों के अनुसार जन सामान्य के स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रावधान किये गये है। जैविक कचरे को स्थानीय स्तर पर कम्पोस्ट तैयार करने के लिये पृथक्कीकृत कचरा एकत्र करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है जिससे नाडेफ के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाकर किसानो को उपलब्ध कराया गया है। स्वच्छता को जन आंदोलन से जोड़ने के लिय रहवासी संघों, स्कूली छात्र–छात्राओं, व्यापारी संघों एवं स्थानीय रहवासियों को साथ

लेकर स्वच्छता का वातावरण तैयार किया गया है। जिसमें स्थानीय रहवासियों का व्यापक सर्मथन प्राप्त हुआ है। स्थानीय नागरिकों में स्वच्छता की भावना के विकास के लिये मैराथन दौड़ का आयोजन एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्वच्छता की स्थिति को संवहनीय बनाने के लिये स्वच्छता ग्रहियों की नियुक्ति निकाय स्तर पर की गई, साथ ही स्थानीय ब्रांड एम्बेसडर बनाकर स्वच्छता का नेतृत्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया। निकाय स्तर पर नागरिकों को प्रेरित कर स्वच्छता श्रमदान की गतिविधियों को संचालित किया गया। निकायों को नेतृत्व देने का परिणाम यह निकला कि नगरों में स्वच्छता के प्रति संवेदनशीलता दिखाई गई है।

जन सामान्य के व्यवहार हेतु सभी नगरीय निकायों को सूचना शिक्षा संप्रेषण के प्रचार–प्रसार, व्यवहार परिवर्तन हेतु नगरीय निकायों को राशि रू. 59.00 करोड़ प्रदान किये गये है। जिसके सकारात्मक परिणाम स्थानीय स्तर पर दिखने लगे है।

4.5 विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट कार्य योजना

राज्य में क्षेत्रीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य योजना अंतर्गत राज्य की सभी नगरीय निकायों को समेकित कर 26 क्षेत्रीय इकाईयां गठित करते हुये जन निजीभागीदारी आधारित परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 26 में से कुल 11 इकाईयों पर निविदा का चयनित किये जा चुके है, साथ ही अन्य ईकाई योजनाओं के क्रियान्वन हेतु जन निजी भागीदारों द्वारा वित्तीय संस्थानों से ऋण न मिल पाने के कारण रूचि नही ली जा रही है। परिणामस्वरूप जन निजी भागीदारी आधारित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य योजना के समान्तर रूप से वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु शेष नगरीय निकायों के लिये "विकेन्द्रीकृत ठोस अपशिष्ट कार्य योजना" पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक नगर का कचरा निकाय में ही वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य का अनुदान योजना लागत का 58.3 प्रतिशत होगा।

4.6 फीकलस्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन नीति

''जल का अधिकार'' प्रत्येक जीवधारी का नैसर्गिक अधिकार है। आने वाली पीढी के लिये प्राकृतिक जल स्त्रोतों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु सेप्टिक टेंक से निकलने वाले स्लज एवं तरल अपशिष्ट प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में एक है। जनगणना–2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की नगरीय जनसंख्या 2.02 करोड है। इसके आधार पर राज्य में लगभग 40 लाख परिवार निवास करते है, इनमें से केवल 20 प्रतिशत परिवार सीवर नेटवर्क से जुडे हुये हैं, जबकि 52 प्रतिशत परिवार सेप्टिकटेंक व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित है। इन 52 प्रतिशत परिवारों के सेप्टिकटेंक से निकलने वाला फीकलस्लज एवं सेप्टेज के प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था नही है। परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं भू–जल स्त्रोत के प्रदूषित होने की संभावना है। उक्त विषय केवल नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विनियमित नही किया जा सकता, अपितु अन्य विभागों को भी नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है। इस कारण राज्य के लिये फीकलस्लज एवं सेप्टेज प्रबंधन के लिये राज्यव्यापी नीति तैयार किया जाना अनिवार्य है।

5 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

5.1 दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है।

5.2 यह योजना वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के 80 शहरों में चरणबद्ध प्रक्रिया से निम्नानुसार क्रियान्वित की जा रही है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	जनसंख्या	प्रदेश के शहर
प्रथम चरण वर्ष अक्टूबर 2013 कुल 55 निकाय :–		
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर
2	05 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3	03 लाख से 05 लाख	सागर
4	01 लाख से 03 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतूल, दतिया, इटारसी, नागदा, पीथमपुर, डबरा
5	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ़, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सिहोर, मण्डला, रायसेन, पन्ना, बड़वानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ़, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर
द्वितीय चरण वर्ष 2017–18 में सम्मिलित 15 निकाय :–		
6	50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहर	मण्डीदीप, आष्टा, सिरोंज, गंजवासौदा, गोहद, सेंधवा, गाडरवाडा, मैहर, बीना, खुरई, जावरा, राघोगढ–विजयपुर, मकरोनिया, शुजालपुर, सारणी
तृतीय चरण वर्ष 2018–19 में सम्मिलित 10 निकाय :–		
7	35 हजार से 50 हजार की जनसंख्या वाले 10 निकाय	अम्बाह (मुरैना), ब्यावरा (राजगढ), पिपरिया (होशंगाबाद), पांदुरना (छिन्दवाडा), धनपुरी (शहडोल), सिहोरा (जबलपुर), नवगांव (छतरपुर), सनावद (खरगोन), बडनगर (उज्जैन) एवं मलाजखंड (बालाघाट) में योजना के 03 घटकों यथा–सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों के लिए सहायता को लागू किया गया है।
कुल निकाय		**80**

5.3 मिशन के प्रमुख घटक निम्नानुसार है :–

5.3.1 **सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास :** इस घटक के अंतर्गत राज्य स्तर पर एक त्रिस्तरीय संगठनात्मक संरचना परिकल्पित की गयी है। इसके अंतर्गत जहां बस्ती स्तर पर स्व–सहायता समूह बनाए जायेंगे वहीं 10–20 स्व सहायता समूह आपस में मिलकर क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) तथा 10–20 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन मिलकर एक नगर स्तरीय फेडरेशन (City Level Federation) का गठन करेंगे। इस संघीय संरचना से बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, ऋण, मूल्यांकन, हितग्राहियों की पहचान एवं भागीदारी तथा समूहों के निर्माण में सहायता मिलेगी। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्त्रोत संगठनों का चयन किया गया है। इन कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक शहर में शहरी आजीविका केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन केन्द्रों का संचालन समुदाय आधारित संस्थाओं, एनजीओ, स्व–सहायता समूह के फेडरेशन आदि के द्वारा होगा। वर्ष 2018–19 में 5945 स्व सहायता समूहों का गठन, 5179 स्वसहायता समूहों को आवर्ती निधी एवं 2869 स्वसहायता समूहों का बैंक लिंकेज कराया गया है। साथ ही 329 क्षेत्र स्तरीय फेडरेशन (Area Level Federation) का गठन किया गया है।

5.3.2 कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार : इस घटक के अंतर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षणों के द्वारा उन्नत रोजगार से जोडा जाएगा। घटक के उद्देश्य पूर्ति हेतु निम्नानुसार गतिविधियॉ संचालित की जाएंगी :

- बाजार की मांग के अनुसार दक्षता की कमी का विश्लेषण तथा रोजगारोन्मुख व्यवसायों की सूची तैयार करना।
- गरीब तथा कमजोर वर्गों के अकुशल प्रशिक्षणार्थियों का चयन।
- प्रशिक्षण संस्थाओं का पारदर्शी तरीके से चयन।
- पाठ्यक्रम निर्धारण।
- प्रमाणीकरण।
- प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा 12 माह तक सतत् संपर्क।
- प्रशिक्षण की अवधि न्यूनतम 200 घण्टे की होगी।

वर्ष 2018—19 में 45624 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया है एवं 42348 का प्रमाणीकरण एवं 30420 प्रशिक्षणार्थियों का नियोजन किया गया है।

5.3.3 स्वरोजगार कार्यक्रम : इस घटक के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं समूह उद्यम के लिए ऋण द्वारा वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा।

- व्यक्तिगत (रूपये 2.00 लाख) एवं समूह (रूपये 10.00 लाख अधिकतम) ऋण पर बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर की जगह मात्र 7 प्रतिशत ब्याज दर देय होगी तथा शेष ब्याज का वहन योजनांतर्गत किया जाएगा। महिला स्व—सहायता समूहों को बैंक लिंकेज कराने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाएगा। ऋण अवधि 5—7 वर्ष के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम के द्वारा 18 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राहियों की पहचान नगरीय निकायों के द्वारा प्रस्तावित है। हितग्राहियों को 3—7 दिन तक उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (EDP) प्रदान किया जायेगा।

वर्ष 2018—19 में 14393 हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण आवंटित किया गया है।

5.3.4 क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण : इस घटक के अंतर्गत राज्य तथा निकाय स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा, जिसमें राज्य स्तर पर 06 प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाएगा तथा निकाय स्तर पर 02—04 प्रबंधक जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 5 तथा निकाय स्तर पर 102 प्रबंधक कार्यरत हैं।

5.3.5 शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता : इस घटक में पथ विक्रेताओं की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा, कौशल उन्नयन (1—2 दिन के प्रशिक्षण), बैंक लिंकेज एवं ऋण सुविधा, पहचान—पत्र, विक्रेता हेतु सुनिश्चित स्थान आदि सुविधाओं से लाभांवित किया जाएगा। इस घटक पर आवंटन की 5 प्रतिशत तक राशि व्यय की जा सकेगी तथा प्रशिक्षण पर प्रतिव्यक्ति अधिकतम रूपये 750.00 का व्यय किया जा सकेगा।

5.3.6 शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना : इस घटक के अंतर्गत सामुदायिक आश्रय भवन का निर्माण कर बेघर लोगों के (50—100 व्यक्तियों के लिए) रहने का स्थान एवं मूलभूत सुविधायें (किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन आदि) उपलब्ध करायी जायेगी। आश्रय भवन सभी मिशन नगरों में रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, मण्डी, अस्पताल आदि के समीप निर्मित किया जाएगा। इन भवनों एवं सुविधाओं का संचालन एवं प्रबंधन, इस कार्य हेतु गठित प्रबंधन समिति/पूर्ण कालिक कर्मचारियों/अन्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में एक लाख से अधिक

जनसंख्या वाले 51 शहरों में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिये 133 आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में आवश्यक सुविधायें जैसे – बिस्तर, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, टेलीविजन, समाचार पत्र, लाकर, सर्दी में कम्बल एवं अलाव आदि की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है। आश्रय स्थलों के संचालन एवं संधारण हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

6. छोटे एवं मझोले शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT)

6.1 भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में छोटे एवं मझौले शहरों के अधोसंरचनात्मक विकास के उद्देश्य से यूआईडीएसएसएमटी योजना प्रारंभ की गई है।

6.2 योजना के अंतर्गत परियेाजना लागत की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विरूद्व राज्यांश 10 प्रतिशत एवं निकाय अंश 10 प्रतिशत देय होता है।

6.3 योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन, उनके क्रियान्वियन, पर्यवेक्षण, अनुश्रवण से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन के लिये मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया गया है।

6.4 संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को यूआईडीएसएसएमटी योजना के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी मनोनीत है।

6.5 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2014 तक रू. 2849.36 करोड़ राशि की 114 नगरों की 179 परियोजनायें (पेयजल, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) स्वीकृत की गई है। इसमें से 117 परियोजनाओं (88 जलप्रदाय, 63 सड़क एवं 04 सीवरेज) का कार्य पूर्ण हो चुका है।

6.6 योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का शहरवार विवरण **परिशिष्ट–पांच** पर है।

(ब) राज्य योजनाएं

1. मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

1.1 वचनपत्र के वचन क्रमांक–2 (युवा सशक्तिकरण एवं खेल) की कण्डिका क्रमांक 2 ''युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में सक्षम बनाने सहभागिता राशि रूपये 4000.00 प्रतिमाह देंगे'' उक्त वचन की पूर्ति हेतु प्रदेश में दिनांक 22 फरवरी 2019 से शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ की गई है।

1.2 प्रदेश के शहरी क्षेत्रो में निवासरत 21–30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने एवं जीवनयापन की तात्कालिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्त योजना प्रारंभ की गई है।

1.3 योजना अंतर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए रूपये 4000.00 प्रतिमाह स्टाईपेंड पर नगरीय निकायो में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जायेगा।

1.4 पात्रता

1. युवा मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र का निवासी हो। 01 जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य हो।
2. परिवार की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
3. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड धारी न हो।

1.5 प्रगति

वर्तमान तक योजना में 396436 युवाओं का पंजीयन किया जा चुका है, जिसमे से कुल 61942 युवाओं को ऑनबोर्ड किया जा चुका है तथा कुल 18591 युवाओं का कौशल प्रशिक्षण आरंभ किया जा चुका है एवं 8057 युवाओं को बैंक के माध्यम से कुल राशि रू. 2.15 करोड़ स्टाईपेंड का भुगतान किया जा चुका है।

Total Registration (378 ULB)	Total On-Boarding (378 ULB)	Total Candidate Under Training	Total Candidates Eligible for Stipend	Total Payment Order Created of Amount (in Cr.)	Total Candidates whose Stipend send to bank for disbursal	Total Amount send to bank for disbursal (in Cr.)
400659	63837	21249	13279	4.425	10637	3.79

2. हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालकों के कल्याण की योजना, 2009

प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 58019 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। तथा प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

3. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाओं के कल्याण की योजना, 2009

शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई. टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में रू. 2,000.00 पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 72137 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

4. मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना, 2012

प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाल) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 से लागू की गयी है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 37052 हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। तथा प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

5. केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है। इस योजनांतर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 12290 हितग्राहियों को सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। तथा प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधायें भी प्रदान की जाती है।

6. मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना, 2017

शहरी गरीबों के शारिरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई–रिक्शा एवं ई–लोडर योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी। वर्तमान तक 1448 हितग्राहियों को ई–रिक्शा एवं ई–लोडर प्रदान किये गये हैं।

7. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन के अंत्योदय/प्राथमिक परिवार का सदस्य (पीडीएस कार्डधारी), पंजीकृत हाथठेला चालक एवं साईकिल रिक्शा चालक, पंजीकृत पथ विक्रेता, पंजीकृत केश शिल्पी एवं पंजीकृत शहरी घरेलू कामकाजी महिला हितग्राहियों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। रियोजना लागत का 15–50 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 50540 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

8. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

योजना अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50,000.00 से अधिक 10.00 लाख रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–30 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 25000.00 प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जाता है। योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान तक 50458 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

9. मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

यह योजना वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत राशि रूपये 50,000.00 से अधिक 2.00 करोड़ रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 15–20 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 07 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। वर्तमान तक 115 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

10. दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना

योजना प्रथम चरण में प्रदेश के 51 जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में व्यवसाय एवं श्रम कार्यों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब परिवारों का आगमन होता है। कार्य एवं व्यवसाय की तलाश में आने वाले गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था हेतु यहॉ वहॉ भटकना पड़ता है। साथ ही कई गरीब शहरी परिवारों को भी वर्तमान में सस्ते दर पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए इस योजना के माध्यम से स्वच्छ, सस्ता एवं पौष्टिक भोजन पॉच रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दोपहर के समय उपलब्ध कराया जा रहा है।

11. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

11.1 प्रदेश के शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना वर्ष 2012 से प्रांरभ की गई है। योजना के अंतर्गत 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 20 प्रतिशत एवं 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये परियोजना लागत का 30 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। शेष 80 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत नगरीय निकाय द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

11.2 निकायों द्वारा ऋण हुडको से लिया गया है, जिसकी प्रतिभूति राज्य शासन द्वारा राशि रू. 1000.00 करोड़ की प्रदान की गई है। इसी प्रकार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिये जाने हेतु भी राशि रू. 500.00 करोड़ एवं 260.24 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की गई है। इस प्रकार इस योजना हेतु कुल राशि रू. 1760.24 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में 153 नगरीय निकायों की कुल योजना राशि रू. 2091.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में 54 नगरों की पेयजल योजना के लिये अनुदान राशि रू. 132.25 करोड़, वर्ष 2013–14 में राशि रू. 90. 00 करोड़, वर्ष 2014–15 में प्रावधानित राशि रू. 139.00 करोड़ एवं वर्ष 2015–16 में राशि रू. 76. 00 करोड़, वर्ष 2016–17 में राशि रू. 106.92 करोड़ एवं वर्ष 2017–18 में राशि रू. 4.41 करोड़ नगरीय निकायों को जारी किया गया है। वर्तमान तक स्वीकृत 153 नगरीय निकायों में से 91 नगरीय निकायों का कार्य पूर्ण, 57 नगरीय निकायों में योजना का कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरीय निकायों में योजना के क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रचलित है विवरण **परिशिष्ट–छः** पर है।

12. मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना

12.1 प्रदेश के शहरों में अधोसंरचना विकास के लिये मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ की गई है। योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में सड़क एवं शहरी यातायात, सौंदर्यीकरण, सामाजिक अधोसंरचना विकास एवं उद्यान धरोहर संरक्षण का कार्य कराया जाता है।

12.2 योजना के अंतर्गत लागत की 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं शेष 70 प्रतिशत राशि की पूर्ति नगरीय निकायों द्वारा ऋण लेकर की जाती है, जिसमें ऋण का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा एवं शेष 25 प्रतिशत नगरीय निकायों द्वारा भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

12.3 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना का द्वितीय चरण भी रू. 1800.00 करोड़ का वर्ष 2016 में स्वीकृत हुआ है, जिससे वर्तमान तक 378 नगरीय निकायों को योजनांतर्गत शहरी अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए रूपये 1421.10 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। योजनांतर्गत 210 नगरीय निकायों को राशि रूपये 1139.24 करोड़ की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार डी.पी.आर. तैयार कराई जा रही है।

12.4 प्रदेश में शहरी अधोसंरचना विकास योजना के (द्वितीय चरण) अंतर्गत 14 नगरीय निकायों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें से अमरकंटक, मैहर, मुंगावली, सिंगरौली, चित्रकूट, गंजबासौदा, सीधी, गुना (भाग – 1 एवं 2), दतिया, चंदिया, रतलाम, पन्ना (भाग – 1 एवं 2) कुल 12 नगरीय निकायों का चयन कर लिया गया है। चयनित 12 नगरीय निकायों का कार्य प्रगति पर है। ओरछा एवं शिवपुरी नगरीय निकायों की डी.पी.आर का कार्य प्रगति पर है। मिनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत, नगरीय निकायों के लिए राज्य शासन से 20 प्रतिशत अनुदान तथा शेष 80 प्रतिशत ऋण म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा बैंकों से लिया जाकर उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित है। राज्य शासन द्वारा योजना के अंतर्गत कुल राशि रूपये 300.00 करोड़ प्रावधान किया गया है।

13. एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

13.1 इसके अंतर्गत प्रदेश की नगरीय निकायों को विभिन्न परियोजनाओं के लिये एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जाती है, जिसमें परियोजना की 70 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा एवं 30 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

13.2 एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 11 नगरीय निकायों की योजना राशि रू. 157.45 करोड़ की स्वीकृत की गई है तथा इन नगरीय निकायों को कुल राशि रू. 146.30 करोड़ मुक्त की जा चुकी है। 11 निकायों की जलप्रदाय योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विवरण **परिशिष्ट–सात** पर है।

14. विशेष निधि से वित्त पोषित नगरों की सीवरेज परियोजना

14.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने के दृष्टिगत सीवरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये वित्त व्यवस्था विशेष निधि के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है ।

14.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यो में 08 नगरों में मल जल निस्तारण की योजना प्रस्तावित है ।

14.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण एवं उपचार योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारे स्थित 7 नगर क्रमशः बुधनी, शाहगंज, नेमावर, अमरकंटक, डिण्डोरी, मण्डलेश्वर, ओंकारेश्वर एवं इनके अतिरिक्त मंदाकिनी नदी के शुद्धीकरण हेतु चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किया जा चुके हैं ।

14.4 परियोजना की कुल लागत रू. 215.00 करोड़ है ।

14.5 नर्मदा नदी के किनारे स्थित 07 नगर एवं चित्रकूट नगर सीवरेज परियोजनाओं में कार्य आरंभ किये जा चुके हैं ।

14.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है ।

(स) बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं

1. एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम

1.1 अन्य वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए 128 नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः जल प्रदाय तथा पर्यटन/धरोहर/धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 12 नगरों में सीवरेज व्यवस्था एवं उपचार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण सहायता लेते हुए मध्यप्रदेश नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

1.2 परियोजना के अंतर्गत कुल 128 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं है, जिसमें प्रथम चरण में 69 नगरों की जल प्रदाय योजनाएं तथा द्वितीय चरण में शेष 59 नगरों की जलप्रदाय योजनाएं ली जाएंगी। साथ ही परियोजना के प्रथम चरण में 4 नगरीय निकायों तथा द्वितीय चरण में 8 नगरीय निकायों की मलजल निस्तारण एवं उपचार योजनाएं प्रस्तावित है।

1.3 परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू. 5400.00 करोड़ अर्थात् 829 मिलियन यू.एस. डॉलर है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य तथा 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

1.4 एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त ऋणों के 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

1.5 योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 69 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 4 मलजल योजना की डीपीआर तैयार की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक से अनापत्ति प्राप्त कर 28 पैकेजों के अंतर्गत 69 नगरीय निकायों की जलप्रदाय एवं 4 मलजल व्यवस्था हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। इनमें 25 पैकेजों के कार्यादेश (कुल लागत लगभग रू. 2494.30 करोड़) साधिकार समिति सह कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरांत विभिन्न ठेकेदार फर्मो को जारी कर दिये गये है।

1.6 म.प्र. नगरीय सेवाओं का उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यो के पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए पी.एम.सी. (परियोजना प्रबंधन सलाहाकारिता फर्म) फर्म मेसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स लिमिटेड का चयन कर फर्म के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया है । फर्म के द्वारा अपना कार्यालय स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

1.7 कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अंतर्गत 59 नगरीय निकायों की जल प्रदाय योजना एवं 8 मलजल योजना के कार्य किये जाना है, जिसमें से 67 नगरीय निकायों की डी.पी.आर. तैयार की जा चुकी है एवं 61 नगरीय निकायों की योजना निविदा प्रक्रियाधीन है।

1.8 एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ दिनांक 19 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना का क्रियान्वयन म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

2. विश्व बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट परियोजना

2.1 नर्मदा एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों में शहरी सीवरेज से होने वाले प्रदूषण को रोकने की दृष्टि से सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एवं अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय स्त्रोतों से छूटे हुए नगरों की जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के वित्त पोषण (ऋण) से मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है।

2.2 परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित अधोसंरचना कार्यों में 7 नगरों में मल जल निस्तारण एवं उपचार तथा 5 नगरों में जलप्रदाय योजना प्रस्तावित है।

2.3 प्रस्तावित मल जल निस्तारण योजनाओं में नर्मदा नदी के किनारें एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 4 नगर क्रमशः भेड़ाघाट, नसरूल्लागंज, महेश्वर एवं धरमपुरी तथा 3 अन्य महत्वपूर्ण नगर क्रमशः शाजापुर, छिंदवाड़ा, शहडोल सम्मिलित है।

2.4 जल प्रदाय योजना बुरहानपुर, मुरैना, खरगौन, सेवढ़ा एवं श्योपुर कला में प्रस्तावित है ।

2.5 परियोजना की कुल लागत रू. 1080.00 करोड़ (166.00 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान एवं 70 प्रतिशत विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध होगा।

2.6 विश्व बैंक से प्राप्त ऋण का 75 प्रतिशत अंश एवं उसके ब्याज का पुर्नभुगतान राज्य शासन द्वारा तथा शेष राशि एवं ब्याज का पुर्नभुगतान संबंधित निकाय द्वारा किया जाएगा।

2.7 विश्व बैंक के साथ दिनांक 12 जून, 2017 को अनुबंध निष्पादित किया जा चुका है ।

2.8 बुरहानपुर और खरगौन नगर की जल प्रदाय योजना तथा छिंदवाडा, महेश्वर, नसरूल्लागंज एवं धरमपुरी नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है। शाजापुर सीवरेज योजना के कार्य का अनुबंध किया जाना है। भेड़ाघाट की सीवरेज योजना की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। शेष सभी योजनाओं की डी पी आर में विश्व बैंक के सुझावों के अनुसार संशोधन किये जा रहे है।

2.9 परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है।

3. केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वायरमेंट प्रोग्राम

3.1 प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने एवं पर्यावरण उन्नत करने के लिये सीवरेज परियोजनाओं का क्रियान्वयन केएफडब्ल्यू बैंक से वित्त पोषित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एण्ड एन्वार्यमेंट प्रोग्राम प्रस्तावित किया गया है।

3.2 योजना के अन्तर्गत नर्मदा नदी के किनारे एवं नर्मदा नदी को सीधे प्रभावित करने वाले 5 नगरों क्रमशः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, बड़वानी एवं सेंधवा में मल जल निस्तारण एवं उपचार प्रस्तावित है ।

3.3 परियोजना की कुल लागत रूपये 525.00 करोड़ (75 मिलियन यूरो) है। परियोजना में सम्मिलित नगरों को 30 प्रतिशत राज्य सरकार का अनुदान तथा 70 प्रतिशत केएफडब्ल्यू बैंक से ऋण उपलब्ध होगा ।

3.4 केएफडब्ल्यू बैंक के साथ दिसम्बर, 2017 को अनुबंध किया जा चुका है ।

3.5 होशंगाबाद, बड़वानी एवं सेंधवा नगर की सीवरेज योजना का कार्य प्रगति पर है तथा मंडला एवं नरसिंहपुर सीवरेज योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है।

3.6 योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमपेंट कंपनी के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जा रहा है ।

(द) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

1 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान

1.1 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिये दो प्रकार के अनुदानों की अनुशंसा की गई है, जो कि निम्नानुसार है :–

(1)	जनरल बेसिक ग्रांट	–	(वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक)
(2)	परफॉरमेंस ग्रांट	–	(वर्ष 2016–17 से 2019–20 तक)

1.2 वित्तीय वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से जनरल बेसिक ग्रांट की राशि रूपये 919.44 करोड़ प्राप्त हुई, जिसे नगरीय निकायों को उपलब्ध कराया गया है।

2 नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विशेष निधि

2.1 विभाग के बजट से विभिन्न मदों की राशि सामान्यतः नगरीय निकायों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार अर्जित पात्रता के आधार पर दी जाती है। इस कारण नगरीय निकायों को राज्य शासन द्वारा विशेष आवश्यकताओं, आकस्मिक प्रयोजनों एवं अपूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण करने के लिये राशि देने में कठिनाई होती थी। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष निधि का गठन किया गया है।

2.2 इस निधि के परिचालन के लिये ''म.प्र. के नगरीय क्षेत्रों में विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजनों के लिये राशि के उपयोग के नियम, 2006'' बनाये गये हैं।

2.3 वर्ष 2018–19 में माह मार्च तक इस निधि से विभिन्न विशेष प्रयोजनों के लिये राशि रूपये 33233.01 लाख नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।

3 मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष (MPUIF)

3.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में बड़ी अधोसंरचना विकास परियोजनाओ के चयन, उनके परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, ऐसी परियोजनाओं के लिए शासन सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बाजार से पूंजी की व्यवस्था करने आदि के प्रयोजन से म.प्र. शहरी अधोसंरचना कोष का गठन किया गया है।

3.2 राज्य मंत्रि–परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष का गठन भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अंतर्गत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16 मई, 2008 को हुआ है।

3.3 ट्रस्ट के अंतर्गत तकनीकी कार्यो के संचालन के लिए ''मध्यप्रदेश नगरीय अधोसंरचना एवं वित्तीय सेवायें मर्यादित'' का गठन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किये जाने की व्यवस्था रखी गई है।

3.4 कोष को भारत सरकार द्वारा लागू ''पूल्ड फायनेंस डेवलपमेंट फंड'' योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर साझा वित्त इकाई के रूप में नामांकित किया गया है।

3.5 विभाग द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट कंपनी के गठन हेतु तीन बार ऑफर बुलाये गये थे, परंतु कंपनियों द्वारा इसमें अपेक्षित रूचि प्रदर्शित नहीं की गई, इसे देखते हुए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में संपन्न बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में शत–प्रतिशत शासकीय अंशधारी कंपनी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

3.6 उपरोक्तानुसार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में दिनांक 01 जनवरी, 2015 को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया है।

4 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड

4.1 राज्य शासन की शत प्रतिशत अंश पूंजीधारित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया है।

4.2 मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेयरमेन तथा माननीय मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं मुख्य सचिव को कंपनी का वाइस चेयरमेन नियुक्त किया गया है।

4.3 आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का प्रबंध संचालक तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को कंपनी का अतिरिक्त प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है।

4.4 कंपनी के कार्यों को विस्तार देते हुए राज्य शासन द्वारा कंपनी को न केवल नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, बल्कि बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

4.5 नगरीय निकायों में बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं जैसे, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक तथा केएफडब्ल्यू इत्यादि द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार कंपनी के माध्यम से पेयजल, सीवेज परियोजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

4.6 इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कंपनी की 13 परियोजना क्रियान्वयन ईकाईयों का गठन किया जा रहा है।

4.7 स्मार्ट सिटी योजना हेतु चयनित नगरों में गठित स्पेशल परपज व्हीकल (SPV) कंपनियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड की Subsidary Company बनाया गया है।

5 मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी

5.1 राज्य शासन द्वारा प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहरों में मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार भोपाल तथा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड (PIB) द्वारा दिनांक 11.09.2018 को अनुमोदित किया गया एवं केन्द्रीय मंत्रि–परिषद् द्वारा दिनांक 03.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेट्रो परियोजना क्रियान्वित किए जाने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जा चुकी है:–

- माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मेट्रो कंपनी एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मेट्रो कंपनी की कार्यकारी समिति का गठन किया जा चुका है।
- भारत सरकार, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs-MoHUA) द्वारा जारी परियोजनाओं की स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के साथ भोपाल एवं इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं के स्वीकृति पत्रों दिनांक 30.11.2018 में प्रदर्शित परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था के अनुसार भोपाल मेट्रो परियोजना की लागत रू. 6941.40 करोड़ तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लागत रू. 7500.80 करोड़ है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कॉरीडोरों का जिनकी कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत एक रिंग कॉरीडोर जिसकी कुल लंबाई 31.55 किलोमीटर है का अनुमोदन अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 6.225 किमी, लागत – रू. 247.06 करोड़) तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सिविल पैकेज (Viaduct Length - 5. 290 किमी, लागत – रू. 228.96 करोड़) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु European Investment Bank (EIB) को तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के वित्त पोषण हेतु Asian Development Bank (ADB) तथा New Development Bank (NDB) को Pose किया गया है।
- भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु DB Engineering and Consulting GmbH in consortium with Louis Burger SAS & Geodata Engineering S.p.A. को जनरल कंसल्टेंट चयनित किया गया है।

5.2 भोपाल के लिए अनुमोदित मेट्रो परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

कॉरिडोर नंबर	**कॉरिडोर का विवरण**	**लगभग लम्बाई (किमी)**	**लगभग लागत (करोड़ में)**
Purple Line	करोंद चौराहा–भोपाल टॉकिज–रेल्वे स्टेशन–भारत टॉकिज–पुल बोगदा–सुभाष नगर अंडर पास–डी.बी. मॉल–बोर्ड ऑफिस चौराहा–हबीबगंज नाका–अल्कापुरी बस स्टेंड–एम्स	14.99	4406.57
Red Line	डिपो चौराहा–जवाहर चौक–रोशनपुरा चौराहा–मिंटो हॉल–लिली टॉकिज–जिंसी चौराहा–पुल बोगदा–प्रभात चौराहा–अप्सरा टॉकिज–गोविंदपुरा इन्डस्ट्रीयल एरिया–रत्नागिरी तिराहा	12.88	2534.83
	कुल	**27.87**	**6941.40**

5.3 इंदौर के लिए अनुमोदित मेट्रो परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

कॉरिडोर नंबर	**कॉरिडोर का विवरण**	**लगभग लम्बाई (किमी)**	**लगभग लागत (करोड़ में)**
Yellow Line	ननोद–सुपर कॉरिडोर–भंवरसाला चौराहा–एम.आर. टेन फ्लाईओवर–विजय नगर चौराहा–रेडिसन चौराहा–बंगाली चौराहा– पलासिया चौराहा– राजवाड़ा– बड़ा गणपति–कलानी नगर– एयरपोर्ट– ननोद	31.53	7500.80
	कुल	**31.53**	**7500.80**

5.4 परियोजना का वित्त पोषण निम्नवत होगा :–

स. क्र.	**परियोजना का नाम**	**कुल लागत**	**विभिन्न संस्थाओं का अंशदान/योगदान**			**रिमार्क**
			भारत सरकार	**राज्य सरकार/ MPMRCL (यथा प्रयोज्य)**	**बाह्य एजेंसी**	
1.	भोपाल मेट्रो रेल परियोजना	रू. 6941.40 करोड़	रू. 1164.44 करोड़	रू. 1843.62 करोड़	रू. 3493.34 करोड़ (EIB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component
2.	इंदौर मेट्रो रेल परियोजना	रू. 7500.80 करोड़	रू. 1276.36 करोड़	रू. 1955.33 करोड़	रू. 3200.00 करोड़ (ADB एवं NDB ऋण)	रू. 440.00 करोड़ PPP Component

6 प्रदेश के बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में शासन की पहल

6.1 प्रदेश के शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने एवं नवीन पार्किंग संस्कृति के विकास हेतु राज्य शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई।

6.2 प्रदेश के 04 जेएनएनयूआरएम मिशन शहरों यथा– भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन में Organized City बस सेवा संचालित है। प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में से 20 शहरों जिसमें भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं उज्जैन के साथ–साथ अन्य 16 प्रमुख शहरों यथाः– ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, भिंड, गुना, शिवपुरी एवं विदिशा में शहरीय एवं अर्तशहरीय सेवा संचालन का कार्य प्रचलित है।

6.3 प्रदेश के अमृत मिशन शहरों में 20 शहरों में से 17 शहरों (भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, सिंगरौली एवं छिंदवाड़ा) में शहरी एवं अंर्तशहरी मार्गों पर क्रमशः 488 बसे एवं 521 बसों (कुल 1009 बसें) के संचालन हेतु निविदाएं प्राप्त हुई है एवं बसों के संचालन की कार्यवाही की जा रही है।

6.4 प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु राज्य स्तरीय Dedicated Urban Transport Fund (S-DUTF) गठित किया जा चुका हैं। वर्ष 2018–19 में निम्नानुसार शहरों को राशि प्रदान की जा चुकी है :–

स.क्र.	शहर का नाम	राशि (करोड़ में)
1.	भोपाल	4.50
2.	इन्दौर	8.01
3.	जबलपुर	1.61
4.	उज्जैन	3.29
5.	छिंदवाड़ा	2.52
6.	गुना	1.35
7.	भिण्ड	1.11
8.	रतलाम	0.45
9.	रीवा	0..30
10.	सतना	0.24
11.	सिंगरौली	0.19
	कुल योग	**23.57**

6.5 DUTF में जो राशि जारी की गई है, उस राशि के विरूद्ध फुट ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, बस टर्मिनल, बस स्टेण्ड, पार्किंग, लोक परिवहन एवं यातायात को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रचार–प्रसार, आधुनिक तकनीकी संस्थापन जैसे– सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, जी.पी.एस., ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन तकनीकी, फुटपॉथ निर्माण आदि कार्य किये जा रहे हैं।

6.6 प्रदेश के शहरों में व्यवस्थित विज्ञापन प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा भूमि उपयोग, लोक परिवहन नियोजन एवं विज्ञापन प्रबंधन में समन्वय किये जाने हेतु शहरों के लिये विज्ञापन नियम एवं विज्ञापन कार्ययोजना तैयार की जा चुकी है।

6.7 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर देश के विभिन्न शहरों में से विश्व बैंक द्वारा GEF-5 अंतर्गत Modernization of Bus Service हेतु भोपाल शहर का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा राशि रूपये 13.20 करोड़ के अनुदान से भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड के माध्यम से संचालित बस सेवा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

6.8 विभाग के प्रस्ताव के आधार पर विश्व बैंक द्वारा Global Environment Facility (GEF) अंतर्गत इन्दौर शहर में BRTS कॉरिडोर पर Intelligent Transport System (ITS) संस्थान हेतु राशि रूपये लगभग 71.88 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।

6.9 प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में त्वरित एवं स्तरीय लोक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से Bus Rapid Transit System (BRTS) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे शहर की लोक परिवहन व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है एवं आम नागरिकों को स्तरीय लोक परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है।

6.10 प्रदेश के 20 शहरों में अमृत योजना के अंतर्गत बस सेवा संचालन के द्वारा बसों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए ITLS उपकरण (GPS, कैमरा, यात्री सूचना तंत्र एवं महिलाओं की सूचना के लिए पैनिक बटन इत्यादि) लगें होंगे एवं कन्ट्रोल कमाण्ड सेंटर द्वारा सभी बसों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। यात्री बस की टिकट ऑनलाईन माध्यम से भी खरीद सकेंगे, जिसके लिए विभाग द्वारा वेबसाईट एवं मोबाईल एप बनाने का कार्य प्रस्तावित है।

6.11 अमृत योजना के अंतर्गत बस सेवा संचालन हेतु सरकार द्वारा यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए हब एवं स्पोक शहरों में बस स्टेंड नवीनीकरण/उन्नयन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

6.12 प्रदेश के शहरों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु शहरों में पदस्थ ट्रंस्पोर्ट कंपनी के सी.ओ.ओ. (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) एवं नोडल अधिकारियों को समय–समय पर वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संचालनालय में प्रशिक्षण/कार्यशाला के माध्यम से शहरी परिवहन के संबंध में दिशा निर्देश एवं नवीन जानकारी प्रदाय की जाकर शहरी परिवहन के प्रभावी क्रियान्वयन को मूर्तरूप दिया जा रहा है।

6.13 भारत सरकार भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली द्वारा Faster Adoption of Manufacturing of (Hydbird &) Electric Vehicle in India (FAME India) योजना अंतर्गत जीवाश्म ईधन का उपयोग कम करने हेतु 10.00 लाख से अधिक अबादी वाले शहर में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर शहर का चयन किया गया।

6.14 प्रदेश के शहरीय लोक परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने एवं कार्बन फुटप्रिन्ट कम करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय इलेक्ट्रिक मोबलिटी पॉलिसी बनाया जाना प्रस्तावित है।

6.15 नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्डों पर रेलवे की भांति बसों के आने–जाने की उद्घोषणाा की व्यवस्था करेंगे।

6.16 प्रदेश के 05 महानगरों (भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन) में रात्रिकालीन सिटी बस प्रारंभ की जावेगी।

6.17 निःशक्तजनों के लिए बनाए गए अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत निःशक्तजनों के आवागमन को बाधारहित बनाने तथा नगरीय निकायों के अधीनस्थ बस स्टेण्ड पर उनके अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

6.18 शहरी लोक परिवहन के अन्तर्गत सचांलित सिटी बसों के मार्गों पर आने वाले बस स्टॉप पर दृष्टिबाधितों हेतु यातायात के सांकेतिक सिग्नल स्थापित किये जावेगें।

6.19 वर्ष 2018 में चिन्हित 21 ब्लैक स्पॉटों के परिशोधन की कार्यवाही पूर्ण की गई।

7 मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों को दी जाने वाली परफार्मेंस ग्राण्ट के लिये निर्धारित शर्त क्रमांक 6.4.9 के क्रियान्वयन के प्रयोजन से प्रदेश की नगरीय निकायों में संपत्ति कर के आरोपण/वसूली की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस संबंध में नगरीय निकायों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश प्रापर्टी टैक्स बोर्ड का गठन किया गया है।

8 शहरी सुधार कार्यक्रम

प्रदेश के नगरीय निकायों की प्रणाली में सुधार कर पारदर्शिता लाने तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने हेतु ''शहरी सुधार योजना'' लागू की गई है। जिसे परियोजना परीक्षण समिति द्वारा दिनांक 12.12. 2013 को स्वीकृति प्रदान की गई हे । योजना के अंतर्गत सम्मिलित प्रमुख घटक तथा उनकी प्रगति निम्नानुसार हैः–

1.	नगरीय निकायों की लेखा प्रणाली के संभूति आधारित द्विप्रविष्टि लेखा प्रणाली में परिवर्तन करना।	154 निकायों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 187 निकायों में कार्य प्रगति पर है। तथा शेष 37 निकायों में पुनः निविदायें आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।
2.	जीआईएस आधारित नक्शे तैयार कर संपत्तिकर के दायरे तथा वसूली में वृद्धि किया जाना।	1. 244 नगरीय निकायों में GIS आधारित मानचित्र का कार्य पूर्ण हो चुका है। 2. 49 नगरीय निकायों में संपत्ति सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 3. 195 नगरीय निकायों में कार्य प्रगति पर है। 4. 119 नगरीय निकायों के GIS कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है।

9 करों के संग्रहण हेतु प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को राजस्व संग्रहण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना प्रारंभ की गई है। तद्नुसार राजस्व संग्रहण के लिये नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषदों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिये प्रोत्साहन पुरूस्कार प्रदान किये जाते हैं ।

(इ) कर्मचारी कल्याण योजनाएं

1. नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

1.1 विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिये **मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पेंशन) नियम, 1980** बनाये गये हैं, जिसमें वर्णित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।

1.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास पदेन ''नियंत्रक पेंशन, स्थानीय निकाय'' नामांकित हैं। योजना के संचालन के लिये संचालनालय स्तर पर ''कंट्रोलर ऑफ पेंशन फार लोकल बाडीज मध्यप्रदेश'' के नाम से एक पृथक बैंक खाता खोला गया है, जिसमें पेंशन अंशदान की राशि जमा की जाती है।

1.3 योजना के संचालन के लिये वर्तमान में नगरीय निकायों द्वारा उनकी निकायों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमान का अधिकतम के 12 प्रतिशत की दर से अंशदान पेंशन निधि में जमा किया जा रहा है। साथ ही नगरीय निकायों को देय चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान से भी अतिरिक्त राशि काटकर पेंशन निधि में जमा की जा रही है।

1.4 प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान में नगरीय निकायों के कुल 15021 सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जिस पर रूपये 18.98 करोड़ प्रतिमाह वित्तीय भार आ रहा है।

1.5 नगरीय निकायों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपदान की राशि का भुगतान भी उपरोक्त निधि से ही किया जा रहा है।

1.6 वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के अंतर्गत पेंशन के कुल 1108 प्रकरण निराकृत किये गये हैं, जिसमें उपदान के रूप में रूपये 29.28 करोड़ का भुगतान किया गया है। साथ ही नियमित पेंशन भुगतान पर कुल रूपये 232.00 करोड़ का व्यय हुआ है।

1.7 वर्तमान में प्रदेश की नगरीय निकायों के पेंशनरों को भारतीय स्टेट बैंक की भोपाल स्थित शाखा लिंक रोड़–1 के माध्यम से पेंशन का नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। पेंशन वितरण की उक्त प्रक्रिया को और अधिक लाभदायक एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के Central Pension Proccessing Center के माध्यम से पेंशन वितरण करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक से अनुबंध निष्पादित किया गया है, जिसके अंतर्गत भी पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

1.8 प्रदेश के नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं रतलाम अपने अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये स्वयं के स्तर पर पेंशन योजना संचालन कर रहे हैं।

2. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (NPS)

2.1 विभाग द्वारा राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों के समान ही प्रदेश की नगरीय निकायों / अधीनस्थ कार्यालयों में दिनांक 01.01.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए ''परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना'' लागू की गई है।

2.2 योजना का संचालन संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत NSDL (National Securities Depository Limited) मुम्बई द्वारा संचालनालय के अधीनस्थ सभी संभागीय कार्यालयों / नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर परिषदों / जिला शहरी विकास अभिकरणों के लिये पृथक–पृथक DDO Registration Number आवंटित किये गये हैं।

2.3 अधीनस्थ कार्यालयों / नगरीय निकायों को आवंटित DDO Registration Number के अंतर्गत NSDL मुम्बई द्वारा सभी अधिकारियों / कर्मचारियों को Permanent Retirement Account Number (PRAN) आवंटित किये जा रहे हैं।

2.4 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1336 अधिकारियों / कर्मचारियों को PRAN आवंटित किये गये हैं एवं योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 6947 कर्मचरियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों को PRAN आवंटित हो चुके हैं, उनके संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों / नगरीय निकायों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके Data & Fund NSDL मुंबई को अंतरित किये जा रहे हैं।

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना, 2014

3.1 विभाग द्वारा प्रदेश के नगरपालिका सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 का पुनरीक्षण किया जाकर इसे अधिक लाभकारी बनाते हुए प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के समान ही मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवक कर्मचारी–बीमा–सह–बचत योजना अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है।

3.2 योजना का संचालन परिवार कल्याण निधि योजना, 1987 की भांति पूर्वानुसार ही संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत यूनिट के आधार पर अधिकारियों / कर्मचारियों को मासिक अंशदान देना होता है। इस योजना के अंतर्गत अंशदान तथा बीमा मूल्य निम्नानुसार है:–

अधिकारी / कर्मचारी की श्रेणी	यूनिट की संख्या	यूनिट का मूल्य	अंशदान की राशि	बीमा मूल्य	बीमा धन	बचत राशि
1	2	3	4	5	6	7
चतुर्थ श्रेणी	1	100	100	1,25,000	35	65
तृतीय श्रेणी	2	100	200	2,50,000	70	130
द्वितीय श्रेणी	4	100	400	5,00,000	140	260
प्रथम श्रेणी	6	100	600	7,50,000	210	390

3.3 योजना के अंतर्गत सदस्य कर्मचारी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर परिवार के नामांकित सदस्य/वैध उत्तराधिकारी को बीमा राशि के साथ–साथ बचत निधि में जमा राशि भी ब्याज सहित भुगतान की जाती है, परन्तु कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा त्याग पत्र देने पर उसे केवल बचत निधि में जमा राशि भुगतान की जाती है।

3.4 वित्तीय वर्ष 2018–19 में योजना के अंतर्गत कुल 833 प्रकरण स्वीकृत किये गये, जिनमें कुल राशि रूपये 4.70 करोड़ का भुगतान किया गया है।

4. सफाई कामगारों के लिए समूह बीमा योजना, 1988

4.1 प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत नियमित सफाई कामगारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा समूह बीमा योजना दिनांक 01.04.1988 से प्रारंभ की गई है।

4.2 वर्तमान में उक्त योजना के अंतर्गत प्रति हितग्राही रूपये 120.00 और राज्य शासन का अंशदान प्रति हितग्राही रूपये 360.00 वार्षिक निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सफाई कामगारों की सेवा में रहते हुए सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपये 50,000.00 और दुर्घटनाजनित मृत्यु पर रू. 1,00,000.00 सफाई कामगारों द्वारा नामांकित व्यक्तियों को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कुल 48 प्रकरणों में कर्मचारी की मृत्यु उपरांत नामांकित व्यक्तियों को कुल राशि रूपये 24.00 लाख का भुगतान किया गया है।

भाग–चार

अन्य प्रशासनिक विषय

1 विभाग एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन एवं प्रबोधन कार्यक्रम

1.1 74वें संविधान संशोधन में अंतर्निहित समावेशी शहरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समता मूलक अभिशासन आवश्यक है। प्रशिक्षण उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रभावी साधन है। इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करने के लिये विभाग के अंतर्गत स्वायत्तशासी राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान की स्थापना वर्ष 2013 में की गई है। साथ ही संस्थान का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दिनांक 12.09.2013 को किया गया है।

1.2 संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.12 हेक्टेयर भूमि राजा भोज अंतराष्ट्रीय एयरपोर्ट के समीप ग्राम–भौंरी में प्रदान की गयी है। वर्तमान में संस्थान को आवंटित की गयी भूमि पर प्रशिक्षण एवं आवासीय भवनों के निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है।

1.3 साथ ही राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक संस्थान ''अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट'' (UDI) नाम से विकसित किये जाने की कार्यवाही भी प्रचलित है। इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा अटल बिहारी बाजपेयी, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य अनुबंध (एमओयू) दिनांक 16 फरवरी, 2019 को संपादित किया गया है।

1.4 राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, नव नियुक्त लोकसेवकों, पूर्व से कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नगरीय विकास से सरोकार रखने वाली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वसहायता समूहों के लिये व्यवस्थित उन्मुखीकरण, परिचयात्मक एवं आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन विभागीय वार्षिक प्रशिक्षण पंचाग अनुसार किया जाता है।

1.5 संस्थान द्वारा 31 मार्च, 2019 की स्थिति में कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन स्थानीय सहयोगी प्रशिक्षण संस्थाओं यथा – आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, आपदा प्रबंधन संस्थान एवं अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान भोपाल के माध्यम से आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला/क्षेत्रीय स्तर पर संभागीय संयुक्त संचालकों के माध्यम से भी आयोजित किये गये हैं। आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहे प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग (प्रतिभागियों का स्तर)	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	नव निर्वाचित जन प्रतिनिधि	5	244
2.	नव नियुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी	2	60
3.	आयुक्त एवं प्रशासकीय अधिकारी	4	212
4.	सहायक यंत्री	1	34
5.	उपयंत्री एवं अन्य तकनीकी अधिकारी	6	394
6.	सहायक लेखाधिकारी	2	65
7.	नव नियुक्त स्वच्छता निरीक्षक	1	37
8.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	1	07
	कुल	**22**	**1053**

1.6 उपरोक्त प्रशिक्षणों में भारत सरकार द्वारा एकीकृत क्षमता संवर्धन परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित राष्ट्रीय संस्थानों में भी प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रतिभागियों के नामांकन किए जाकर प्रशिक्षित किया गया है।

1.7 पूर्व वर्ष की भॉति राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगर प्रबंध संस्थान द्वारा वर्ष 2019–20 के लिये विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं एवं नगरीय विकास एवं आवास से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभागीय प्रशिक्षण पंचाग तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए लगभग 3000 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य है। इस वर्ष के प्रशिक्षण पंचाग में नव नियुक्त लोकसेवकों एवं नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण में सम्मिलित किये जाने की कार्ययोजना है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

2.1 विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट भी प्रारंभ की गई है, जिसका यूआरएल www.mpurban.gov.in है। वेबसाईट पर विभाग द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आवश्यक जानकारी ''स्टेटिक'' और ''डायनेमिक'' रूप में उपलब्ध है।

2.2 ई–नगर पालिका

- म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (MAS)के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए विभाग द्वारा समस्त नगरीय निकायों मे ERP आधारित E-Nagar Palika एप्लीकेशन का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक ही Application पर लाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत नगरीय निकायों के द्वारा प्रदत्त समस्त नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। नागरिक Mobile App द्वारा भी समस्त नगरीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मांग कर सकते हैं। इससे निकायों में नागरिक सेवाओं की पारदर्शिता एवं दक्षता बढ़ी है।

- नगरीय निकायों की आंतरिक व्यवस्था को भी ई–नगर पालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण रुप से कम्प्यूटराईज्ड किया गया है। समस्त प्रकार के भुगतान डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किये जाने का प्रावधान हैं तथा समस्त भुगतान नेटबैंकिंग द्वारा किये जाने की सुविधा है। सभी निकायों को नागरिक से ऑनलाईन भुगतान प्राप्त करने हेतु Payment Gateway से जोड़ा गया है।
- निकाय अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के डाटा को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है।
- 1 अप्रैल 2018 से आज दिनांक तक कुल 239804 प्रकरणों हेतु राशि रुपये 4518 करोड़ के भुगतान विभिन्न ठेकेदारो/वेन्डरों को ऑनलाईन किये जा चुके हैं।

2.3 ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन एंड अप्रूवल सिस्टम (ABPAS)

- वर्तमान में प्रदेश के 378 निकायों मे नागरिकों को पारदर्शी तरीके से भवन अनुज्ञा जारी करने हेतु Automated Building Permission Approval System लागू किया गया है।
- इसके अन्तर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुये बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन ऑनलाईन स्वीकृत किये जाते हैं एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के प्रोसेस की जाती है। यहां तक की बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय भी मोबाईल एप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर, सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है।
- फीस मेमो सिस्टम द्वारा स्वतः ही शुल्क जनरेट किया जाता है तथा शुल्क भुगतान हेतु समस्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम स्वीकार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त 5153 मॉडल नक्शे सिस्टम में अपलोड किये गये हैं, जिसके द्वारा नागरिक अपनी भूमि के क्षेत्रफल एवं FAR के आधार पर स्वयं ही मॉडल ड्रॉईन का चयन कर ऑनलाईन भुगतान कर सकते है। इस प्रकार नागरिकों को वास्तुकार (आर्किटेक्ट) से नक्शा बनवाने की आवश्यकता नही है।
- प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूमि में वास्तुकार को भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियां प्रदान की गई है। आज दिनांक तक ABPAS द्वारा 104216 से अधिक भवन अनुज्ञा स्वीकृत की गई है।

3. वीडियो कांफ्रेसिंग

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास के प्रशासकीय भवन में विभाग का स्वयं का वीडियो कांफ्रेसिंग रूम विकसित किया गया है। नगरीय निकायों के अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों तथा संभागीय अधिकारियों से माह में दो बार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

4. ऑन लाईन फंड ट्रांसफर

4.1 प्रदेश स्तर से नगरीय स्थानीय निकायों को विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता मुक्त की जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं गति लाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था सशक्त रूप से लागू की गयी है। इस प्रक्रिया में नगरीय निकायों को मुक्त की जाने वाली विभिन्न मदों की राशि सीधे बैंकों के माध्यम से ''इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर'' द्वारा संबंधित निकाय के बैंक खाते में जमा कराई जाती है।

4.2 ऑन लाईन फंड ट्रांसफर की व्यवस्था प्रारंभ करने से राशि के अंतरण में लगने वाले धन तथा समय दोनों की बचत हुई है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में राशि निकाय के खाते में जमा हो जाती है। वर्तमान में कोषालय के माध्यम से भी राशि सीधे नगरीय निकायों के बैंक खातों में अंतरित हो रही है।

———————

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी जिसका मुख्यालय वर्तमान में ''पर्यावरण परिसर'' ई–5, अरेरा कालोनी भोपाल में स्वयं के भवन में दिनांक 23.9.2001 से कार्यरत है। विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं दायित्व नगरों को सुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से बसाने के लिये उनकी विकास योजनाएं तैयार करना है एवं एक नियमित अंतराल पर उस विकास योजना का नगर की जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षण करना एवं प्रादेशिक विकास योजना बनाना है। इस कार्य को संपादित करने के लिये विभाग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है:–

1.2 अधीनस्थ कार्यालय

वर्ष 1999 में जिला सरकार की अवधारणा एवं वर्ष 2000 में राज्य पुनर्गठन होने के पश्चात संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों को जिला कार्यालय में तब्दील किया गया, जिसके अनुसार वर्तमान में संचालनालय के अतिरिक्त 28 जिला कार्यालय जिसमें 7 संयुक्त संचालक कार्यालय, यथा– भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, 10 उप संचालक कार्यालय–होशंगाबाद, छिन्दवाड़ा, रतलाम सिंगरौली शहडोल,खण्डवा, सतना, नीमच, देवास, गुना एवं 11 सहायक संचालक कार्यालय– बैतूल, राजगढ़, विदिशा, कटनी, मण्डला, भिण्ड, छतरपुर, झाबुआ. अनूपपुर, श्योपुर, खरगौन वर्तमान में कार्यरत है ।

1.3 अमला

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के लिये स्वीकृत अमला निम्न तालिका अनुसार है–

स.क्र	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद
1.	आयुक्त सह संचालक / संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	01
2.	अपर संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	02
3.	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	11
4.	उप संचालक(नियोजन)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	15
5.	उप संचालक(सर्वे)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (सर्वे में योग्यताधारी)	02
6.	उप संचालक(रिसर्च)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	01
7.	उप संचालक(स्था)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (विभागीय सेवा)	01
8.	सहायक संचालक(योजना)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (नियोजन में योग्यताधारी)	26
9.	सहायक संचालक (सर्वे / प्रोजेक्ट)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (सर्वे / प्रोजेक्ट में योग्यताधारी)	07
10.	सहायक संचालक (रिसर्च)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (रिसर्च में योग्यताधारी)	05
11.	सहायक संचालक(स्था)	द्वितीय श्रेणी (विभागीय सेवा)	01
12.	लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	प्रथम श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
13.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01

14.	संपरीक्षक(आडीटर) (प्रतिनियुक्ति से)	द्वितीय श्रेणी अधिकारी (वित्त सेवा का)	01
15.	सूचना प्रोद्योगिक अधिकारी(प्रोग्रामर)	संविदा सेवा पर	01
16.	सहायक सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी	संविदा सेवा पर	02
17.	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	45
18.	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	50
19.	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	73
20	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	40
21.	वरिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	21
22.	कनिष्ठ भू–मापक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	30
23.	वरिष्ठ रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
24.	रिसर्च सहायक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
25.	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	26
26.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–1 (स्टाफ आफिसर)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	02
27.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–2 (निज सचिव)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	04
28.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 (निज सहायक)	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	11
29.	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	22
30.	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
31.	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
32.	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	25
33.	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	46
34.	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	66
35.	स्टोर कीपर	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	10
36.	कोडर / केडआपरेटर / फोटोग्राफर / मॉडलर / सहा. मॉडलर / कलाकार / नीलमुद्रक के पदो को डाइंग केडर घोषित कर इनकी सेवा निवृत्ति के बाद कम्प्यटूर अपरेटर के नवीन पद	डाईंग केडर घोषित होने के बाद कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर संविदा सेवा नियुक्ति	41
37.	ग्रन्थपाल	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	01
38.	दफ्तरी	तृतीय श्रेणी कर्मचारी	13
39.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी कर्मचारी–12 संविदा पर 09	21
40.	प्रेसमेन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	02
41	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29
42.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–57 संविदा सेवा पर–41	98

43.	चैनमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–28 संविदा सेवा पर–06	34
44.	वाटरमैन	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
45.	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभागीय सेटअप का 2012 में पुनरीक्षण किया जाकर विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत 525 पदो के स्थान पर 836 पद स्वीकृत किये गये हैं।

1.4 विभाग के अंतर्गत आने वाली संस्थायें

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय, नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी आते हैं, जिनका गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत किया गया है। जो वर्तमान में निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

नगर विकास प्राधिकारी		विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी	
1	भोपाल विकास प्राधिकरण	1	ग्वालियर, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ग्वालियर काउंटर मेग्नेट)
2	इंदौर विकास प्राधिकरण	2	पचमढ़ी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3	ग्वालियर विकास प्राधिकरण	3	खजुराहो (पर्यटन क्षेत्र) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
4	जबलपुर विकास प्राधिकरण	4	महेश्वर–मंडलेश्वर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
5	उज्जैन विकास प्राधिकरण	5	ओरछा, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
6	देवास विकास प्राधिकरण	6	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
7	रतलाम विकास प्राधिकरण		
8	कटनी विकास प्राधिकरण		
9	अमरकंटक विकास प्राधिकरण		
10	सिंगरौली विकास प्राधिकरण		

2. संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के दायित्व

2.1 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के मुख्य कार्यकलाप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत संचालित किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

2.2 **प्रादेशिक विकास योजना तैयार करना** – मध्यप्रदेश राज्य को 8 विभिन्न निवेश प्रदेशों (रीजन) में विभक्त किया गया है, जो कृषि, उद्योग, खनिज संपदा, वन संपदा आदि के बाहुल्य पर आधारित है जिसमें बीना पेट्रोकेमीकल्स प्रदेश की प्रादेशिक विकास योजना (रीजनल प्लान) तैयार कर प्रकाशित की जा चुकी हैं एवं भोपाल केपीटल रीजन (रीजनल प्लान) 1:50,000 पर तैयार कर प्रकाशन हेतु तैयार है, तथा ग्वालियर चंबल एग्रो रीजन की प्रादेशिक योजना का कार्य आई.टी.पी.आई. द्वारा किया गया है । इस वर्ष इन्दौर एग्रो रीजन की योजना तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना को योजना क्रमांक 2621–विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण के साथ समाहित किया गया है ।

2.3 **नगर विकास योजना तैयार करना** – राज्य के नगरों की विकास योजनायें बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणी के नगरों के अतिरिक्त पवित्र नगर, पर्यटन, ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्योगिक महत्व के नगरों की विकास योजना तैयार की जाती है। अभी तक कुल 97 नगरों की विकास योजनायें प्रकाशित की जा चुकी हैं,जिसमें से 88 विकास योजनायें अंगीकृत की गई है। विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1	इंदौर	10.06.1974	01.03.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
2	भोपाल	19.11.1974	25.08.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
3	उज्जैन	20.05.1975	28.10.1975	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ धार्मिक
4	खजुराहो	26.10.1975	11.10.1977	नगर पंचायत	1991	पर्यटक
5	जबलपुर	26.08.1977	28.09.1979	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय
6	ग्वालियर	09.03.1979	21.10.1980	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ पर्यटक
7	देवास	04.09.1979	10.03.1986	विकास प्राधि.	1991	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
8	शिवपुरी	25.04.1987	05.08.1988	नगर पालिका	2001	जिला मुख्यालय / पर्यटक
9	चंदेरी	27.06.1987	24.01.1989	नगरपालिका	2001	पर्यटक/हतकरघा औघोगिक
10	रतलाम	24.06.1985	28.05.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
11	रीवा	28.03.1987	27.11.1990	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय
12	सतना	29.08.1986	18.04.1991	नगर निगम	2001	जिला मुख्यालय /औघोगिक
13	बुरहानपुर	26.02.1993	08.06.1995	नगर निगम	2005	जिला मुख्यालय / हथ करघा औघोगिक
14	नव हरसूद	23.01.1995	14.02.1997	साडा	2011	तहसील मुख्यालय
15	दमोह	04.07.1994	19.03.1998	नगर पालिका	2005	जिला मुख्यालय
16	चित्रकूट	06.09.1994	03.08.1998	नगर पंचायत	2005	पवित्र/धार्मिक
17	बीना	15.04.1999	14.01.2000	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय / औघोगिक
18	सागर	05.06.1999	03.03.2000	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
19	सांची	01.11.1999	11.07.2000	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
20	नीमच	25.10.1999	05.07.2000	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
21	पन्ना	21.10.1999	17.05.2000	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
22	ग्वालियर साडा	22.10.1999	24.04.2000	साडा	2011	साडा
23	इटारसी	22.02.2000	09.03.2001	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
24	खण्डवा	29.02.2000	09.03.2001	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय
25	मैहर	18.09.2000	31.08.2001	नगरपालिका	2011	पवित्र/धार्मिक
26	मांडव	24.01.2001	02.11.2001	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
27	छिंदवाड़ा	14.02.2001	09-08-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
28	शहडोल	22.01.2001	05-12-2002	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय

29	खरगौन	16-03-2002	05-12-2002	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
30	जावरा	25-03-2002	16-12-2002	नगर पालिका	2011	तहसील मुख्यालय
31	विदिशा	10.08.2001	21-01-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
32	मंदसौर	29-09-2002	12-05-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
33	पाण्ढुर्ना	21-01-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	तहसील मुख्यालय
34	गुना	29-03-2003	29-08-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
35	झाबुआ	05-05-2003	10-10-2003	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
36	सीहोर	27.06.2001	31-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
37	भिण्ड	04-09-2003	28-05-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
38	टीकमगढ़	28-02-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
39	सिहोरा	23-06-2004	28-01-2005	नगरपालिका	2011	तहसील
40	बड़वानी	06-07-2004	17-12-2004	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
41	सिंगरौली	20-08-2004	20-05-2005	नगर निगम	2011	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
42	अमरकंटक	30-10-2004	20-05-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
43	बैतूल	10-12-2004	30-08-2005	नगरपालिका	2011	जिला मुख्यालय
44	महेश्वर	22-03-2005	12-09-2005	नगर पंचायत	2015	पवित्र नगर/ धार्मिक
45	होशंगाबाद	27-04-2005	03-02-2006	नगर पालिका	2011	जिला मुख्यालय
46	बालाघाट	29-6-2005	26-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
47	शाजापुर	06-09-2005	12-05-2006	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
48	ओंकारेश्वर	18-11-2005	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर/ धार्मिक
49.	राजगढ़	16.01.2006	11-08-2006	नगर पंचायत	2021	जिला मुख्यालय
50.	उमरिया	18.03.2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ माइनिंग
51.	मण्डला	31-05-2006	09-03-2007	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय/ पवित्रनगर
52.	ओरछा	03-08-2002	18-05-2007	नगर पंचायत	2011	पवित्र नगर
53.	सीधी	25-09-2006	17-9-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
54	छतरपुर	15-02-2007	17-9-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
55	अशोकनगर	30-06-2007	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
56	अलीराजपुर	30-08-2007	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
57	दतिया	05-01-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
58	रायसेन	21-01-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
59.	मुरैना	28-3-2008	4-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
60.	हरदा	27-03-2006	8-10-2008	नगरपालिका	2015	जिला मुख्यालय
61	बैरसिया	29-07-2006	8-10-2008	नगर पंचायत	2011	तहसील
62.	सिवनी	14-08-2007	8-10-2008	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
63.	कटनी	31-03-2006	19-6-2009	नगरनिगम	2021	जिला मुख्यालय/ औद्योगिक
64.	अनूपपुर	05-09-2008	27-06-2009	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
65.	नरसिंहपुर	29-07-2006	30.03.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
66.	श्योपुर	22-7-2008	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय
67.	धार	12-01-2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	जिला मुख्यालय

68.	डबरा	07-07-2009	16.04.2010	नगरपालिका	2021	तहसील एवं औद्योगिक
69.	मुलताई	12-10-2009	4.03.2011	नगरपालिका	2021	तहसील / पवित्र नगरी
70.	गोहद	80—3-2013	19.9.2013.	नगर पालिका	2031	तहसील
71.	गंजबासौदा	10-05-2013	20.6.2014	नगर पालिका	2031	तहसील
72.	पिपरिया	11-08-2011	1.8.2014	नगरपालिका	2021	तहसील
73.	शुजालपुर	22.2.2014	27.2.2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
74.	सेंधवा	22-10-2011	16.3.2015	नगरपालिका	2021	तहसील
75.	रामपुर बाघेलान	30-03-2012	26.8.2015	नगर परिषद	2021	तहसील
76.	खुरई	22-010-2009	12..2.2016	नगरपालिका	2021	तहसील
77.	भेड़ाघाट	15-09-2011	16.09.2016	नगर पंचायत	2021	तहसील
78.	बांधवगढ	17-09-2012	16.09.2016	नगर पंचायत	2031	पर्यटक स्थल
79.	हनुवंतिया	21-04-2016	08.12.2016.	नगर पंचायत	2035	पर्यटक
80.	आगर मालवा	29-01-2015	27.03.2017	नगर पंचायत	2041	जिला मुख्यालय
81.	चाकघाट	08-02-2012	18.08.2017	नगर पंचायत	2021	तहसील
82.	सलकनपुर	23-12-2011	22-09-2017	नगर पंचायत	2021	पवित्र नगर
83.	मण्डीदीप	24-05-2013	27.7.2017	नगर पालिका	2031	औद्योगिक
84.	नरसिंहगढ	29-09-2006	—	नगरपालिका	2021	तहसील
85.	डिंडोरी	31-07-2009	—	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
86.	नौगांव	11-02-2010	—	नगर पालिका	2021	तहसील
87.	गरौठ	10-08-2011	—	नगर पंचायत	2021	तहसील
88.	मढई	05-10-2011	—	नगर पंचायत	2021	पर्यटक
89.	नागदा	10-10-2011	22.6.2018	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
90.	ब्यावरा	22-12-2011	—	नगर पालिका	2021	तहसील
91.	सौसर	23-12-2011	—	नगर पालिका	2021	तहसील
92.	आमला	22-03-2012	12.10.2018	नगर पालिका	2021	तहसील
93.	कुक्षी	30-03-2012	22.6.2018	नगर परिषद	2031	तहसील
94.	आलोट	30-03-2012	21.9.2018	नगर पंचायत	2031	तहसील
95.	सिरोंज	30-03-2012	9.2.2018	नगर पालिका	2031	तहसील
96	आष्ट्रा	30-08-2006	—	नगर पालिका	2021	तहसील
97	पचमढी	11-8-1998		साडा	2011	पर्यटक

2.4 **पुनरीक्षित विकास योजना** — इसके अंतर्गत प्रभावशील नगर विकास योजना के प्रथम/द्वितीय चरण उपरान्त पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उपान्तरण कर पुनरीक्षित विकास योजना तैयार की जाती है । इसके अंतर्गत 40 पुनरीक्षित विकास योजनायें प्रकाशित कर 32 विकास योजनाऐं प्रभावशील की जा चुकी हैं, विवरण निम्नानुसार है —

पुनरीक्षित विकास योजनायें

क्र.	नगर का नाम	प्रारूप विकास योजना प्रकाशन की तिथि	विकास योजना अनुमोदन की तिथि	क्रियान्वयन संस्था	योजना कालावधि	नगर का स्तर
1	2	3	4	5	6	7.
1.	भोपाल	17.10.1994	09.06.1995	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
2.	खजुराहो	04.03.1994	05.06.1995	नगर पंचायत	2011	पर्यटक
3.	ग्वालियर	29.10.1995	19.03.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय / पर्यटक
4.	जबलपुर, (प्रथम चक्र)	29.12.1995	08.12.1998	विकास प्राधि.	2005	जिला मुख्यालय
5.	देवास	18.03.2002	17.12.2002	विकास प्राधि.	2011	जिला मुख्यालय / औद्योगिक
6.	उज्जैन	13.08.2005	06.06.2006	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय / पवित्र नगर
7.	इंदौर	13.07.2006	01.01.2008	विकास प्राधि.	2021	जिला मुख्यालय
8.	जबलपुर (द्वितीय चक्र)	09.02.2007	01.10.2008	विकास प्राधि	2021	जिला मुख्यालय
9.	रीवा	21-01-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
10.	सतना	30-06-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
11.	बुरहानपुर	02-07-2009	30-03-2010	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
12.	रतलाम	22-10-2009	14-6-2013	नगर निगम	2021	जिला मुख्यालय
13.	बैतूल	13-01-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय
14.	दमोह	15-03-2013	19-09-2013	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
15.	होशंगाबाद	14-06-2013	20-6-2014	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय एवं धार्मिक नगर
16.	ग्वालियर	12-08-2011	12-09-2014	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय पर्यटक
17.	मैहर	28-2-2014	16-3-2015	नगर पालिका	2031	धार्मिक नगर
18.	सिंगरौली	21-2-2014	27-3-2015	विकास प्राधिकरण	2031	औद्योगिक
19.	शहडोल	28-01-2014	31-3-2015	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
20.	खण्डवा	0-5-09-2012	11-11-2016	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
21	सीहोर	28-6-2014	11.11.2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
22.	इटारसी	5-3-2015	28.10.2016	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
23	नीमच	7-2-2014	27.03.2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

24.	ओकारेश्वर	30-09-2016	02.05.2017	नगर पंचायत	2021	धार्मिक नगर
25	सागर	28-02-2014	28.07.2017	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
26	टीकमगढ	28-12-2016	08.09.2017	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
27	शिवपुरी	18-01-2011	–	नगर पालिका	2021	जिला मुख्यालय पर्यटक
28	बीना	02-12-2011	–	नगर पालिका	2021	औद्योगिक
29	विदिशा	25-01-2012	22.6.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
30	देवास	09-10-2012	17.8.2018	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
31	गुना	28-02-2014	24.3.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालीय
32	हरदा	27-8-2015	22.6.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
33	पाण्डुर्ना	28-12-2016	–	नगर पालिका	2031	तहसील
34	माण्डव	17-02-2017	–	नगर परिषद	2031	पर्यटक नगर
35	चन्देरी	27-02-2017	–	नगर पालिका	2031	पर्यटक/ हथकरघा उद्योग
36	भिण्ड	23-03-2017	13.7.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
37	छिन्दवाड़ा	31-5-2017	–	नगर निगम	2031	जिला मुख्यालय
38	जावरा	22-07-2017	–	नगर पालिका	2031	तहसील
39	दतिया	2-2-2018	12.10.2018	नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय
40	राजगढ	26-3-2018		नगर पालिका	2031	जिला मुख्यालय

3. नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के कृत्यों से संबंधित दायित्व

3.1 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाने वाली नगर विकास योजनाओं (स्कीम) का तकनीकी एवं विधिक परीक्षण।

3.2 नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारियों के वार्षिक बजट परीक्षण।

3.3 नव गठित विकास प्राधिकरणों को स्वीकृत अनुदान की राशि को मुक्त कर उपयोगिता प्रमाण पत्रों की शासन एवं महालेखाकार, ग्वालियर को भेजना।

3.4 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं भूमि विकास नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन संस्थाओं से अनाधिकृत विकास पर नियंत्रण करना।

4. अन्य दायित्व

अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों में नगर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विकास प्राधिकरणों/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को तथा अन्य विकास से संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शन देना तथा शासन की भूमि विकास एवं प्रबंधित नीतियों में सहायता करना । संचालनालय के अंतर्गत आने वाले जिला कार्यालयों के अधिकारियों को संचालक की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं ताकि विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो सके । भवन निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में भवन अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान स्थानीय संस्थाओं के अधिनियमों के अतिरिक्त है ।

4.1 विशेषतायें

नगरों के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना एवं पुनरीक्षित विकास योजना बनाना, प्रादेशिक योजना बनाना तथा वित्तीय प्रबंधन करना संचालनालय के विशिष्ट दायित्व हैं ।

4.2 बेबसाईट प्रदर्शन

राज्य के विभिन्न नगरों की प्रभावशील विकास योजनाओं की जानकारी बेबसाईट www.mptownplan.nic.in/ www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियम जैसे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012, म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 आदि भी शामिल किये गये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सिटीजन चार्टर के साथ–साथ संचालनालय से संबंधित समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों, विकास अनुज्ञाओं तथा विकास योजनाओं की जानकारी भी बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाती है।

4.3 महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

कमांक	गतिविधियां	उपलब्धि (नगर)
1	निवेश क्षेत्र का गठन	160
2	विशेष क्षेत्र का गठन	06
3	भूमि उपयोग मानचित्र का प्रकाशन	105
4	विकास येाजना प्रकाशित/प्रभावशील	97/88
5	जिला मुख्यालय नगर/विकास योजना प्रकाशित	52/51
6	पुनरिक्षित विकास योजना प्रकाशित/प्रभावशील	40/32
7	मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 प्रभावशील	145
8	नगर विकास प्राधिकरण	10

विकास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के कुल 97 नगरों की विकास योजनायें तैयार की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की लगभग 77 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

भाग – दो

1. बजट

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश को विगत वर्षों में ''आयोजना'' बजट के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित एवं व्यय हुई :–

वर्ष	आयोजना बजट आवंटन (लाख रूपये में)	व्यय (लाख रूपये में)
2018–19	259.00	88.46 (31 दिसम्बर 2018 तक)

भाग – तीन

1. राज्य प्रवर्तित योजना : विगत तीन वर्षो की उपलब्धि

क.	योजना का नाम	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (रू.लाख में)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	विकास योजना बनाना पुनर्विलोकन एवं उपांतरण	2016–17	12 नगर	8 नगरों की प्रारूप एवं 8 नगरों की अंतिम विकास योजना तैयार	180.00	84.34
		2017–18	12 नगर	6 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित 2 नगरों की योजना प्रगति पर 8 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित	129.00	105.00
		2018–19 8 कार्या. /8 नगर (31 दिसम्बर 2018 तक)	12 नगर	1 नगरों की विकास योजना प्रारूप प्रकाशित 3 नगरों की योजना प्रगति पर 5 नगरों की विकास योजना शासन से अनुमोदित	259.00	88.46 व्यय कम होने का मुख्य करण यह रहा है कि इस योजना में योजना कमांक 6754 को भी समाहित किया गया है जिसकी राशि विभाग को माह नवम्बर–18 में प्राप्त हुई
2	अमृत योजना के अन्तर्गत 34 नगरों के जी. आई.एस. वेस मास्टर प्लान तैयार करना	वित्तीय वर्ष 2018–19 में 34 नगरों की जी.आई. एस. वेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है	34 नगर	एन.आर.एस.सी द्वारा संचालनालय को 8 नगरों की सेटेलाईट इमेज प्राप्त हुई थी जिसमें 4 नगरों का वेंटिंग कार्य करके एन.आर. एस.सी. को प्रेषित किया गया है शेष का कार्य प्रगति पर है ।	546 लाख	218 लाख

टीपः– सूचना प्रौद्योगिकी अन्तर्गत संचालनालय एवं इसके समस्त 28 कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना हेतु शासन द्वारा म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया हैं। राज्य नगर नियोजन संस्था (सिटोप) द्वारा 3 नगरों की बेव बेस्ड जी आई एस एप्लीकेशन तैयार की जा रही है । इसके साथ ही आम जनता की सुविधा को देखते हुए सायबर ट्रेजरी के माध्यम से ऑन लाईन शुल्क जमा कराया जाकर सभी अनुमतियॉ ऑन लाईन जमा करने के साफ्टवेयर विकसित किये जा रहे है ।

वर्तमान में 14 नगरों (आमला, गंजबासौदा, गुना, गोहद, दमोह, नागदा, नीमच, बैतूल, बांधवगढ, भेड़ाघाट, मैहर, शुजालपुर, शहडोल एवं सेंधवा) में ऑनलाईन भूमि उपयोग प्रमाण–पत्र प्रदान करने की व्यवस्था प्रचलन में है ।

1. वर्ष 2018–2019 (दिसम्बर 2018 तक) की उपलब्धियॉ

भौतिक उपलब्धियॉ

(अ)	प्रारुप विकास योजना प्रकाशित (1 नगर)	1. राजगढ
(ब)	प्रारूप विकास योजना प्रगति पर (5 नगर)	1. खरगौन, 2. मंदसौर, 3. झाबुआ, 4. अमरकंटक, 5. बैरसिया
(स)	अनुमोदित विकास योजनाऐं (5 नगर)	1. सिरोज, 2. नागदा, 3.कुक्षी, 4.आलोट 5. आमला,

भाग – चार

1 न्यायालयीन कार्यों की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018 की अवधि में नगर तथा ग्राम निवेश से संबंधित कुल 110 प्रकरण विभिन्न स्तर के न्यायालयों में प्रस्तुत किये गये जिसमें से 94 प्रकरणो प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये, तथा 6 प्रकरणों में जबाव दावे प्रस्तुत किये जा चुके हैं। जिसमें से 3 प्रकरणों में निर्णय पारित हो चुका है ।

1.1 प्रशासकीय गतिविधियॉ

(अ) विशेष अभियान में बैगलॉक के 3 कर्मचारियों की नियुक्ति, सीधी भरती से 9 एवं 2 कर्मचारी को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है ।

(ब) कुल स्वीकृत 836 पदों के विरूद्ध 395 पद भरे हुए है जिसमें 441 पद रिक्त हैं ।

1.2. विधायी से संबंधित कार्यकलाप

विधानसभा में उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, दिये गये आश्वासनों तथा प्राप्त याचिकाओं की जानकारी यथासमय दी जाती रही है ।

इसके अतिरिक्त विधानसभा की लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति आदि द्वारा चाही गई जानकारी यथासंभव उपलब्ध कराई जाती है ।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम नियम /नियम में संशोधन

1. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम 2018 के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं ।
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 एवं 19 में संशोधन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं ।
3. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में मध्य प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा नीति 2016 के प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
4. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 103 को संशोधित कर राजपत्र में दिनांक 24.9.2018 को प्रकाशित किया गया ।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 संशोधन (मशीनीकृत पार्किंग हेतु) प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये।
6. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम14 एवं 16 में नजूल अनापत्ति विलोपित करने बाबत प्रस्ताव शासन को प्रेषित ।
7 मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम टी.डी.आर. 2018 का राजपत्र में प्रकाशन।
8. म.प्र. विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति का प्रबंधन तथा व्ययन नियम, 2018 का राजपत्र में प्रकाशन।

भाग – पांच

1. प्रकाशन

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नियमित रूप से विभिन्न नगरों की विकास योजनाओं के प्रारूप एवं अनुमोदित विकास योजनाओं का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है ।

भाग – छः

1. राज्य की महिला नीति का क्रियान्वयन

राज्य की महिला नीति के क्रियान्वयन हेतु उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल नोडल अधिकारी नियुक्त हैं । कार्यालय में महिला कर्मियों की मूलभूत सेवा–सुविधाओं की पूर्ति हेतु अलग से व्यवस्था स्थापित की गई है। वर्तमान में विभाग में कुल 80 महिलाएं कार्यरत है, जो कार्यरत पदों का लगभग 20 प्रतिशत है।

भाग – सात

सारांश

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 160 नगरीय केन्द्रों के निवेश क्षेत्रों का गठन किया गया है तथा 105 नगरों के वर्तमान भू–उपयोग मानचित्र का प्रकाशन एवं अंगीकरण किया जा चुका है। 97 नगरों की विकास योजनाओं का प्रकाशन किया जा चुका है जिनमें से 88 विकास योजनाएं अंगीकृत है, जिसमें प्रदेश की लगभग 76 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या का नियोजन निहित है। 40 नगरों की पुनरीक्षित विकास योजना का प्रकाशन किया गया है। जिसमें से 32 नगरो की योजनाऐं शासन द्वारा प्रभावशील की जा चुकी है । वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना की उपयोजना में प्रदेश के 34 अमृत शहरों के GIS आधारित विकास योजना (नवीन/पुनरीक्षित) बनाने का कार्य प्रगतिरत है ।

———

राजधानी परियोजना प्रशासन

भाग – एक

संरचना

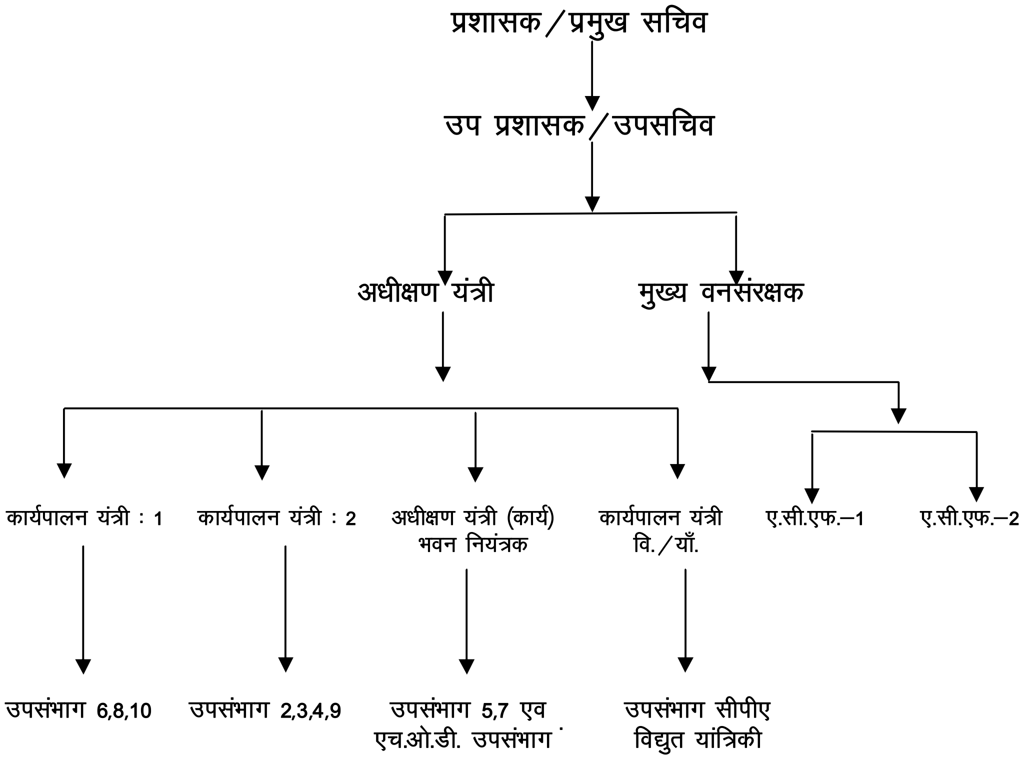

दायित्व

वर्ष 1956 में राज्य पुर्नगठन के उपरान्त जब भोपाल को मध्यप्रदेश की राजधानी बनाया गया तब यह प्रतीत हुआ कि भोपाल प्रदेश की राजधानी बनने के साथ–साथ प्रदेश की प्रशासकीय राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केन्द्र बनने जा रही है। इसके अनुक्रम में भोपाल नगर तथा उसके आसपास के ग्रामों का शहरीकरण क्रमशः होना प्रारम्भ हुआ। राजधानी के सुनियोजित एवं त्वरित विकास हेतु राजधानी परियोजना प्रशासन का गठन किया गया।

राजधानी परियोजना द्वारा तत्समय से ही उच्च गुणवत्ता का कार्य सम्पादित कराया गया। राजधानी परियोजना प्रशासन की स्थापना होने के समय का भोपाल शहर आज जनसंख्या के अनुसार 10 – 11 गुना बढ चुका है। और क्षेत्रफल/विस्तार में भी शहर पूर्व की अपेक्षा 12–14 गुना बढ चुका है। क्रमशः भोपाल महानगर के रुप में परिवर्तित हो गया है। भोपाल में राजधानी परियोजना की स्थापना हुई तब से उसका आगे कार्य करना राजधानी में विभिन्न आधारभूत/मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना, विभिन्न कार्यों हेतु समन्वयक के रुप में कार्य करना तथा राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप शासकीय भवन/कार्यालयों/आवास गृहों एवं सौन्दर्यीकरण हेतु बडे पैमाने पर वृक्षारोपण बाग बगीचों का विकास आदि कार्य। उस समय जितना प्रारम्भिक कार्य आवश्यक था उसकी प्रासंगिकता आवश्यकता आज 10–15 गुना बढ़ी ही है, भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता तथा उपयोगिता पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आज है।

राजधानी परियोजना प्रशासन के अंतर्गत मुख्यतः दो शाखाओं द्वारा कार्य संपादित किए जा रहे हैः–

1. मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना

मण्डल कार्यालय, राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के विभिन्न शासकीय भवनों का निर्माण कार्य, मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण कार्य, डिपाजिट मद के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण/विकास कार्य तथा अन्य विकास कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। साथ ही परियोजना क्षेत्र में स्थित महत्वपूर्ण शासकीय भवनों तथा मंत्रालय सतपुड़ा भवन/विन्ध्याचल भवन नई एवं पुरानी विधान सभा भवनों का रख–रखाव संबधी कार्यों के साथ ही बाग– बगीचों का विकास एवं संधारण कार्य तथा मार्गों का चौडीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विद्युतीकरण संबधी अनकों कार्य किये जा रहे है। इसके अन्तर्गत एक अधीक्षण यंत्री कार्यालय, एक अधीक्षण यंत्री (कार्य) विधान सभा के लिए तीन कार्यपालन यंत्री के संभागीय कार्यालय एवं नौ उपसंभागीय कार्यालय एवं अधिनस्थ अमला लोक निर्माण विभाग के मेन्युअल अनुसार स्वीकृत होकर कार्यरत है।

2. वनमण्डल राजधानी परियोजना

राजधानी परियोजना के अन्तर्गत वनमंडल कार्यालय का गठन दिनांक 21.2.1986 को निम्नलिखित उदेद्श्यों हेतु किया गया। भोपाल शहर पहाडी एवं पथरीले होने के कारण यहां की भूमि को बडे ही सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित कर शोभायमान, फलदार एवं छायादार वृक्षों का रोपण किया गया है और पर्यावरण महत्व के पौधों का रोपण करके आस–पास के खुले एवं वीरान क्षेत्रों में हरा–भरा कर सौन्दर्यीकरण करना एवं उसका रख–रखाव करना भी मण्डल का प्रमुख दायित्व रहा है। अवांछनीय खरपतवार का उन्मूलन करना, शासकीय रिक्त भूमि के अवैध उत्खन्न एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यकता अनुसार फेंसिग तथा उपयुक्त भूमि पर पौधों का रोपण करना, नालों के आस–पास वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधारना एवं भूमि के कटावों को भू–संरचना उपायों से रोकना।

भाग – 2

बजट प्रावधान–लक्ष्य व्यय (पूंजी अनुभाग)

राशि रू लाख में

क्र	योजना का नाम	2016–2017		2017–2018		2018–2019	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 03/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3115 भूमि भूअर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	0.00	0.00	1000.00	0.00	1500.00	0.00
2	0284 अरिहायसी भवन	422.39	422.39	300.00	283.13	800.00	161.40
3	3763 रिहायसी भवन	51.40	51.40	1.00	0.00	0.01	0.00
4	4339 सड़क एवं पुल	2000.00	1991.86	2832.00	2799.03	2000.00	982.39
5	1021 क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण आदि	696.00	696.00	700.00	697.19	700.00	549.27
6	5872–64 वार मेमोरियल का निर्माण(सर्वेक्षण अन्वेक्षण रूपाकन)	237.26	32.48	234.44	234.44	0.01	0.00
7	3414 मशीन एवं उपकरण	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
8	7218–मंत्रालय का विस्तार	12962.75	12962.75	19359.00	19358.99	18200.00	11458.05

क्र	योजना का नाम	2016–2017		2017–2018		2018–2019	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 03/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
9	7715 –नवीन विधायक विश्राम गृहों में (बृहत निर्माण कार्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

भाग – तीन

अ. राज्य योजनायें

वर्ष 2018–19

मांग संख्या 22 शीर्ष 4217 पूंजी अनुभाग के अन्तर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल हेतु वर्ष 2018–19 के लिये रुपये 23201.05 लाख का आवंटन प्रदाय किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये गये एवं प्रस्तावित हैं:–

संचालित कार्य

1. विधायक विश्राम गृह परिसर में नवीन रेस्टॉरेन्ट का निर्माण कार्य।
2. विधानसभा भवन एवं विधायक विश्राम गृहों का नियमित संधारण कार्य।
3. विधानसभा सचिवालय एवं विधायक विश्राम गृहों में विधानसभा सचिवालय के निर्देशानुसार तथा प्रदान की गई अनुमति/सहमति के आधार पर विभिन्न सिविल/विद्युत संबंधी कार्य।
4. बावड़िया कला क्षेत्र में ट्रायबल हॉस्टल से इन्डस गार्डन तक मार्ग निर्माण।
5. मन्दाकिनी शिर्डीपुरम से दानिशकुंज चौराहे तक मार्ग चौड़ीकरण कार्य।
6. होशंगाबाद से रजत विहार, भेल शिक्षा संगम होते हुए बागमुगालिया मार्ग का निर्माण।
7. दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स को जोड़ने वाली मार्ग में कलियासोत नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य।
8. मुख्य मार्ग क्रमांक–3 स्थित डॉ0श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में माउण्टेन साइकिल ट्रेक का उन्नयन एवं अन्य उन्नयन कार्य।
9. मुख्य मार्ग क्रं.3 स्थित डॉ0श्यामाप्रसाद मुखर्जी पार्क में स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्य।
10. कोलार रोड से मंदाकिनी, शिर्डीपुरम एवं चारबत्ती चौराहे होते हुये हिनोतिया आलम तक मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य। (लम्बाई 4.50 कि.मी.)
11. प्रभात पेट्रोल पम्प से अशोका गार्डन होते हुए रेल्वे ओवर ब्रिज तक मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य। (लम्बाई 3.50 कि.मी.)
12. ऋषिपुरम फेस–1 से विवेकानन्द विद्यापीठ, भेल मास्टर प्लान मार्ग पर आ रहे 11 के.वी.एवं 33 के.वी.विद्युत लाईन का शिफ्टिंग कार्य।
13. सोनागिरी से रजत नगर भेल होते हुए अयोध्या बायपास तक मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 1200मी.)

14. 9 बी साकेत नगर से अल्कापुरी के पश्चिम दिशा से होते हुए शक्ति नगर तक 24 मीटर चौड़े मास्टर प्लान मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 0.1237 कि.मी.)

15. इंटरनेशनल एयरपोर्ट गांधी नगर के समीप प्रथम चरण में राष्ट्रीय राजमार्ग–12 से बायपास को जोड़ने वाले लिंक रोड (आदर्श मार्ग) का निर्माण कार्य। (लम्बाई 760मी.)

16. कलियासोत नहर से कुंजन नगर साधना एन्क्लेव तक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 855मी.)

17. वर्ष 2017–18 में 63898 पौधों का रोपण/रख–रखाव के साथ ही वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक 168931 पौधों का रख–रखाव, पार्क एवं नगर वन का रख–रखाव 4 नग वनरोपणियों का रख–रखाव।

(ii) भोज वेट लैण्ड परियोजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक रोपित 1768038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2013–14 तक रोपित 1371200 पौधों का सुरक्षा कार्य।

(iii) वर्ष 2017–18 में उक्त कार्यों हेतु रू.11,80,66,000/– का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध माह फरवरी 2018 तक रू.10,83,01,911/– का व्यय हुआ।

प्रस्तावित कार्य (नवीन)

1. नरेला गोविन्दपुरा विधानसभा अंतर्गत स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
2. नवीन नगर अशोका गार्डन भोपाल स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
3. एकतापुरी अशोका गार्डन भोपाल स्थित खुले मैदान में पार्क का विकास कार्य।
4. स्व.श्री एम.एन. बूच की स्मृति में कोलार रोड स्थित पार्क का निर्माण कार्य।
5. गौरा गाँव से डी.पी.एस.तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
6. हरदेव अस्पताल से सीहोर नाके को जोड़ने हेतु एक बायपास मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
7. अयोध्या नगर फेस–5 से अरहेड़ी तक सड़क का निर्माण।
8. खेजड़ा बरामद से ग्राम सेवनिया ओमकारा तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
9. एक्सटॉल कॉलेज तिराहे से चंद्रिका चौराहे (ग्राम सलैया को जोड़ने वाले मार्ग पर) बावड़िया कला भोपाल तक मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
10. होशंगाबाद रोड से एन.एच.12 के निकट निर्माणाधीन 60 मीटर चौड़ी रोड जंक्शन से जे.एन.यू.आर. एन. कॉलोनी जंक्शन (निरूपम रॉयल पॉप जंक्शन) होते हुए मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
11. ग्राम सलैया से हिनोतिया आलम तक 24 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का निर्माण।
12. बैरागढ़ में इंडोर मल्टीपरपस हाल का निर्माण कार्य।
13. बैरागढ़ हलालपुरा स्थित स्वीमिंग पूल हेल्थ क्लब नाला एवं पार्किंग का निर्माण कार्य।
14. विधायक विश्राम गृह परिसर में माननीय सदस्यों हेतु सर्वसुविधा युक्त नवीन विधायक विश्राम गृह के रूप में 102 नवीन आवास गृहों का निर्माण कार्य।
15. मध्यप्रदेश विधानसभा के परिसर में विधायक विश्राम गृह क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय स्टाफ हेतु 40 स्टाफ क्वाटर्स (20 'एच' एवं 20 'आई' टाईप) का निर्माण कार्य।
16. मंत्रालय वल्लभ भवन के उन्नयनीकरण का कार्य।
17. विंध्याचल भवन स्थित विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आंतरिक नवीनीकरण कार्य।

18. दानिश हिल्स से वाल्मी हिल्स तक मार्ग का निर्माण कार्य।

19. आनन्द नगर बायपास से शान्ति नगर होते हुए बैरसिया मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।

20. स्वर्ण जयंती पार्क का विकास कार्य।

21. वर्ष 2018–19 में 36533 पौधों का रोपण/रख–रखाव, के साथ ही वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक 168396 पौधों का रख–रखाव 8 पार्क एवं नगरवन का संधारण, 4 नग वन रोपणियों का संधारण।

(ii) भोज वेट लैण्ड परियोजना अंतर्गत वर्ष 2013–14 तक रोपित 1768038 पौधों तथा वर्ष 1986 से 2014–15 तक रोपित 1431629 पौधों का सुरक्षा कार्य।

(iii) वर्ष 2018–19 में उक्त कार्यों हेतु 11,50,00,000.00 का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध माह मार्च 2019 तक रू.9.39 करोड़ का व्यय हुआ है।

(iv) वर्ष 2019–20 के लिए रू214.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध अब तक रू. 90.17 लाख व्यय हुआ।

(v) भोपाल शहर की हरित भूमि (ग्रीन बेल्ट) के अतिक्रमण मुक्त रखना।

ब. केन्द्र प्रवर्तित योजना : – निरंक

स. विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं : – निरंक

द. विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं : – निरंक

ई. अन्य योजनाऐं

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, नेशनल इन्टीटयूट आफ फैशन टेक्नोलाजी भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. विभागीय पदोन्नति :– – निरंक –

2. नियुक्ति :– दो पदों की पूर्ति सहायक ग्रेड–3 पर

3. विभागीय जांच :– – निरंक –

4. न्यायालयीन प्रकरण :–

राजधानी परियोजना प्रशासन के अन्तर्गत चल रहे विभिन्न न्यायलयीन प्रकरणों की स्थिति संतोषजनक है तथा जवाबदावे प्रस्तुत कर दिये गये है।

भाग – पाँच

अभिनव योजना

माननीय विधान सभा सदस्यों हेतु नवीन विश्राम गृह का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसमें 102 आवासीय इकाईयों का निर्माण होगा एवं यह समस्त आवास गृह आधुनिक आवश्यकतानुसार निर्मित किए जायेंगे तथा वर्तमान समयक अनुसार सुसज्जित किए जायेंगे

भाग – छः

– निरंक –

भाग – सात

महिला नीति

महिला नीति के अन्तर्गत राजधानी परियोजना मण्डल, राजधानी परियोजना प्रशासन में कार्यरत महिलाओं के लिये विश्राम अवकाश में विश्राम कक्ष आवंटित किया गया हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी महिलाओं पर रोकथाम एवं यौन उत्पीडन आदि शिकायतों पर कार्यवाही करने हेतु महिला कर्मचारियों के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

भाग – आठ

सारांश

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा पूर्व में नवीन विधान सभा भवन, सतपुड़ा/विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी, शासकीय गीतांजली कन्या महाविद्यालय, भारत भवन, संस्कृति भवन, लोकायुक्त भवन कार्यालय शौर्य स्मारक मंत्रालय वल्लभ भवन का विस्तार कार्य इत्यादि अतिमहत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य कराया गया है एवं इसका संधारण संबधी कार्य भी किया जा रहा है। मध्यप्रदेश राज्य जनजाति संग्रहालय भवन का निर्माण कार्य, सुशासन नीति एवं विश्लेषण भवन का निर्माण कार्य, वाणिज्यिक कर भवन का निर्माण कार्य एवं सूचना केन्द्र भवन का निर्माण, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अकादमी भवन (7 & 8), लायब्रेरी ब्लॉक एवं प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य एवं खेल गतिविधियों से संबंधित केन्द्रीय खेल छात्रावास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राजधानी के विकास में मास्टर प्लान के अनुरुप आवश्यकताओं के अनुसार कई सडकों का निर्माण/चौड़ीकरण भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान 2005 की प्रमुख 24 सड़कों के सर्वे एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर नवीन मास्टर प्लान सड़को के प्रस्ताव तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भविष्य में राजधानी परियोजना वासियों को सुगम मार्ग एवं स्वच्छ पर्यावरण का लाभ होगा, इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणी के लगभग 6000 शासकीय आवास गृहों का निर्माण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा कराया गया है एवं अनेक शासकीय आवास गृहों निर्माण कार्य प्रस्तावित है। राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय पार्कों का विकास किया गया है तथा श्री गुरु गोविन्द सिंह पार्क, मयूर पार्क, चिनार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, शाहपुरा के किनारे पार्क, 5 नं पर जवाहर बाल उद्यान, स्वराज पार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं बोरवन पार्क इत्यादि के संधारण कार्य भी राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शहर में चौतरफा वृक्षारोपण कर सुन्दर तथा हरा भरा बनाने का पूरा श्रेय भी राजधानी परियोजना प्रशासन को ही है।

————

स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग

(राज्य नगर नियोजन संस्थान)

भाग–एक

विभागीय संरचना

अध्यक्ष – श्री जयवर्द्धन सिंह, मंत्री, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

महानिदेशक – श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

कार्यपालन संचालक – श्री राहुल जैन, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

अधीनस्थ कार्यालय निरंक

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओ का विवरण : निरंक

सदस्य संस्थाऐं – प्रदेश में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित –10 **विकास प्राधिकरण** – भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, ग्वालियर जबलपुर, रतलाम, कटनी, सिंगरौली तथा अमरकंटक 06–**विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण** –पचमढी, ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट, खजुराहो, ओरछा, महेश्वर मण्डलेश्वर एवं चित्रकूट सदस्य संस्थायें तथा 03 नगरीय निकाय खजुराहो, धनपुरी एवं गढ़ाकोटा संस्थान की एसोसिएट सदस्य हैं।

उद्देश्य एवं लक्ष्य

1. मध्यप्रदेश शासन तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की शहरी/ग्रामीण नियोजन से संबंधित विषयों में सहायता तथा परामर्श प्रदान करना।
2. विकास योजनाओं, क्षेत्रीय योजनाओं, पारिक्षेत्रीय योजनाओं, नगर विकास योजनाओं तथा योजनाओं के कियान्वयन हेतु संसाधनों के संग्रहण, अनुश्रवण तथा इनसे संबंधित कियान्वयन विषयों में योजनाऐ तैयार करना, सूक्ष्म परीक्षण तथा मूल्यांकन में सहायता
3. विभिन्न राज्यों के साथ–साथ देश के विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाई गई नगर नियोजन नीतियों तथा प्रक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार करना जिसके आधार पर नियोजित तथा एकीकृत नगर तथा निवेश विकास के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान तथा इन क्षेत्रों में परामर्शी सेवाऐं प्रदान करना।
4. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 क (1) (ख) के अंतर्गत भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।
5. धारा 16 अंतर्गत भोपाल के सभी प्रकरणों का परीक्षण व समिति के समक्ष प्रस्तुत कर समिति की अनुशंसायें नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित करना।
6. डाटाबेस का सृजन तथा अद्यतन करना व ई–सुशासन।
7. मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण।
8. पुनर्सघनीकरण परियोजनाओं का परीक्षण।

9. पर्यावरण अधिनियम क्रमांक 8(क) तथा (ख) के लिये नगर विकास प्राधिकरणों द्वारा हाथ में ली जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर पर्यावरणीय प्रभावी के आकलन का अध्ययन।

10. इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के सहयोग से आयोजन करना– (प्रशिक्षण, विचार गोष्ठियों कार्यशालाओं, विभिन्न विषयों पर व्याख्यान, प्रकाशन तथा प्रचार)।

11. समय–समय पर सम्पन्न गतिविधियों से सदस्यों तथा अधिकारियों को अद्यतन रखे जाने के उद्देंश्य से न्यूजलेटर जारी करना।

12. अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थाओं से मेल–जोल विकसित करना।

13. तत्कालीन मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण संघ के जारी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों का निष्पादन करना।

14. ऐसे समस्त दायित्वों तथा कृत्यों जैसा कि कार्यकारिणी समिति तथा साधारण सभा द्वारा विहित किया जाए,का निष्पादन करना।

15. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवायें उपलब्ध कराना।

16. विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करना ।

17. विभिन्न संस्थाओं जैसे एम.पी.यू.डी.सी.एल., मंडीबोर्ड, सी.पी.ए. आदि के कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों के माध्यम से करवाना।

साधारण सभा

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के साधारण सभा का गठन किया गया है, **जिसके अध्यक्ष माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग हैं।** साधारण सभा में महानिदेशक एवं कार्यपालन संचालक सहित कुल 37 सदस्य शामिल है।

कार्यकारिणी समिति

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्यूलेशन के प्रावधानों के अनुसार संस्था के दैनंदिनीय कार्यो के निष्पादन हेतु एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग एवं महानिदेशक, राज्य नगर नियोजन संस्थान है। कार्यकारिणी समिति में कार्यपालन संचालक, सदस्य सचिव तथा अन्य 07 सदस्य शामिल हैं।

विभाग से संबंधित जानकारी

राज्य नगर नियोजन संस्थान जिसका पूर्व नाम म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ था, प्रदेश की नगर विकास संस्थाओं का एक पंजीकृत संगठन है। वर्ष 2013 में म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ के साधारण सभा द्वारा संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रेग्युलेशन में व्यापक संशोधन किए गए तथा संस्था का नाम परिवर्तित कर राज्य नगर नियोजन संस्थान किया गया। संस्था के नये नाम राज्य नगर नियोजन संस्थान का पंजीयन 1 मई, 2013 को म.प्र.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत किया गया है, जिसका मुख्य कार्य प्रदेश की विकास संस्थाओं / नगरीय निकायों संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश एवं अन्य संस्थाओं के कार्यो में सलाहकार की भूमिका निभाते हुये सहयोग प्रदान करना तथा नगरीय निकायों की योजनायें तैयार करने में तकनीकी सहयोग, प्रशासनिक एवं लेखा प्रबंधन आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित करना।

सामान्य या प्रमुख विशेषताऐं

(अ) भारत शासन द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रसारित पुनरीक्षित मार्गदर्शिका अगस्त 1995 के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा म.प्र.विकास प्राधिकरण संघ को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। प्राधिकरण संघ द्वारा इन योजनाओं हेतु समन्वयक एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य किया जा रहा है। राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा अधिकतर तकनीकी परामर्श संबंधी कार्य 'इन हाउस' किया जा रहा है। साथ ही संस्थान में वास्तुविदों, इंजीनियरों, नियोजकों का पेनल ऑफ कंसलटेंट बनाया गया है, जिनकी आवश्यकतानुसार सेवायें ली जाती है। वर्ष 2005 में आई. डी.एस.एम.टी. योजना को यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना में समाहित कर इस संस्थान को नोडल एजेन्सी बनाया गया। वर्ष 2009 तक योजना इस संस्थान में रही। वर्ष 2010 में योजना, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को हस्तांतरित की गई।

(ब) म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र.एफ–6–9/10/32 भोपाल दि. 18.02.10 द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश के सूचना प्राद्योगिकी कार्य को संपादित करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है जिसके प्रथम चरण में 04 नगरों का जी.आई.एस एप्लीकेशन का कार्य किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

(स) म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–3/75/2013/32 द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान को धारा–16 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु आदेशित किया गया।

(द) म.प्र. नगर तथा ग्राम नियम–12 के नियम 15 (4) 15 के अंतर्गत म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ (संशोधित नाम राज्य नगर नियोजन संस्थान) को धारा 23 क (1)(ख) अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों के परीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है।

भाग–दो

बजट सिंहावलोकन, आय के स्त्रोत

राज्य नगर नियोजन संस्थान की आय के मुख्य स्त्रोत, सदस्य संस्थाओं से प्राप्त सदस्यता शुल्क तथा योजनाओं के वास्तुविदीय परामर्श कार्य/तकनीकी परीक्षण/बजट परीक्षण/सर्वेक्षण कार्यो से प्राप्त परीक्षण शुल्क ही है। शासन से संस्थान को कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है ।

बजट प्रावधान, लक्ष्य/व्यय एवं अंकेक्षण

वर्ष 2017–18 के वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 557.39 लाख व रू. 412.38 लाख एवं वर्ष 2018–19 के आय व्यय क्रमशः रू. 720.40 लाख व रू. 651.33 लाख अनुमानित के विरूद्ध वास्तविक आय व्यय क्रमशः रू. 349.60 लाख व रू. 533.20 लाख है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमानित आय–व्यय क्रमशः रू. 875.96 लाख व रू. 875.90 प्रस्तावित है।

राज्य नगर नियोजन संस्थान के वर्ष 2017–18 तक के आय–व्यय का अंकेक्षण कार्य संपन्न हो चुका है। संस्थान द्वारा लेखा/अंकेक्षण कार्यों हेतु पेनल ऑफ चाटर्ड अकाउंटेन्ट तैयार किया गया है। आवश्यकतानुसार निजी सलाहकार (चाटर्ड अकाउडटेंट) की सेवायें ली जाती है।

संसदीय कार्य, विधि विषय कार्य एवं न्यायालयीन कार्यः– निरंक

स्वीकृत सेटअप

राज्य नगर नियोजन संस्थान के स्वीकृत सेटअप में विभिन्न श्रेणी के 80 पद स्वीकृत है, जिसमें 59 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी नियमित सेवा में कार्यरत हैं एवं 21 पद रिक्त हैं। 06 अधिकारी/कर्मचारी विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है तथा 06 कर्मचारी मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में संलग्नीकरण में पदस्थ है। संस्थान में 02 अधिकारी/कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त संविदा सेवा में कार्यरत है। संस्थान में राज्य शासन के नियमानुसार कर्मचारियों के लिये समयमान वेतनमान योजना लागू है। रिक्त पदों पर पदोन्नति अथवा पात्र कर्मचारियों को समयमान वेतनमान हेतु शासन के नियमानुसार विभागीय पदोन्नत समिति की बैठके नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) को प्रदेश में संचालित दो प्रमुख योजनाओं हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया गया था। राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा इन योजनाओं में से वर्तमान में आई.डी.एस.एम.टी. योजना (आवर्ती कोष) एवं सूचना प्रौद्योगिकी योजना का संचालन किया जा रहा है।

(अ) छोटे तथा मझौले नगरों की एकीकृत विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) वर्ष 1995–96 में लागू की गई तथा वर्ष 2004–05 तक अनुदान योजनान्तर्गत 97 नगरों की योजनाएँ जिनकी स्वीकृत लागत रू.14370.49 लाख है, का कियान्वयन किया जा रहा है।

इन 97 नगरों में संभागवार नगरों की संख्या हैः– (1) चंबल संभाग –3 नगर, (2) ग्वालियर संभाग –6 नगर, (3) उज्जैन संभाग – 16 नगर, (4) इंदौर संभाग – 9 नगर, (5) होशंगाबाद संभाग –2 नगर, (6) सागर संभाग –15 नगर, (7) रीवा संभाग – 18 नगर, (8) जबलपुर संभाग –12 नगर (9) भोपाल संभाग – 16 नगर

वर्ष 1995–96 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक कुल मुक्त राशि रू. 8614.81 लाख (केन्द्रांश रू. 4501. 19 लाख + राज्यांश 4133.62 लाख) है। वर्तमान वित्त वर्ष में अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु बजट में कोई राशि प्रावधानित नही की गई है। योजनान्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 94 नगरों द्वारा कुल सूचित व्यय रू. 9529.12 लाख है, जो कि 98.48 प्रतिशत है। वर्ष 2005 में आई.डी.एस.एम.टी. योजना यू.आई.डी.एस.एस.एम. टी. योजना में समाहित की गई है।

राज्य नगर नियोजन संस्थान (SITOP) द्वारा आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत स्वीकृत नगरों की कुल 645 योजना घटकों का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य किया गया इसके अन्तर्गत लगभग 400 घटकों का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें मुख्यतः 160 वाणिज्यिक, 30 बस स्टैण्ड, 70 रोड़ उन्नयन एवं तिराहा, 140 घटक जिसमें सामुदायिक भवन, नाला, सब्जी मंडी, आवासीय योजनाये सम्मिलित है के विकास कार्य शामिल है। योजनान्तर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरूद्ध विगत वर्षो में उपयोगिता केवल 99.39 प्रतिशत थी जो गत एक वर्ष में बढ़कर लगभग 110.61 प्रतिशत से अधिक हो गई है।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के तहत संस्थाओं द्वारा निर्मित व्यवसायिक घटकों की योजनाओं से आवर्ती कोष में 73 नगरों द्वारा राशि रू.10174.85 लाख सूचित किया है। उक्त आवर्ती कोष के विरूद्ध 48 संस्थाओं से लगभग 160 घटकों की योजनाएँ तैयार करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये, जिसमें से अभी तक 35 नगरों के 95 घटकों के कार्यो के विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र लगभग राशि रू. 3960.64 लाख स्वीकृत होकर प्रगतिरत हैं। उक्त 35 नगरों के कार्य प्रेषित करने के उपरांत उनकी शेष आवर्ती कोष की लगभग राशि रू. 4631.90 लाख तथा 25 नगरों की आवर्ती कोष की लगभग राशि रू. 1582.31 लाख कुल लगभग राशि रू. 6214.21 लाख के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2018–19 में आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत निर्मित आवर्ती कोष से 10 नगरों के 16 योजना घटकों का वास्तुविदीय कार्य किया गया, जिसमें से नागौद, आगर, उमरिया, सीधी, बैरसिया, गोविंदगढ़, चुराहट, अकोदिया, सिहोरा, कटंगी नगरों की लगभग रू. 617.000 लाख की योजनाओं का विस्तृत वास्तुविदीय कार्य संपादित किया गया।

(ब) सूचना प्रौद्योगिकी

1. 4 नगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में भू–उपयोग जानकारी एवं विकास अनुज्ञा आनलाइन जारी करने हेतु Web based Application (अल्पास) का संचालन एवं संधारण व्यमटेक के माध्यम से किया गया।

.2 संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान कार्यालय में GIS स्टूडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अन्य

1 पर्यावरण स्वीकृति :– कटनी विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना (झिंझरी), जबलपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्रं. 62, 64 एवं 65 की पर्यावरण स्वीकृति का कार्य सलाहकार के माध्यम से कराया जा रहा है।

2 संचालनालय में गठित प्राधिकरण सेल में भी राज्य नगर नियोजन संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है।

3 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन हेतु सलाहकार के चयन हेतु आर.एफ.पी. जारी की गई।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलायी जाने वाली योजनाऐं:– निरंक

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं / परियोजनाऐं:– निरंक

(ई) अन्य योजनाऐं / राज्य शासन द्वारा सौपे गये कार्य :–

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा कई नगरीय निकायों की स्वः वित्तीय योजनाऐं भी तैयार की जा रही हैं ।
2. वर्ष 2013–14 में आई.डी.एस.एम.टी.योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूॅजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।
3. एम.पी.यू.डी.सी.एल. का कार्य कार्यालय में पंजीबद्ध सलाहकार से करवाया जा रहा है।
4. वर्ष 2014–15 में संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10 नगरों क्रमशः चित्रकुट, झाबुआ, खरगोन, खजुराहों, नेपानगर, कैमोर, अमरपाटन, धनपुरी, ओबेदुल्लागंज एवं माधवराव काउंटर मेग्नेट, ग्वालियर नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य संस्थान को सौपा गया है। इस हेतु संचालनालय द्वारा वर्ष 2015–16 में रू. 7.50 लाख संस्थान को उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा विकास योजना का कार्य निजी सलाहकारों के माध्यम से कराया जा रहा है। चित्रकूट, खजुराहो, खरगोन झाबुआ एवं सागर का प्रारूप विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित कर दिया गया है। शेष नगरों की विकास योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
5. अवैध कॉलोनियों को वैद्य करने एवं विकास शुल्क का विवरण तैयार करने हेतु सिटॉप में पंजीबद्ध सलाहकारों की नियुक्ति, अनुबंध की प्रति चयनित सलाहकारों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित की गई है।

6. अमृत योजनान्तर्गत इंटर्नस का चयन कर विभिन्न नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालयों में संलग्नीकरण किया गया।

7. राज्य शासन द्वारा राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्यकलापों/आय में वृद्धि के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कार्य संस्थान को सौपे गये है :-

I प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट तैयार करना। वर्ष 2018-19 में संस्थान द्वारा प्राप्त 12 विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर राज्य शासन की ओर प्रेषित किया गया हैं।

II कटनी विकास प्राधिकरण की 85.60 हेक्टेयर योजना हेतु अभिन्यास तैयार किया गया। कई नवगठित विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में आवासीय एवं वाणिज्यिक योजना प्रेषित की जा चुकी है।

III A नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 क (1) (ख) के अंतर्गत दिनांक 02.03.2019 को समिति के समक्ष 11 प्रकरण परीक्षण हेतु रखे गये। दिनांक 5.9.2018 को बैठक में 17 प्रकरण परीक्षण हेतु रखे गये थे।

III B म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत भोपाल के वृद्धित निवेश क्षेत्र में विकास अनुज्ञा देने के संबंध में दिनांक 16.3.2018 को 45 प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। दिनांक 8.3.2019 को 21 प्रकरण समिति के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये गये।

IV सिंहस्थ, 2016 के अभिन्यास/नियोजन तैयार किये गए। उक्त कार्य माह नवम्बर, 2015 से किया गया, जिसके देयक रू. 72.76 लाख की मांग शासन से की जाकर राशि प्राप्त किए जाने के प्रयास जारी हैं।

V संस्थान के 08 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का वर्ष 2018-19 में आयोजन किया गया तथा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार कर्मचारियों को पात्रता के दिनांक से समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया।

VI नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना तैयार करना।

VII विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण/क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशालायें/प्रशिक्षण आयोजित करना।

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय :-

''वे फारवर्ड इन अर्बन प्लानिंग इन मध्यप्रदेश'' पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में सहयोग एवं अमृत योजनान्तर्गत जी.आई.एस. आधारित विकास योजनायें तैयार किये जाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन अकादमी के माध्यम से संस्थान द्वारा किया गया।

राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अधिकारी/कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना विचाराधीन है।

भाग–पांच

अभिनव योजना :–

1. राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय के लिये जी.आई.एस. स्टूडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
2. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन हेतु सलाहकार के चयन हेतु आर.एफ.पी. जारी की गई।
3. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

भाग–छः

राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 2012 तक विकास प्राधिकरणों के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों का संकलन किया जाकर राज्य शासन तथा सभी विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध कराया गया है।

भाग–सात

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर संस्थान द्वारा अमल किया जा रहा है। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 11.2.2014 के परिपालन में संस्थान द्वारा आदेश क्र. 809 दिनांक 04. 06.2019 द्वारा एक पॉच सदस्यीय ''**आंतरिक परिवाद समिति**'' का गठन किया गया है। राज्य नगर नियोजन संस्थान में कार्यरत महिलाओं के लिये समुचित प्रसाधन व्यवस्था की गई है। उनके बैठने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान निर्धारित है।

राज्य नगर नियोजन संस्थान में महिला उत्पीडन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं है। संस्थान में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक महिला अधिकारी श्रीमती वर्षा जैन, सहायक वास्तुविद को ''**आंतरिक परिवाद समिति**'' का पीठासीन अधिकारी नामांकित किया है । वर्तमान में संस्थान में कुल– 11 महिलाकर्मी कार्यरत है ।

भाग–आठ

सारांश– आगामी वर्ष की योजनाऐं व कार्यक्रम

1. आगामी वर्ष में राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा आईडीएसएमटी आवर्ती कोष योजनान्तर्गत नगरों के योजना घटकों के वास्तुविदीय कार्य।
2. नगरीय निकायों की स्वःवित्तीय योजनाओं का वास्तुविदीय कार्य किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 4 नगरों की सूचना प्रौद्योगिकी का कार्य।
3. प्रदेश के 10 विकास प्राधिकरणों तथा 6 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के वार्षिक बजट का परीक्षण कर शासन को अग्रेषित करना तथा नवगठित विकास प्राधिकरणों के लिये वित्त प्रबंधन तथा मार्गदर्शन प्रदान करना।

4. विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समस्त योजनाओं का तकनीकी परीक्षण कर शासन को प्रेषित करना। इसके अन्तर्गत प्राधिकरणों को ई.डब्लू.एस. / एल.आई.जी आवास बनाने के लिये रियायती दर पर शासकीय भूमि के संबंध में योजनाओं का परीक्षण करना तथा योजनाओं का ले–आउट तैयार करना।

5. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 23 क (1) (ख) के अन्तर्गत उपान्तरण हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों / योजनाओं का परीक्षण कर नगर तथा ग्राम निवेश 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना

6. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा–16 के अंतर्गत प्रकरणों का परीक्षण कर नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के नियम 15 (5) में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

7. विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों / राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा तैयार की गई योजनाओं के Environmental Impact Assessment का कार्य।

8. नगर तथा ग्राम निवेश की नगर विकास योजनान्तर्गत नगरों की विकास योजना / जोनल प्लान तैयार करना। इसके अंतर्गत 4 नगरों की योजना तैयार कर नगर तथा ग्राम निवेश को प्रेषित एवं शेष 06 नगरों की योजना का कार्य प्रगति पर है।

9. 34 अमृत नगरों हेतु संचालनालय की वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेप आई.टी. के माध्यम से तैयार कराना।

10. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एवं नियम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संशोधन हेतु सलाहकार के चयन हेतु आर.एफ.पी. जारी की गई।

11. विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण हेतु तैयार किये गये प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करना तथा विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजित करना।

12. वर्ष 2018–19 में आई.डी.एस.एम.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों की रिवाल्विंग फण्ड में जमा पूॅजी से विभिन्न योजनाऐं तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

13. नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों को वैद्य करने हेतु अभिन्यास व विकास शुल्क का विवरण तैयार करने हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों की नियुक्ति।

14. एम.पी.यू.डी.सी.एल., रतलाम विकास प्राधिकरण व भोपाल विकास प्राधिकरण के विभिन्न कार्यो हेतु राज्य नगर नियोजन संस्थान में पंजीबद्ध सलाहकारों की नियुक्ति।

संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन तथा योजनाओं को तैयार करने / परीक्षण हेतु निजी सलाहकारों की सेवायें ली जाना प्रस्तावित है। इस हेतु पैनल ऑफ कन्सल्टेंट बनाया गया है। सलाहकारों की नियुक्ति / चयन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तथा सुस्पष्ट नीति तैयार की गई है। संस्थान का प्रयास यह है कि अधिकांश कार्य ''इन हाउस'' किये जाये।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा भू–उपयोग उपांतरण, विकास योजना, सूचना प्रौद्योगिकी के कार्य इस संस्थान के माध्यम से कराये जा रहे हैं। विगत माहों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, भूमि विकास नियम 1984 में किये गये व्यापक संशोधनों के परिपेक्ष्य में कई कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान के माध्यम से कराये जाने का प्रस्ताव है। इससे संचालनालय को कार्य संचालन में सहायता तथा विकास प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित हो सकेगा व राज्य नगर नियोजन संस्थान के कार्य संचालन में आ रही कठिनाईयों का निदान संभव हो सकेगा।

———0———

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य शासन का यह सदैव प्रयास रहा है कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना स्वयं का घर हो। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रदेश में आवासीय समस्या के निराकरण हेतु आवासहीन हितग्राहियों को विभिन्न श्रेणी के भवन एवं विकसित भूखण्ड, आवश्यक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने की दिशा में सतत् प्रयासरत हैं। मंडल द्वारा अपनी स्थापना वर्ष से 31 मार्च 2019 तक विभिन्न आय वर्ग के लिये 182765 आवास का निर्माण तथा 161715 भूखण्डों का विकास किया गया है। प्रदेश में शासकीय परिसरों के समुचित भूमि उपयोग हेतु शासन द्वारा जारी पुर्नघनत्वीकरण नीति अंतर्गत योजनाएं मण्डल द्वारा प्रारम्भ की गई हैं।

भाग – एक

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यालय का नाम	सिविल कार्यालय	विद्युत कार्यालय
उपायुक्त	08	01
संभागीय	29	04
उप संभागीय	67	08

दृष्टिकोण

1 मंडल का हितग्राहियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ सुन्दर, सदृढ़ व किफायती मूल्य पर आवासीय भवनों का निर्माण।

ब आधुनिक एवं कम लागत के निर्माण की तकनीकी से निर्माण करना।

स परियोजना को समय पर एवं बिना मूल्य वृध्दि के पूर्ण करना।

द योजनाओं में आवंटियों को विक्रित भवनों बाबत् पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना।

2 मंडल का शासन के प्रति दृष्टिकोण :

अ आवास निर्माण के क्षेत्र में निम्न आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के लिये आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा शासन द्वारा प्रदान निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति।

ब शासन पर वित्तीय भार को शून्य करना।

स शासन की प्रचलित नीति, निर्देशों अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

द. मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवासों के आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

3 मंडल का अपने कर्मियों के प्रति दृष्टिकोण :

अ मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति निष्पक्ष एवं स्वच्छ, पारदर्शी वातावरण सुनिश्चित करना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर प्रदान करना।

ब मानव संसाधन विकास की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं अनुसार कार्य करना।

स. अच्छे कार्य करने वाले कमियों को चिन्हित कर पुरूस्कृत करना।

मण्डल के उद्देश्य

1 वर्ष वार कार्य योजना निर्धारित कर क्रियान्वित करना, प्रशासकीय व्यय कम करना, किफायती मूल्य के भवन निर्माण के मार्गदर्शी सिद्धांतो को अमल में लाना।

2 भवन निर्माण में फ्लाई ऐश ईंटो एवं पर्यावरण अनुकूल नवीन तकनीकी अनुसार अच्छी गुणवत्ता के किफायती मूल्य के भवनों का निर्माण एवं विकास कार्य सुनिश्चित करना।

3 समाज के सभी वर्गों हेतु आवास एवं भूखण्डों का निर्माण।

4 अन्य विभागों/संस्थाओं हेतु निक्षेप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य संपादित करना।

5. शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

6 वेब साइट के माध्यम से मण्डल कर्मियों, आवंटियों एवं जन समुदाय हेतु महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराना।

1 स्थापना

म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना वर्ष 1960 में हुई। आवास स्थान की आवश्यकता के संबंध में कार्यवाही करने तथा उस आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु तथा अधोसंरचना विकास का दायित्व लेने हेतु उपाय करने के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश राज्य में गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मण्डल का गठन कर मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत मण्डल कार्यरत है। मण्डल की स्थापना प्रदेश की आवासीय समस्याओं के निराकरण, आवासहीन व्यक्तियों के लिये आवास गृहों के निर्माण एवं आवासीय भूखंडों को विकसित कर नागरिक सुविधाओं सहित उपलब्ध कराने के उददेश्य से की गई है। नागरिकों की आवासीय सुविधा के साथ–साथ केन्द्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, अर्द्धशासकीय संस्थाओं, निगमों, मण्डलों, बैंकों, सहकारी समितियों के भवन निर्माण संबंधी कार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत संपन्न कराये जाते हैं।

2 निर्माण एवं विकास कार्य

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्थापना से 31 मार्च 2019 तक विभिन्न आय वर्ग श्रेणियों के लिये **182765** आवास गृह तथा **161715** भूखण्डों का निर्माण एवं विकास किया गया है। भूखंड एवं भवनों के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति जैसे आफिस काम्पलेक्स, शापिंग सेन्टर, वाणिज्यिक क्षे्त्र तथा लोकोपयोगी भवन का निर्माण भी किया गया है।

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आवासीय परियेाजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं उनके उपक्रमों हेतु निक्षेप कार्य अंतर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करता है। इस क्रम में मण्डल द्वारा केन्द्र शासन हेतु केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसरो एवं राज्य शासन हेतु धर्मस्व विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ विभाग आदिमजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग, कौशल प्रदेश के विभिन्न विश्व विद्यालयों हेतु निर्माण कार्य निष्पादित किये हैं। शासन की पुनर्धनत्वीकरण योजना अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन भी मण्डल द्वारा किया जा रहा है।

भाग – दो

मण्डल की विगत पाँच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय जानकारी

(1) भवन निर्माण

(निर्मित भवनों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19 (मार्च 2019 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	885	1066	1150	1810	2311
2.	एल.आई.जी.	571	566	454	1349	2154
3.	एम.आई.जी.	344	319	339	352	259
4.	एच.आई.जी.	485	246	290	494	508
	कुल	**2245**	**2197**	**2233**	**4005**	**5232**

2) भूखण्ड विकास
(विकसित भूखण्डों की संख्या)

क्रमांक	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19 (मार्च 2019 तक)
1.	ई.डब्ल्यू.एस.	704	515	722	479	825
2.	एल.आई.जी.	499	643	430	246	267
3.	एम.आई.जी.	335	444	224	267	223
4.	एच.आई.जी.	207	271	112	488	116
	कुल	1745	1873	1488	1480	1431

(3) **मण्डल की वित्तीय स्थिति**

(राशि रू.करोड़)

क्रमांक	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19 (31 मार्च 2019 तक)
1.	टर्न ओवर	773.00	790.00	855.80	880.00	756.84

(4) स्वीकृत परियोजनाएँ

(राशि रू.लाख)

क्रमांक	विवरण		2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19 (31 मार्च 2019 तक)
1.	मण्डल द्वारा स्वीकृत परियोजनायें	योजना	96734.90	178451.51	113672.91	13153.77	46162.72
		संख्या	(14)	(60)	(35)	(07)	(17)

(5) प्रशासनिक व्यय

(राशि रू.लाख)

क्रमांक	विवरण	2014—15	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19 (31 मार्च 2019 तक)
1.	प्रशाासनिक व्यय	6500.00	8893.00	8066.98	5951.00	8667.00

कम्प्यूटराईजेशन का कार्य

(1) मंडल के ऑनलाईन साफ्टवेयर का NICSI,New Delhi से पंजीकृत संस्था से अंकेक्षण करा कर ISO 9001:2015 Surveillance Audit कराया गया ।

(2) एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से ई—पंजीयन एवं ई—ऑफर की सुविधा प्रारंभ की गई दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक मण्डल को निम्नानुसार पंजीयन राशि प्राप्त हुई।

कुल ई—पंजीयन — राशि प्राप्त — रू 12,31,94,442.00

कुल ई—ऑफर — राशि प्राप्त — रू. 32,38,79,771.00

दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2019 तक कुल प्राप्त राशि — रू. 281,25,54,577.00

(3) कम्प्यूटराईजेशन के अंतर्गत एवं ऑन लाईन पंजीयन/ऑफर उपलब्धता संबंधी जानकारी बाबत् उपभोक्ताओं को 1,25,000 एस.एम.एस. प्रेषित किये गये।

(4) (i) मण्डल के सभी उप संभागों को कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इन्टर नेट सुविधा उपलब्ध कराई गई।

(ii) मण्डल मुख्यालय/वृत्त/संभाग कार्यालयों हेतु 40 नये कम्प्यूटर भारत शासन e-Protal GeM के माध्यम से क्रय किये जाकर स्थापित किये गये।

(iii) मण्डल मुख्यालय में स्थापित lease line को 4 MBPS से बढ़ाकर 10 MBPS किया गया ताकि त्वरित गति से Online कार्य हो सके।

(5) मण्डल वेबसाइट www.mphousing.in को शासन के निर्देशानुसार GIGW Compliant की गई है।

(6) मण्डल की कार्य प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने एवं सभी कार्यो के समयबद्ध व सुचारू रूप से निष्पादन हेतु कम्प्यूटराईजेशन कार्य को अंतिम रूप देकर समस्त मोड्यूलस को ऑन लाईन किया गया है।

(7) म.प्र.शासन की ई–मेल नीति को मण्डल द्वारा अंगीकार कर मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों हेतु ई–मेल आई.डी. बनाकर सतत उपयोग किया जा रहा है।

(8) अविक्रित संपत्तियों के विक्रय में आम जन हेतु संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु Geo-tag software विकसित कर लोकार्पित किया गया।

(9) ई–मॉनिटरिंग व्यवस्था :–

मण्डल द्वारा अपने निर्माण कार्यो की Real Time मानिटरिंग हेतु Real Time Online PMIS (Project Monitoring Information System) विकसित किया गया है। इसमें निक्षेपकर्ता विभाग को भी अपने कार्यो की ऑनलाईन Real Time मानिटरिंग करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त CS Monitoring हेतु PMIS उपलब्ध कराया गया।

मण्डल की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु Mobile Application विकसित कर लोकार्पित किया गया।

CM Dashboard पर मण्डल द्वारा निर्माणाधीन अटल आश्रय योजनाओं की Real Time Monitoring सुविधा उपलब्ध है।

माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण (31 मार्च 2019 की स्थिति में)

अनु.क्र.	न्यायालयों का नाम	प्रकरणों की संख्या
1.	सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	24
2.	राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली	11
3.	उच्च न्यायालय, जबलपुर	686
4.	अवमानना प्रकरण	25
5.	राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल	242
6.	मध्यप्रदेश मध्यस्थम् अधिकरण विंध्याचल भवन, भोपाल	06
7.	राजस्व मण्डल	05
8.	रेरा	17
9.	रेरा अपीले	09
10	जिला न्यायालय	240
11	जिला उपभोक्ता फोरम	154
12	हरित अभिकरण एन.जी.टी.	01
13	औद्योगिक न्यायालय	00
14	श्रम न्यायालय	23

कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मे कस्टमर ग्रिवेन्स रिड्रेसल सेल की स्थापना जनवरी–2003 में हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य मंडल के हितग्राहियों एवं मंडल से संबंधित जनसामान्य की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है।

इस सेल की स्थापना दिनांक से 31 मार्च 2019 तक 4967 शिकायतें मंडल के हितग्राहियों से म.प्र. शासन के लोक सेवा प्रबंधन विभाग से एवं अन्य विभागों से प्राप्त हुई, जिसमें से 4604 (92.70 प्रतिशत) शिकायतों का निराकरण किया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ

मंडल द्वारा अपने निर्माण कार्यों का निष्पादन निर्धारित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित हो, इस उद्देश्य से गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन मुख्यालय स्तर पर किया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा मंडल के विभिन्न निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जारी की जाने वाली निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्त.), म.प्र. शासन द्वारा भी निर्माणाधीन योजना का समय समय पर निरीक्षण किया जाता है, तथा उनकी अनुशंसाओं का पालन मण्डल द्वारा सुनिशचित किया जाता है।

मंडल द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

1. दिनांक 01 मई 2017 से प्रदेश में भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण म.प्र. (रेरा) अस्तित्व में आया। प्राधिकरण के नियमानुसार समस्त निर्माणाधीन, प्रस्तावित रियल स्टेट योजनाओं का नियमानुसार पंजीयन रेरा में कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंध में मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए समय–सीमा में 78 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पंजीयन रेरा में कराया जाकर योजनाओं में पंजीयन आमंत्रण की आगामी कार्यवाही रेरा अनुपालन के नियमानुसार संपादित की जा रही है ।

2. मण्डल द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनसामान्य को आवासीय भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने, निक्षेप कार्य की दृष्टि से वर्ष 2018–19 में विभिन्न आवासीय योजना लागत **रू. 46162.72 लाख** स्वीकृत की गई हैं।

महत्वपूर्ण आवासीय योजनाओं वर्ष 2018–19 में स्वीकृत निविदाओं की जानकारी (31 मार्च 2019) तक

क्र.	कार्य का नाम	निविदा राशि (लाख में)
1	2	3
	वृत्त क्रमांक–1 भोपाल (निक्षेप कार्य)	
1	रेन्यूवेशन वर्क REAT office का चतुर्थ एवं पंचम तल का आंतरिक एवं जीर्णोधार का कार्य अमरकंटक भवन एम.पी.नगर भोपाल	419.61
	योग	**419.61**
	ग्वालियर (निक्षेप कार्य)	
2	300 शैया अस्पताल का निर्माण कार्य एवं उन्नयनीकरण जिला मुरैना	4559.49
3.	नव गृह हनुमान मंदिर एवं सत्यनारायण मंदिर का निर्माण कमलागंज ए.बी.रोड, शिवपुरी	835.12

4.	30 शैया अरबन कम्न्यूटी हेल्थ सेंटर एवं विकास कार्य का निर्माण कार्य दीनदयाल नगर, ग्वालियर	286.02
5.	निर्माण कार्य एक्जीविजन सेंटर(जी.आई.ई.सी.) एम.एस.एम.ई. इन्डस्ट्रीयल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल	374.94
	योग	**6055.57**
	वृत्त– जबलपुर (निक्षेप कार्य)	
6.	निर्माण कार्य जिला पंचायत भवन नरसिंहपुर,जनपद पंचायत भवन गोटेगांव जिलाहाट बाजार देवरी राजमार्ग, लालावती, नरसिंहपुर	306.63
7.	आई.टी.पार्क जबलपुर में बी ब्लॉक का निर्माण एवं विकास कार्य	2190.46
	योग	**2497.09**
	वृत्त सागर (स्व–वित्तीय एवं मण्डल आवासीय योजना)	
8.	2 एच.आई.जी.-B, 5 एम.आई.जी.--A, 5 एम.आई.जी -B, 45 एल. आई.जी -A, 10 एल.आई.जी -B का निर्माण कार्य पं0 दीनदयाल नगर, सागर।	622.23
	योग	622.23
	वृत्त रीवा (अटल आश्रय योजना/निक्षेप कार्य)	
9.	26 एल.आई.जी., 16 ई.डब्ल्यू.एस. एवं एक भाग का निर्माण कार्य बानसागर कालोनी बंहोरी जिला शहडोल।	337.25
10.	माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवसिटी का निर्माण एवं विकास कार्य	2820.31
	योग	**3157.56**
	वृत्त उज्जैन (निक्षेप कार्य)	
11.	जीर्णोधार एवं विकास कार्य गया कोटा मंदिर उज्जैन	767.13
	वृत्त इंदौर	
12.	बाह्य विद्युतीकरण कार्य आई.टी.पार्कइंदौर	357.37
13.	पुनर्धनत्वीकरण योजना पुरानी तहसील महू में प्रशासनिक भवन एवं स्टाफ क्वाटर एवं केम्पस का विकास कार्य महू इंदौर।	1734.75
	निक्षेप कार्य	
14.	आई.टी.आई. बिल्डिंग एवं होस्टल बिल्डिंग का निर्माण कार्य भोपाल/होशंगाबाद एवं भिण्ड	11380.00
15.	आई.टी.आई. बिल्डिंग का निर्माण कार्य जबलपुर/रीवा/सागर/शहडोल	11789.60
16.	आई.टी.आई. बिल्डिंग का निर्माण कार्य इंदौर/उज्जैन	6799.99
17.	आंतरिक सिविल कार्य एवं विद्युत कार्य	581.82
	स्वयं वित्तीय योजना	622.23 लाख
	आई.टी.आई. बिल्डिंग	30551.41 लाख
	अटल आश्रय योजना	337.25 लाख
	निक्षेप कार्य	12917.08 लाख
	पुर्नधनत्वीकरण योजनाएं	1734.75 लाख
	महायोग	**6162.72 लाख**

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की स्वयं की महत्वपूर्ण निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित आवासीय योजनाओं की जानकारी

1- प्रदेश के कई शहरों एवं जिला मुख्यालयों पर शासकीय भवन ऐसी भूमि पर स्थित है, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसी भूमि के उचित उपयोग तथा आवास समस्या हल करने के लिए राज्य शासन द्वारा पुनर्घनत्वीकरण (रीडेन्सीफिकेशन) योजना प्रारंभ की गई है।

2. मण्डल द्वारा क्रियान्वित की जा रही पुनर्धत्वीकरण योजनाओं से प्रदेश में विकास/रोजगार/अधोसंरचना संबंधी सुदृढ़ीकरण होगा जिससे निवेशकर्ता प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे एवं प्रदेश के सामाजिक स्तर के उन्नयन में सहायक होगा।

प्रमुखता

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा निजी भागीदारी के माध्यम से वृह्द परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे शासन पर आर्थिक भार न होते हुए शहर का विकास किया जा सके। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा व्यवसायिक रूप से परिसरों के निर्माण कार्य हेतु प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की प्रतिष्ठित एवं विशेषज्ञता प्राप्त संस्थाओं से योगदान प्राप्त कर निर्माण कार्य पूर्ण किये जावेंगे, जिसके लिए अधोसंरचना का विकास इस प्रकार किया जावेगा कि उनकी भागीदारी स्वतः ही सुनिश्चित हो जावे। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों से प्रारम्भ किया जावेगा।

अटल आश्रय योजनांतर्गत अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

शासन से कमजोर आय वर्ग एंव निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों हेतु आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रियायती दर पर शासकीय भूमि प्राप्त कर अटल आश्रय येाजना क्रियान्वित की जा रही है।

क्रमांक	विवरण	योजनाएं	कुल इकाइयां
1.	पूर्ण योजनाएं	11	1704
2.	निर्माणाधीन योजनाएं	15	4173
3.	पंजीयनरत योजनाएं	24	5733
4	प्रस्तावित योजनाएं	18	6683
योग			**18293**

⇒ मण्डल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि किये जाने वाले कार्यो में न सिर्फ जनभागीदारी सुनिश्चित की जावे, बल्कि निर्माण कार्य भी इस प्रकार हों कि प्रदेश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें।

⇒ यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि छोटे शहरों में भी योजनायें प्रारम्भ की जावें, ताकि उनका न सिर्फ विकास हो सके अपितु उन क्षेत्रों की जनसंख्या को बड़े शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति से रोका जा सके।

⇒ मंडल द्वारा विकसित कालोनियों के सुचारू रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 में 02 कालोनियाँ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की हैं।

शासन के अन्य विभागों हेतु कन्सलटेन्सी

मण्डल के द्वारा अपनी परियोजनाओ के सफल क्रियान्वयन के अलावा म.प्र. शासन/केन्द्र शासन के अन्य विभागों के लिये डिपोजिट वर्क एवं कन्सलटेन्ट एजेन्सी के तौर पर भी कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2018–2019 की प्रगतिशील योजनाएं निम्नलिखित है :–

शासकीय विभागों हेतु निक्षेप निर्माण कार्य

क्र.	निक्षेपकर्ता विभाग	कार्यो का विवरण	कार्यो की संख्या	स्वीकृत राशि (करोड़ में)
1.	सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग	इन्दौर, भोपाल, एवं जबलपुर आई.टी.पार्क का विकास एवं निर्माण	09	381.40
2.	कौशल विकास विभाग	मेगा आई.टी.आई. भवन	14	309.61
3.	तकनीकी शिक्षा विभाग	पॉलिटेक्निक कालेज के मुख्य भवन एवं छात्रावासों का निर्माण	40	128.55
4.	जनसंपर्क विभाग	विशनखेड़ी, भोपाल विश्वविद्यालय परिसर का विकास एवं निर्माण	03	236.74
5.	उच्च शिक्षा विभाग	महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का निर्माणए आई.ई.एच.ई (एक्सीलेंस कालेज)	27	71.00
6.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	300 बिस्तरीय अस्पताल मुरैना समस्त निर्माण कार्य	01	60.00
7.	धर्मस्व विभाग	मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य	205	33.00
8.	उद्योग विभाग	6 जिलों में उद्योग विभाग के कार्य	06	20.00
9.	पशुपालन विभाग के विभिन्न जिलों के कार्य	–	09	191.25
10.	स्वास्थ्य विभाग	चरक अस्पताल उज्जैन में स्टॉफ क्वाटर्स 30 शैय्या स्वास्थ केन्द्र ग्वालियर स्टाफ क्वाटर्स मुरैना	03	10.00
11.	तकनीकी शिक्षा नवीन कार्य	3 जिलों में पोलिटेक्निक के कार्य	03	10.00
12.	राजस्व विभाग	पन्ना एवं सिंगरौली कलेक्टेट भवन एवं जी.ए.डी. क्वाटर्स	02	08.45
13.	हस्तशिल्प विभाग	(सी.एफ.सी. एवं जीर्णोद्धार)	17	6.65
14.	रेशम विभाग	बीविंग सेंटर	12	4.57
15.	सहकारिता विभाग	सहकारी बैंक मुरैना कार्यालय भवन निर्माण	01	4.50
16.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	क्षेत्रीय कार्यालय मण्डीदीप	01	4.50
17.	महिला बाल विकास विभाग	भोपाल में काम काजी महिलाओं के लिए 100 शैया छात्रावास का निर्माण कार्य	01	3.00

18.	रेरा	रेरा आंतरिक भवन के साज–सज्जा का कार्य	01	2.67
19.	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	गोविन्दपुरा भोपाल में एग्जीबिशन सेंटर का निर्माण कार्य	01	178.57
20.	सूक्ष्म एवं लघु मध्यम इंटरप्राइजेस		07	2029.50
		कुल योग	**363**	**3694.15**

पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या
1	पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	02
2	प्रगतिशील पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं	04
3	निविदा स्तर की योजनाऐं	04
4	निर्माण ऐजेंसी के रूप में मण्डल द्वारा क्रियान्वित योजनाऐं	04
5	डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	01
6	पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं	12
	कुल योजनाऐं	**27**

1. **पूर्ण पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं**

क्र	योजना का नाम / स्वीकृत आफर (रू. करोड में)	शासकीय संरचनाए / लागत	प्रगति
1	रीवा शहर में बाल भारती स्कूल के सामने स्थित 16734.00 वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना / रू. 37.00	नवीन कलेक्ट्रेट भवन आदि / रू. 18.60 करोड	योजना पूर्ण, अंतिम मूल्याकंन किया जा रहा है।
2	रीवा शहर में एसपी बंगले के सामने स्थित 4718.00 वर्ग मीटर वर्ग मीटर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना / रू. 24.24	आडिटोरियम एवं कुलपति निवास / रू. 17.00 करोड	––तदैव––

2. **प्रगतिशील पुनर्घनत्वीकरण योजनाऐं**

क्र	योजना का नाम / स्वीकृत आफर (रू. करोड में)	शासकीय संरचनाए / लागत	प्रगति
1	रीवा शहर में शासकीय मुद्रणालय की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना / रू. 05.50	नवीन मुद्रणालय एवं नवीन कलेक्ट्रेट भवन में फर्नीचर एवं आंतरिक साज–सज्जा का कार्य	कार्य प्रगति पर
2	भापोल में साउथ टीटी नगर पुनर्घनत्वीकरण योजना / रू. 335.00	–	मंत्री– परिषद द्वारा विकासकर्ता के आवेदन पर निर्णय होना शेष है।

3	रीवा शहर में खन्ना चौराहे पर स्थित राजस्व विभाग की भूमि एवं बजरंग नगर स्थित जल संसाधन विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 56.00	बीहर नदी का सौंदर्यीकरण, जल संसाधन विभाग का कार्यालय, 76 आवास गृह एवं शिविल लाईन में फुट–पाथ पर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य	रू. 56.36 करोड का आफर साधिकार समिति के द्वारा दि. 23 मई 2018 को स्वीकृत किया गया बिडर द्वारा दि. 12.09.2018 को अनुबंध कर कार्य प्रारंभ। भवनों का कार्य प्रारंभ किया गया। जल संसाधन विभाग के कार्यालय का कार्य भूमि अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका इसी प्रकार नदी के किनारों पर अतिक्रमण के कारण सौंदर्यीकरण के कार्य प्रारंभ नहीं हो सकें
4	रीवा शहर में कला मंदिर रोड पर राजस्व विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 19.00	सहकारी बैंक का कार्य, 24 आवास गृह, रतहरा तालाब का सौंदर्यीकरण एवं कम्युनिटी हॉल का निर्माण	वित्तीय आफर दि. 06. 07.18 को खोले गये। आयुक्त संभाग रीवा द्वारा आफर स्वीकृत किया गया। बिडर द्वारा दि. 04.10.18 को अनुबंध निष्पादित कर कार्य प्रारंभ। पुराने सहकारी बैंक के भवन को तोडकर नवीन भवन निर्माण कार्य प्रारंभ।

3. **निविदा स्तर की योजनाऐं**

क्र	योजना का नाम/अपसेट मूल्य (रू.करोड़ में)	विवरण
1	पुरानी जेल भोपाल की 20.94 हेक्टर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 432.00	दि . 24 अप्रैल 2019 को साधिकार समिति के द्वारा जेल विभाग से उठाई गई आपत्तियों को निरस्त किया गया निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।
2	थाटीपुर ग्वालियर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 700.00	दि. 23 मई 2018 को साधिकार समिति के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृत की गई पैकेज–1 के लिये निविदा आमंत्रित की गई परन्तु कोई बिड प्राप्त नहीं हुई। पुनः बिड आमंत्रण हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।
3	देवास जिला अस्पताल के आवासीय परिसर की 8463.00 वर्ग मीटर भूमि पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 16.00	दि. 04.10.18 को डी.पी.आर. साधिकार समिति के द्वारा अनुमोदित। स्वास्थ्य विभाग की आपत्तियों पर साधिकार समिति का निर्णय अपेक्षित है।

4	बुरहानपुर जिला अस्पताल एवं तहसील/जनपद परिसर की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 42.00	दि. 04.10.2018 को डी.पी.आर. साधिकार समिति के द्वारा अनुमोदित। निविदा आमंत्रित की गई परन्तु कोई बिड प्राप्त नहीं हुई। पुनः बिड आमंत्रण हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

4. निर्माण ऐजेंसी के रूप में मण्डल द्वारा क्रियान्वित योजनाऐं

क्र	**योजना का नाम/अपसेट मूल्य (रू.करोड़ में)**	**विवरण**
1	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, तुलसी नगर स्थित 1. 91 एकड भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 16.00 (मण्डल के द्वारा निर्माण एजेंसी के रूप में क्रियान्वित)	दि. . 23.02.2018 को साधिकार समिति के द्वारा डी.पी. आर. स्वीकृत की गई । निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।
2	सियागंज इंदौर स्थित आबकारी विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 19.25 (मण्डल के द्वारा निर्माण एजेंसी के रूप में क्रियान्वित)	भूमि पर न्यायालयीन विवाद होने के कारण । निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
3	छोटी ओमती जबलपुर की पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 23.52	प्रशासनी भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
4	डॉ. अम्बेडकर नगर महु में तहसील कार्यालय की पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 20.00 (मण्डल के द्वारा निर्माण एजेंसी के रूप में क्रियान्वित)	योजना अंतर्गत प्रस्तावित तहसील कार्यालय एवं आवासीय भवनों का कार्य प्रगति पर है।

5. डी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं

क्र	**योजना का नाम/अपसेट मूल्य (रू.करोड़ में)**	**विवरण**
1	सिंगरौली में सिंचाई विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 58.00	दि. 22.04.17 को डी.पी.आर. अनुमोदित परन्तु भूमि उपयोग उपांतरण लम्बित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

6. **पी.पी.आर. अनुमोदन प्राप्त योजनाऐं**

क्र	योजना का नाम/अपसेट मूल्य (रू.करोड़ में)	विवरण
1	उज्जैन स्थित राजस्व कालोनी की 2. 57 हेक्टर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 60.00	डी.पी.आर. तैयार की गई है किन्तु भूमि उपयोग उपांतरण लम्बित होने के कारण निविदा आमंत्रण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
2	सीहोर तहसील कार्यालय की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 19.00	कलेक्टर सीहोर के द्वारा योजना पुनरीक्षित की जा रही है भूमि उपयोग उपांतरण लम्बित।
3	झाबुआ शहर में बस स्टैण्ड एवं सब्जी मण्डी के भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 18.00	भूमि उपयोग उपांतरण लम्बित है। डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
4	मुरैना शहर में सब्जी मण्डी के भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 107.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
5	बैतूल शहर में पुरानी जेल की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 60.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
6	शहडोल शहर में वन विभाग की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 32.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
7	मुरैना शहर में कलेक्ट्रेट की 1.21 भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 233.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
8	सतना शहर में पुराने पोलिटेक्निक परिसर की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 80.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
9	सतना शहर में आबकारी विभाग के गोदाम एवं सब्जी मण्डी की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 20.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

10	सीधी जिला मुख्यालय के सम्राट चौक स्थित शासकीय आवासों की 1.91 हेक्टर भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 29.00	भूमि उपयोग उपांतरण लम्बित है। डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
11	शिवपुरी जिला मुख्यालय में पुराने बस स्टैण्ड (1.09 हेक्टर) एवं कोठी नम्बर 12 की भूमि (0.09 हेक्टर) की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना /रू. 107.00	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
12	झाबुआ जिले की मेघनगर तहसील मुख्यालय के सॉई चौराहा एवं रेल्वे स्टेशन के पास स्थित पुराने भवनों के परिसर की भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन (पी.पी.आर.) का अनुमोदन	डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।

भाग –तीन

बजट

मण्डल एक स्व वित्त पोषित संस्था है, मण्डल को आवासीय भवनों/भूखण्ड की योजनाओं, निक्षेप एवं पुनर्धनत्वीकरण योजनाओं से प्राप्त पर्यवेक्षण शुल्क मण्डल की आय के मुख्य स्त्रोत हैं।

1. मण्डल के अंतिम लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 विधान सभा पटल पर माह जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया ।
2. मण्डल गठन के पश्चात् वर्ष 2018–19 में सर्वाधित शुद्ध लाभ रू.20.00 करोड़ हुआ है, (आयकर पश्चात्)।
3. हितग्राहियों को आवास सुविधाजनक ऋण उपलब्ध कराने हेतु 6 राष्ट्रीयकृत बैंक व 6 वित्तीय संस्थानों (माईक्रो फायनेन्स) के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है।
4. एन.एच.बी. एवं शासकीय ऋण की प्रीमेच्युर भुगतान एवं समस्त देयताओं का भुगतान कर मण्डल ऋणमुक्त संस्थान बन गया।
5. एन.पी.एस. के अंतर्गत वर्ष 2005 के पश्चात सेवा में आने मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा काटी गई राशि एन.पी.एस. में जमा की जा रही है।
6. दि. 06.02.2019 में संचालक मण्डल के 247 वे सम्मेलन में वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया।

भाग – चार

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) अटल आश्रय योजना
(ब) पुनर्घनत्वीकरण योजना
(स) पी एम ए वाई (PMAY)

भाग – पांच

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) फरवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से विधान सभा सचिवालय से कुल 52 प्रश्न प्राप्त हुए (17 तारांकित प्रश्न, 21 अतारांकित प्रश्न, 06 आश्वासन, 06 ध्यानाकर्षण, 02 अभ्यावेदन, 00 राज्य सभा , शून्य काल सूचना 00 एवं 00 लोक सभा प्रश्न) । मण्डल द्वारा समय–सीमा में प्रश्नों से संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(ब) वर्ष 2018–19 में 31 मार्च 2019 तक स्थानांतरण/पदोन्नति/नियुक्ति के प्रकरणों की जानकारी–

क.	विवरण	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	स्थानांतरण	13	44	90	01
2	पदोन्नति	00	01	00	00
3	नियुक्ति	00	00	93	00

(स) वर्ष 2018–19 में 31 मार्च 2019 तक विभागीय जांच प्रकरणों की जानकारी –

1	मार्च 2019 तक जॉच संस्थित शेष प्रकरण	19
2	मार्च 2019 तक प्राप्त जॉच प्रतिवेदन	18
3	निराकृत प्रकरण	6

भाग – छः

राज्य महिला नीति एवं कार्य योजना

राज्य महिला नीति की कार्ययोजना के पालन में राज्य महिला आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर अमल किया जा रहा है। म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल में महिला कर्मियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये मंडल द्वारा एक महिला अधिकारी श्रीमती स्मिता निगम, वास्तुविद को नामांकित किया है। वर्तमान में मण्डल में कुल 144 महिला कर्मी है।

भाग – सात

पहल 2018–2019

- दरों का युक्ति युक्त करण कर पुरानी संपत्ति का विक्रय
- पुरानी अविकृित संपत्ति का एम एस टीसी (MSTC) के माध्यम से विक्रय
- बैंकों से हितग्राहियों को ऋण प्रदाय हेतु समन्वय
- 5 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टस् में cost effectiveness परीक्षण अनिवार्य

- कमजोर आय वर्ग को रियायती दर पर संपत्ति का विक्रय
- मण्डल तकनीकी कर्मियों को QUALITY CONTROL पर प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सैल की स्थापना
- मण्डल में पदस्थ वरिष्ठ सहायको एवं उनके समकक्ष कर्मचारियों को संभागीय लेखापाल का प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना
- उपयंत्री/सहायक यंत्रीयों को लेखा परीक्षण प्रशिक्षण एवं परीक्षा आयोजित करना।
- ## laj{kkRed mik;

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा अपनी योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति निःशक्तजन तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण रखा जाता है। आरक्षित वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी प्रभावी बनाने के लिये विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

LFkkuh; fudk;ksa dks dkyksuh gLrkarj.k

वर्ष 2018–19 (31 मार्च 2019 तक) में म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की विभिन्न स्थानों पर नगर निकायों को हस्तांतरित कालोनियों की सूची –

क्र.	कालोनी का नाम एवं स्थान	स्वीकृत राशि (रू.लाख में)
1.	कादम्बरी नगर इंदौर	135.00
2.	कामायनी नगर राऊ इंदौर	150.00
	योग	**285.00**

––0––

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम

भाग–एक

विभागीय संरचना

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का पंजीयन मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 18851 दिनांक 01 फरवरी, 1988 है। इस निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थित है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश है। इसके अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग हैं तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग पदेन प्रबंध संचालक होते हैं। वर्तमान में प्रबंध संचालक पद का कार्य अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी देख रहे हैं तथा निगम कार्यालय में 3 तृतीय श्रेणी एवं 3 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं।

अधीनस्थ कार्यालय

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम का एकमात्र कार्यालय/मुख्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म. प्र.) में स्थित है तथा प्रदेश में इसका कोई अन्य अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

निगम के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएं

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का एक प्रतिष्ठान है तथा इस निगम के अन्तर्गत अन्य कोई संस्था कार्यरत नहीं है।

निगम के दायित्व

राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान के लिये इस निगम की स्थापना की गई है।

निगम से सम्बंधित सामान्य जानकारी

(1) निगम द्वारा कर्मचारियों की आवासीय समस्या के निदान हेतु शासन से भूमि प्राप्त की जाती है तथा आवश्यकतानुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है।

(2) वित्तीय संस्थाओं जैसे हाउसिंग डेव्हलपमेंट एवं फायनेंस कार्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, नेशनल हाउसिंग बैंक आदि से आवश्यकतानुसार उक्त कार्य हेतु ऋण राशि प्राप्त कर, हितग्राहियों द्वारा उसके भुगतान के प्रबंधन का कार्य किया जाता है।

(3) सामान्य रूप से म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं के माध्यम से आवास निर्माण एवं भू–खण्डों के विकास का कार्य कराया जाता है।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं

निगम द्वारा प्रदेश के सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स के माध्यम से राज्य शासन एवं उसके द्वारा स्थापित सहकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को उचित दरों पर आवासीय सुविधा सुलभ कराने का कार्य किया जाता है।

महत्वपूर्ण सांख्यकी

क्रमांक	उपलब्धियॉ	हिग्राहियों की संख्या
01.	निर्मित आवास उपलब्ध कराना	238
02.	विकसित भू–खण्ड उपलब्ध कराना	2,868

भाग–दो

बजट

निगम एक स्ववित्त पोषित संस्था है। संस्था की आय के स्त्रोत निगम की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों/भवनों से प्राप्त एक प्रतिशत स्थापना शुल्क एवं ऋण/जमा आदि पर प्राप्त ब्याज की राशि है।

मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निगम की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 1995–96 से एक निश्चित राशि धनवेष्ठन हेतु निगम को उपलब्ध कराई जा रही थी परन्तु मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–2005 से कोई राशि इस निगम को धनवेष्ठन हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई है। निगम द्वारा आगामी समय में प्रस्तावित आवासीय योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 200.00 लाख धनवेष्ठन हेतु तथा निगम के स्थापना व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु भी प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार राशि इस निगम को उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है।

निगम के वित्तीय वर्ष 2018–2019 एवं के खातो का अकेंक्षण का कार्य किया जा रहा है।

भाग–तीन

राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

(अ) **राज्य योजनाएं**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2017 तक ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच (भू–खण्डों का विकास एवं भवनों का निर्माण), धार, कटनी,रीवा,दमोह एवं रतलाम,झाबुआ में लगभग रूपए 2,915.20 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के विकास एवं भवनों के निर्माण का कार्य गतिशील है तथा निगम द्वारा विगत तीन वर्षों में इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 250 भू–खण्डों तथा विभिन्न श्रेणी के 46 भवनों का आवंटन किया गया तथा इस वर्ष विभिन्न श्रेणी के 168 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

महामहिम राज्यपाल महोदय के विगत वर्षों के अभिभाषणों के संदर्भ में दिसम्बर, 2015 तक निगम द्वारा प्रदेश के 03 जिला मुख्यालयों में विभिन्न श्रेणी के 421 आवासीय भू–खण्डों की लगभग रूपए 870.54 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भू–खण्डों के आवंटन हेतु तथा 01 जिला मुख्यालय में विभिन्न श्रेणी के 46 आवासीय भवनों की लगभग रूपए 377.14 लाख लागत की आवासीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की गई।

(ब) **केन्द्र प्रवर्तित योजना :–** निरंक।

(स) **विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं :–** निरंक।

(द) **विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं :–** निरंक।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

(अ) जाँच समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों, नियुक्तियों तथा स्थानान्तरणों के सम्बंध मे जानकारी निरंक है।

(ब) मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 के क्रम में निगम कार्यालय में की गई पदोन्नतियों के सम्बंध में जानकारी निरंक है।

(स) जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से कुल 01 तारांकित प्रश्न प्राप्त हुया। निगम द्वारा प्राप्त प्रश्न के सम्बंध में वॉछित जानकारी समय–सीमा में विभाग को उपलब्ध कराई गई।

(द) इस निगम द्वारा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त विधान सभा से सम्बंधित आश्वासनों, विभिन्न याचिकाओं, लोक लेखा समिति, याचिका समिति, प्रश्नोत्तर समिति, प्राक्कलन समिति आदि के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही कर, विभाग को अवगत कराया गया।

(इ) वर्ष 2018–2019 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2018 तक इस निगम के विरूद्ध कुल 05 न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हुये। निगम द्वारा सभी प्रकरणों के जवाबदावे निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

भाग–पाँच

अभिनव योजना निरंक।

भाग–छः

इस निगम द्वारा कोई प्रकाशन नहीं किये जाते हैं। अतः जानकारी निरंक है।

भाग–सात

महिलाओं के लिये किये गये कार्यों के सम्बंध में जानकारी

निगम द्वारा अपनी आवासीय परियोजनाओं के अन्तर्गत अपनी स्थापना से लेकर वर्ष 2008 तक 353 तथा विगत चार वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 15 आवासीय भू–खण्डों, 07 आवासीय भवनों एवं वर्ष 2015–16 में 21 आवासीय भू–खण्डों इस प्रकार कुल 406 पात्र महिला कर्मचारियों को आवासीय भू–खण्डों/भवनों का आवंटन किया गया है।

भाग–आठ

सारांश

इस निगम द्वारा शासकीय सेवकों को आवासीय सुविधा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में भोपाल एवं नीमच में विभिन्न श्रेणी के 238 निर्मित आवासों तथा ग्वालियर, मन्दसौर, नीमच, धार, कटनी, रीवा, दमोह,रतलाम एवं झाबुआ में विभिन्न श्रेणी के 2868 आवासीय भू–खण्डों का आवंटन पात्र शासकीय सेवकों को किया गया है। निगम का लक्ष्य प्रदेश के समस्त आवासहीन शासकीय कर्मचारियों को आवासीय सुविधा सुविधा सुलभ कराना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी वर्ष में सम्बंधित सम्भागायुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स द्वारा निर्धारित समयावधि में निगम की आवासीय योजनाओं हेतु प्रस्तावित भूमियों का आवंटन निगम के पक्ष में किया जाकर, आधिपत्य निगम को सौंप दिये जाने पर प्रदेश के चार जिला मुख्यालयों में अनुमानित लागत रूपए 1446.57 लाख की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 448 आवासीय भू–खण्डों के विकास का कार्य प्रारम्भ/पूर्ण किया जाकर, इनका आवंटन पात्र कर्मचारियों को किया गया है।

————

परिशिष्ट–एक

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश का स्वीकृत प्रशासकीय अमला

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आयुक्त	01	01	00
2	अपर आयुक्त	03	03	00
3	अपर संचालक	03	01	02
4	संयुक्त संचालक	06	05	01
5	उप संचालक	08	05	03
6	सहायक संचालक	12	08	04
7	लेखा अधिकारी	01	00	01
8	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04	02	02
9	अधीक्षक	09	05	04
10	वरिष्ठ निज सहायक	02	00	02
11	निज सहायक	04	01	03
12	शीघ्रलेखक वर्ग–3	09	06	03
13	सहायक वर्ग–1	19	13	06
14	सहायक वर्ग–1 (सांख्ये.)	01	01	00
15	लेखापाल	07	00	07
16	लेखापाल चुंगी	01	00	01
17	सहायक वर्ग–2	27	18	09
18	सहायक वर्ग–3	52	22	30
19	वाहन चालक	12	04	08
20	दफ्तरी	00	03	03 अधिक
21	भृत्य	16	19	03 अधिक
	योग	**197**	**117**	

———————

संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक	10	09	01
2.	उप संचालक	03	00	03
3.	सहायक संचालक	10	06	04
4.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	02	00	02
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05	00	05
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	10	04	06
7.	अधीक्षक	10	04	06
8.	सहायक वर्ग–1	20	15	05
9.	लेखापाल	10	01	09
10.	सहायक वर्ग–2	30	16	14
11.	सहायक वर्ग–3	40	14	26
12	वाहन चालक	13	01	12
12.	भृत्य	20	11	09
	योग	**183**	**81**	**102**

———————

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद संख्या	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमुख अभियंता	01	01	00
2.	मुख्य अभियंता	01	00	01
3.	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधि.	03	00	03
4.	अधीक्षण यंत्री	03	03	00
5.	कार्यपालन यंत्री	06	04	02
6.	सहायक यंत्री	06	09	3 अधिक
7.	प्रशासकीय अधिकारी	01	00	01
8.	सहायक संचालक	01	01	00
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	01	00
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	02	00
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	13	04	09
12.	उपयंत्री	00	18	18 अधिक
13.	सहायक अधीक्षक	01	00	01
14.	सहायक वर्ग–1	10	00	10
15.	लेखापाल	01	00	01
16.	सहायक वर्ग–2	10	04	06
17.	मानचित्रकार	02	01	01
18.	स्टेनोटायपिस्ट	01	00	01
19.	अंग्रेजी टायपिस्ट	01	00	01
20.	अनुरेखक (ट्रेसर)	01	00	01
21.	सहायक वर्ग–3	20	16	04
22.	व्यवस्थापक	01	00	01
23.	इलेक्ट्रीशियन	01	00	01
24.	वाहन चालक	17	14	03
25.	भृत्य	11	11	00
26.	चेनमेन	01	00	01
27.	माली	03	02	01
28.	चौकीदार	08	07	01
29.	मॉडलर	02	00	02
30.	पंप अटेडेंट	01	01	00
31.	वाटर मेन	01	00	01
32.	सफाई कामगार	06	01	05
	योग	**137**	**100**	**58**

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,यांत्रिकी प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अधीक्षण यंत्री	10	0	10
2.	कार्यपालन यंत्री	20	10	10
3.	विशेष कर्तव्यस्थ अधि.	2	0	2
4.	सहायक यंत्री	20	9	11
5.	मानचित्रकार	7	1	6
6.	ट्रेसर	7	0	7
7.	सहायक वर्ग–3	14	14	0
8.	वाहन चालक	7	3	4
9.	भृत्य	14	14	0
10.	चौकीदार	8	4	4
	योग	**109**	**55**	**54**

जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	परियोजना अधिकारी	50	38	12	प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं
2	सहायक परियोजना अधिकारी	62	30	32	–"–
3	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	38	0	38	–"–
4	आशुलिपिक/स्टेनो टाइपिस्ट	50	9	41	प्रतिनियुक्ति/संविदा से भरे जाते हैं
5	वाहन चालक	25	15	10	–"–
6	भृत्य	88	20	68	संविदा
7	फर्राश सह चौकीदार	35	12	23	–"–
	योग	**348**	**124**	**224**	

————

परिशिष्ट–दो

प्रदेश के नगरीय निकायों की संभाग/जिलावार सूची

संभाग का नाम	जिले का नाम	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद	नगर परिषद
1 ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. ग्वालियर	1. डबरा	1. पिछोर 2. बिलौआ 3. आंतरी 4. भितरवार 5. मोहना
	2. शिवपुरी		2. शिवपुरी	6. करेरा 7. कोलारस 8. खनियाधाना 9. पिछोर 10. बदरवास 11. नरवर 12. बैराड 13. रन्नौद* 14. पोहरी* 15. मगरौनी*
	3. गुना		3. गुना 4. राधोगढ़	16. चाचौडाबीनागंज 17. आरोन 18. कुंभराज 19. मधुसूदनगढ़*
	4. अशोकनगर		5. अशोकनगर 6. चंदेरी	20. मुंगावली 21. ईसागढ 22. शाढौरा 23. पिपरई*
	5. दतिया		7. दतिया	24. भांण्डेर 25. इंदरगढ़ 26. सेवड़ा 27. बड़ोनी
2. चंबल	6. भिण्ड		8. भिण्ड 9. गोहद	28. मेहगांव 29. लहार 30. गोरमी 31. अकोड़ा 32. मिहोना 33. आलमपुर 34. दबोह 35. मौ 36. फूफकलां 37. रौन* 38. मालनपुर*
	7. मुरैना	2. मुरैना	10. अम्बाह 11. पोरसा 12. सबलगढ़	39. जौरा 40. कैलारस 41. झुण्डपुरा 42. बामौर
	8. श्योपुरकलां		13. श्योपुरकलां	43. विजयपुर 44. बड़ौदा

3. इंदौर	9. इंदौर	3. इंदौर		45. देपालपुर 46. सांवेर 47. गौतमपुरा 48. बेटमा 49. राऊ 50. हातौद 51. मानपुर 52. महुगांव
	10. धार		14. धार 15. मनावर 16. पीथमपुर	53. राजगढ़ 54. कुक्षी 55. बदनावर 56. धरमपुरी 57. धामनौद 58. सरदारपुर 59. मांडव 60. डही 61. बाग* 62. गंधवानी*
	11. बड़वानी		17. सेंधवा 18. बड़वानी	63. अंजड़ 64. राजपुर 65. खेतिया 66. पानसेमल 67. पलसूद 68. ठीकरी* 69. निवाली बुजुर्ग*
	12. झाबुआ		19. झाबुआ	70. थांदला 71. पेटलावद 72. रानापुर 73. मेघनगर
	13. अलीराजपुर		20. अलीराजपुर	74. जोबट 75. भावरा
	14.पश्चिमनिमाड़ (खरगौन)		21. खरगौन 22. सनावद 23. बड़वाह	76. मण्डलेश्वर 77. कसरावद 78. भीकनगांव 79. महेश्वर 80. करही एवं पांडल्याखुर्द 81. बिस्टान*
	15. पूर्व निमाड़ (खंडवा)	4. खंडवा		82. मूंदी 83. पंधाना 84. ओंकारेश्वर 85. छनेरा
	16.बुरहानपुर	5. बुरहानपुर	24. नेपानगर	86. शाहपुर
4. उज्जैन	17. उज्जैन	6. उज्जैन	25. बड़नगर 26. महिदपुर 27. खाचरोद 28. नागदा	87. तराना 88. उन्हेल 89. माकडोन
	18 नीमच		29. नीमच	90. मनासा 91. रामपुरा

				92. जावद 93. जीरन 94. रतनगढ़ 95. सिंगोली 96. डिकेन 97. कुकड़ेश्वर 98. नयागांव 99. अठाना 100. सरवनिया महाराज
	19. देवास	7. देवास		101. कन्नौद 102. सोनकच्छ 103. खातेगांव 104. हाटपिपल्या 105. बागली 106. भौरासा 107. करनावद 108. काटाफोड़ 109. लोहारदा 110. सतवास 111. टोंकखुर्द 112. पिपलरंवा 113. नेमावर
	20. शाजापुर		30. शाजापुर 31. शुजालपुर	114. मक्सी 115. अकोदिया 116. पोलायकलां 117. पानखेडी
	21. आगर		32. आगर	118. नलखेड़ा 119. बडौद 120. कानड़ 121. सुसनेर 122. सोयतकलां 123. बड़ागांव
	22. रतलाम	8. रतलाम	33. जावरा	124. ताल 125. सैलाना 126. आलोट 127. नामली 128. बड़ावदा 129. पिपलौदा 130. धामनौद
	23. मंदसौर		34. मंदसौर	131. शामगढ़ 132. सीतामऊ 133. पिपल्यामंडी 134. नारायणगढ़ 135. मल्हारगढ़ 136. भानपुरा 137. नगरी 138. गरोठ 139. सुवासरा 140. भैंसोदा मंडी

5. भोपाल	24. भोपाल	9. भोपाल	35. बैरसिया	
	25. सीहोर		36. सीहोर 37. आष्टा	141. इछावर 142. बुदनी 143. जावर 144. नसरूल्लागंज 145. रेहटी 146. कोठरी 147. शाहगंज
	26. रायसेन		38. रायसेन 39. बेगमगंज 40. मण्डीदीप	148. औबेदुल्लागंज 149. सुल्तानपुर 150. बरेली 151. बाड़ी 152. सांची 153. उदयपुरा 154. सिलवानी 155. गैरतगंज
	27. विदिशा		41. विदिशा 42. गंज बासौदा 43. सिरोंज	156. कुरवाई 157. लटेरी 158. शमशाबाद
	28. राजगढ़		44. राजगढ 45. नरसिंहगढ़ 46. सारंगपुर 47. ब्यावरा	159. जीरापुर 160. कुरावर 161. खिलचीपुर 162. तलेन 163. बोड़ा 164. खुजनेर 165. पचोर 166. सुठालिया 167. माचलपुर 168. छापीहेड़ा
6. नर्मदापुरम्	29. होशंगाबाद		48. होशंगाबाद 49. इटारसी 50. सिवनीमालवा 51. पिपरिया	169. बाबई 170. सोहागपुर 171. बनखेड़ी
	30. हरदा		52. हरदा	172. टिमरनी 173. खिड़किया 174. सिराली*
	31. बैतूल		53. बैतूल 54. आमला 55. सारणी 56. मुलताई	175. बैतूल बाजार 176. भैंसदेही 177. आठनेर 178. चिचोली 179. घोड़ाडोंगरी* 180. शाहपुर*
7. सागर	32. सागर	10. सागर	57. बीना इटावा 58. खुरई 59. गढ़ाकोटा 60. रेहली 61. देवरी 62. मकरोनिया बुजुर्ग	181. राहतगढ़ 182. बंडा 183. शाहपुर 184. शाहगढ 185. मालथौन* 186. बांदरी* 187. बिलहरा* 188. सुरखी*

	33. दमोह		63. दमोह 64. हटा	189. तेंदुखेड़ा 190. पथरिया 191. हिन्डोरिया 192. पटेरा
	34. पन्ना		65. पन्ना	193. अमानगंज 194. देवेन्द्र नगर 195. अजयगढ़ 196. ककरहटी 197. पवई 198. गुन्नौर*
	35. छतरपुर		66. छतरपुर 67. नौगांव 68. महाराजपुर	199. धुवारा 200. सटई 201. बारीगढ़ 202. बिजावर 203. गढ़ीमल्हरा 204. बक्सवाहा 205. चंदला 206. बड़ामल्हरा 207. हरपालपुर 208. लवकुशनगर 209. खजुराहो 210. राजनगर
	36. टीकमगढ़		69. टीकमगढ़	211. बल्देवगढ़ 212. खरगापुर 213. पलेरा 214. जतारा 215. लिधोराखास 216. बड़ागांव 217. कारी
	37. निवाड़ी			218. निवाड़ी 219. पृथ्वीपुर 220. जैरोनखालसा 221. तरीचरकलां 222. ओरछा
8. रीवा	38. रीवा	11. रीवा		223. बैंकुंठपुर 224. मउगंज 225. त्यौंथर 226. हनुमना 227. चाकघाट 228. गोविन्दगढ. 229. नईगढ़ी 230. सिरमौर 231. मनगवां 232. सेमरिया 233. गुढ़ 234. डभौरा*
	39. सीधी		70. सीधी	235. चुरहट 236. रामपुरनेकिन 237. मझोली
	40. सिंगरौली	12.सिंगरौली		

	41. सतना	13. सतना	71. मैहर	238. नागौद 239. बिरसिंहपुर 240. जैतवारा 241. कोटर 242. कोठी 243. अमरपाटन 244. रामपुर–बघेलान 245. उचेहरा 246. चित्रकूट 247. न्यू रामनगर
9. शहडोल	42. शहडोल		72. शहडोल 73. धनपुरी	248. बुढ़ार 249. ब्यौहारी 250. जयसिंहनगर 251. खाण्ड 252. बकहो
	43. अनूपपुर		74. अनूपपुर 75. कोतमा 76. पसान 77. बिजूरी	253. जैतहरी 254. अमरकंटक 255. वनगवां (राजनगर) 256. डोला 257. डूमरकछार
	44. उमरिया		78. उमरिया 79. पाली	258. चंदिया 259. नौरोजाबाद 260. मानपुर
	45. डिण्डोरी			261. डिण्डोरी 262. शाहपुरा
10. जबलपुर	46. जबलपुर	14. जबलपुर	80. पनागर 81. सिहोरा	263. बरेला 264. भेड़ाघाट 265. शाहपुरा 266. पाटन 267. मझौली 268. कटंगी
	47. कटनी	15. मुड़वारा कटनी		269. बरही 270. कैमोर 271. विजयराधवगढ़
	48. बालाघाट		82. बालाघाट 83. वारासिवनी 84. मलाजखंड	272. कटंगी 273. बैहर 274. लांजी
	49 छिन्दवाड़ा	16. छिंदवाड़ा	85. पांढुर्ना 86. जुन्नारदेव जामई) 87. डोगर परासिया 88. दमुआ 89. चौरई 90. अमरवाड़ा 91. सौंसर	275. हर्रई 276. लोधीखेड़ा 277. न्यूटन चिखली 278. चांदामेटा बुटारिया 279. मोहगांव 280. बडकुही 281. पिपलानारायणवार 282. बिछुआ 283. चांद
	50 नरसिंहपुर		92. नरसिंहपुर	284. तेंदूखेड़ा

			93. गाडरवारा 94. करेली 95. गोटेगांव	285. सालीचौका 286. सांईखेडा 287. चीचली
	51. सिवनी		96. सिवनी	288. लखनादौन 289. बरघाट 290. छपारा 291. केवलारी*
	52. मंडला		97. मंडला 98. नैनपुर	292. बम्हनीबंजर 293. निवास 294. बिछिया

नगर पालिक निगम	**16**
नगरपालिका परिषद	**98**
नगर परिषद	**294**
योग	**408**

*नव गठित नगर परिषद्।

परिशिष्ट–तीन (एक)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्त वर्ष 2018–19 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्यशीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वित्त वर्ष 2018–19 का बजट प्रावधान	व्यय दिनांक 31.03. 2019 तक	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
				राजस्व (Revenue)			
1	22	2217	1263	दीनदयाल अन्त्योदय योजना (NULM)	105.00	91.53	13.47
2	64	2217	1264	National River Conservation Plan (NRCP)	0.00	0.00	0.00
4	22	2217	7706	स्वच्छ भारत अभियान	315.00	101.83	213.17
5	22	2217	1238	Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT)	2286.14	957.75	1328.39
6	22	2217	1237	Hosing For All	4940.27	3444.60	1495.67
7	64	2217	6221	UIDSSMT	5.00	1.35	3.65
8	64	2217	7146	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना	77.00	22.80	54.20
9	64	2217	7145	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	91.00	6.51	84.49
10	64	2217	7144	मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन	16.00	8.42	7.58
11	22	2217	7056	Fire Services	20.00	16.68	3.32
12	22	2217	7147	लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन	0.00	0.00	0.00
13	22/64	2217	7357	झीलों और तालाबों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	0.00	0.00	0.00
14	22/64	2217	7029	राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंधन संस्थान	0.60	0.54	0.06
15	22	2217	6022	Mass Rapid Transport system survey	10.00	9.00	1.00
17	22/64	2217	7039	शहरी सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
18	22	2217	5726	MP Urban infarstucture fund	1.00	0.00	1.00
19	22	2217	8163	नगर विकास योजना	0.00	0.00	0.00
20	22	2217	7358	शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्द्धन योजना	0.10	0.00	0.10
21	22	2217	6047	प्रशिक्षण	0.20	0.18	0.02
22	22/64	2217	7172	पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों की कल्याण योजना (अधोसंरचना विकास)	0.00	0.00	0.00

23	22	2217	0179	सफाई कामगारों के लिये समूह बीमा योजना	0.65	0.58	0.07
26	22	2217	7704	Dedicated Urban Transport Fund (DUTF)	36.60	30.18	6.42
27	64	2217	7707	मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना	29.75	29.75	0.00
28	64	2217	7709	मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना	28.75	25.87	2.88
29	22	2217	2045	शहरी गरीबों को उपलब्ध कराये जाने वाले आवास के हितग्राही अंश में राज्य सरकार का ब्याज अनुदान	15.00	1.58	13.42
30	64	2217	1425	पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क के अधिभार से नगरीय निकायों द्वारा अथवा उनकी ओर से लिये गये ऋणों/ब्याज का प्रतिसंदाय	390.79	390.08	0.71
31	22	2217	0681	रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी	5.00	0.90	4.10
33	22	2217	1947	रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास, अपीलीय अधिकरण	5.00	5.00	0.00
34	22	2217/4217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था	149.98	105.13	44.85
35	22	2215	1249	प्रदेश की जलमल निकासी योजनाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण कार्य	20.00	6.00	14.00
36	22	2217	2288	नगरीय क्षेत्रों में तीर्थ यात्री कर को समाप्त कर क्षतिपूर्ति अनुदान	2.00	0.82	1.18
37	22	2217	5373	युवा स्वाभिमान योजना	50.00	10.00	40.00
				Total	**8600.83**	**5267.08**	**3293.75**
पूंजीगत (Capital)							
1	22	4217	7705	Smart City	600.00	245.00	355.00
2	22/64	2217/ 4217/ 6217	7336	M.P. Urban Services Improvement Programme (MPUSIP) (EAP) (ADB)	400.00	244.31	155.69
3	22/64	4217/ 6217	1262	M.P.Urban Sanitation and Environment Sector Project (MPUSEP)-EAP (KFW)	60.00	43.00	17.00
4	22	4217	0852	दीनदयाल रसोई योजना	0.00	0.00	0.00
5	22	4217/ 6217	2043	Metro Rail	201.00	100.00	101.00
36	22	4217/ 6217	7711	M.P.Urban Development Project (MPUDP) (World Bank)	200.00	100.00	100.00
39	22/64	2217/ 4217	6440	शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण (GEF)	5.00	2.75	2.25
				Total	**1466.00**	**735.06**	**730.94**
				Grand Total	**10066.83**	**6002.14**	**4024.69**

परिशिष्ट–तीन (दो)

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास
वित्त वर्ष 2018–19 का बजट

(राशि करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	मुख्यशीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	बजट प्रावधान वर्ष 2018–19	व्यय दिनांक 31.03.2019 तक व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व (Revenue)							
1	64	2217	1239	14वां वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	919.44	919.44	0.00
2	64	2217	1325	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार सामान्य अनुपालन अनुदान	260.91	0.00	260.91
3	22	2217	5831	म.प्र.सफाई कामगार आयोग का गठन (वेतन भत्ते)	0.67	0.29	0.38
4	22	2217	6148	नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय (वेतन भत्ते)	12.27	12.24	0.03
5	22	2217	6286	लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान	0.00	0.00	0.00
6	22	2217	7300	स्व.सुशील चंद्र वर्मा परस्कार योजना	0.00	0.00	0.00
7	22	2217	7400	सिंहस्थ मेले की व्यवस्था के लिये	0.00	0.00	0.00
8	22	2217	7406	म.प्र. राज्य केश शिल्पी मण्डल	0.30	0.22	0.08
9	22	2217	7407	म.प्र.राज्य वस्त्र स्वच्छता मण्डल	0.26	0.03	0.23
10	22	2217	7408	म.प्र.राज्य सिलाई कला मण्डल	0.25	0.19	0.06
11	64	2215	2181	नगरीय जल प्रदाय योजनाएं (जल संधारण)	36.87	33.18	3.69
12	64	3604	6062	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति	10.00	0.00	10.00
13	64	3604	6063	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान	10.00	0.00	10.00
14	64	3604	6602	स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	6.67	2.93	3.74
15	64	3604	7333	निर्यातकर – क्षतिपूर्ति	130.75	104.60	26.15
16	64	3604	7398	नगरीय निकायों के लिए स्वच्छता पुरस्कार योजना	2.18	0.00	2.18
17	64	3604	7668	स्थानीय निकायों को मूलभत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	341.88	309.22	32.66
18	64	3604	8017	वाहनों पर कर से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिये अनुदान	286.85	266.08	20.77
19	64	3604	8018	प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण	3648.00	3648.00	0.00
20	64	3604	8860	वेटकर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	1156.90	1055.42	101.48
21	64	3604	9436	यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	90.00	61.12	28.88

22	64	3604	4035	पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तांतरण	96.21	96.21	0.00
25	22	3604	1240	दुर्घटना में मृत सफाई कर्मियों को क्षतिपूर्ति अनुदान	0.0022	0.00	0.00
				योग	**7010.41**	**6509.17**	**501.24**
				पूंजीगत (Capital)			
26	64	6217	5728	पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज	12.43	12.43	0.00
27	22	4217	3115	भू–अर्जन हेतु मुआवजा	0.01	0.00	0.01
				योग	**12.44**	**12.43**	**0.01**
				महायोग	**7022.85**	**6521.60**	**501.25**

परिशिष्ट–चार

अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाऐं

(राशि रूपये करोड में)

क्र.	निकाय का नाम	जल प्रदाय	सीवरेज	स्टार्म वाटर ड्रेन	लोक परिवहन	हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास	कुल
1	इन्दौर	593.72	273.35	0	40	24.99	**932.06**
2	भोपाल	418.37	442	139.8	40	25	**1,065.17**
3	जबलपुर	143.34	362.31	0	30	17.28	**552.93**
4	ग्वालियर	320.65	381.3	24.41	25	10	**761.36**
5	उज्जैन	0	402.01	0	15	7.5	**424.51**
6	देवास	25.15	0	10	10	5	**50.15**
7	मुरैना	0	128.07	0	8	2	**138.07**
8	सतना	41.5	191.56	14.47	8	5	**260.53**
9	सागर	0	299.1	0	10	4.5	**313.6**
10	रतलाम	0	123.85	12.09	8	2.99	**146.93**
11	रीवा	35.58	199.37	20	10	3.12	**268.07**
12	कटनी	24.1	96.5	0	10	3.02	**133.62**
13	सिंगरौली	41.51	110.46	0	8	3	**162.97**
14	छिंदवाड़ा	73.56	0	0	6	2.5	**82.06**
15	बुरहानपुर	0	88	0	6	2.01	**96.01**
16	खण्डवा	51.58	0	0	6	2	**59.58**
17	भिण्ड	0	79.5	0	4	2	**85.5**
18	गुना	29.88	81.09	0	4	2.5	**117.47**
19	शिवपुरी	15.4	0	0	4	2.5	**21.9**
20	विदिशा	0	91	0	6	1.99	**98.99**
21	छतरपुर	61.95	0	0	0	1.75	63.7
22	मंदसौर	55.26	0	5.7	0	1.99	62.95
23	खरगौन	0	47.46	0	0	1.5	48.96
24	नीमच	16.18	62.03	0	0	1.98	80.19
25	पीथमपुर	84.7	0	0	0	2	86.7
26	दमोह	0	0	13.69	0	2.23	15.92
27	होशंगाबाद	47.67	0	9.97	0	1.9	59.54
28	सीहोर	12.83	67	0	0	1.5	81.33
29	बैतूल	31.92	0	0	0	1.5	33.42
30	सिवनी	0	0	0	0	1.5	1.5
31	दतिया	18.66	55.24	0	0	1	74.9
32	नागदा	12.84	0	12.88	0	1.23	26.95
33	डबरा	46.35	0	0	0	1	47.35
34	ओंकारेश्वर	0	0	0	3.89	1	4.89
	योग	**2,202.70**	**3,581.20**	**263.01**	**261.89**	**150.98**	**6,459.78**

योजनांतर्गत प्रगति

क्र.	निकाय का नाम	कार्य का नाम	परियोजना की राशि (रू. करोड में)	अद्यतन स्थिति
1	इन्दौर	जल प्रदाय पैकेज–1 (इन्दौर)	280.00	कार्य प्रगति पर
		जल प्रदाय पैकेज–2 (इन्दौर)	287.17	कार्य प्रगति पर
		जल प्रदाय पैकेज–3 (इन्दौर)	26.55	कार्य पूर्ण
		सीवरेज पैकेज–1 (इन्दौर)	183.60	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज पैकेज–2 (इन्दौर)	89.75	कार्य प्रगति पर
2	भोपाल	जल प्रदाय (भोपाल एक्सटेंडेड ऐरिया)	263.71	कार्य प्रगति पर
		जल प्रदाय (कोलार–ग्रेविटी मेन)	136.69	कार्य प्रगति पर
		जल प्रदाय (भौंरी)	17.97	कार्य पूर्ण
		सीवरेज (भोज वेटलैड)	145.00	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज (शाहपुरा झील)	135.00	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज (कोलार)	162.00	कार्य प्रगति पर
3	जबलपुर	जल प्रदाय	143.34	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	362.31	कार्य प्रगति पर
4	ग्वालियर	जल प्रदाय पैकेज–1 (रॉ वाटर)	42.30	कार्य प्रगति पर
		जल प्रदाय पैकेज–2	278.35	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज पैकेज–1 (मुरार)	207.97	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज पैकेज–2 (लस्कर)	173.33	कार्य प्रगति पर
5	उज्जैन	सीवरेज	402.01	कार्य प्रगति पर
6	देवास	जल प्रदाय	25.15	कार्य प्रगति पर
7	मुरैना	सीवरेज	128.07	कार्य प्रगति पर
8	सतना	जल प्रदाय	41.50	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	191.56	कार्य प्रगति पर
9	सागर	सीवरेज	299.10	कार्य प्रगति पर
10	रतलाम	सीवरेज	123.85	कार्य प्रगति पर
11	रीवा	जल प्रदाय	35.58	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	199.37	कार्य प्रगति पर
12	कटनी	जल प्रदाय	24.10	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	96.50	कार्य प्रगति पर
13	सिंगरौली	जल प्रदाय	41.51	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	110.46	कार्य प्रगति पर
14	छिंदवाड़ा	जल प्रदाय	73.56	कार्य प्रगति पर
15	बुरहानपुर	सीवरेज	88.00	कार्य प्रगति पर
16	खण्डवा	जल प्रदाय पैकेज–1	12.6	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–2	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–3	14.49	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय पैकेज–4	10.00	कार्य प्रगति पर

17	भिण्ड	सीवरेज	84.16	कार्य प्रगति पर
18	गुना	जल प्रदाय	29.88	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	81.09	कार्य प्रगति पर
19	शिवपुरी	जल प्रदाय	15.13	कार्य प्रगति पर
20	विदिशा	सीवरेज	91.00	कार्य प्रगति पर
21	छतरपुर	जल प्रदाय	75.45	कार्य प्रगति पर
22	मंदसौर	जल प्रदाय	55.26	कार्य प्रगति पर
23	खरगौन	सीवरेज	61.50	कार्य प्रगति पर
24	नीमच	जल प्रदाय	16.18	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	62.03	कार्य प्रगति पर
25	पीथमपुर	जल प्रदाय	84.7	कार्य प्रगति पर
26	होशंगाबाद	जल प्रदाय	43.34	कार्य प्रगति पर
27	सीहोर	जल प्रदाय	12.83	कार्य पूर्ण
		सीवरेज	66.00	कार्य पूर्ण
28	बैतूल	जल प्रदाय	24.99	कार्य पूर्ण
		जल प्रदाय (बेराज निर्माण)	6.93	कार्य पूर्ण
29	दतिया	जल प्रदाय	18.66	कार्य प्रगति पर
		सीवरेज	55.24	कार्य प्रगति पर
30	नागदा	जल प्रदाय	12.84	कार्य प्रगति पर
31	डबरा	जल प्रदाय	44.62	कार्य प्रगति पर

1. हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास की 32 शहरों में कुल 92 परियोजनाऐं स्वीकृत हैं जिनमें से 14 शहरों की 32 परियोजनाऐं पूर्ण हो गयीं हैं एवं शेष परियोजनाऐं प्रगतिरत हैं।
2. स्टार्म वॉटर एवं ड्रेन की 9 शहरों में कुल 23 परियोजनाऐं स्वीकृत हैं, जिनका कार्य प्रगतिरत है।
3. लोक परिवहन की 18 शहरों में 28 परियोजनाऐं स्वीकृत हैं जिनका कार्य प्रगतिरत है।

———————

यूआईडीएसएसएमटी अन्तर्गत नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	स.क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नगरपालिका, विदिशा	1	जल प्रदाय योजना	1557.52
		2	सीवरेज	218.00
		3	सड़क	73.58
2	नगरपालिका, इटारसी	4	जल प्रदाय योजना	1467.83
		5	सड़क	844.57
3	नगर परिषद्, बुदनी	6	जल प्रदाय योजना	194.60
		7	सड़क	504.20
		8	सीवरेज	195.05
4	नगर परिषद्, रेहटी	9	जल प्रदाय योजना	276.48
		10	सड़क	211.60
		11	सीवरेज	143.48
5	नगरपालिका, सीहोर	12	जल प्रदाय योजना	1454.52
6	नगरपालिका, ब्यावरा	13	जल प्रदाय योजना	709.47
7	नगरपालिका, सिरोंज	14	जल प्रदाय योजना	622.95
8	नगरपालिका, आष्टा	15	जल प्रदाय योजना	980.40
		16	सड़क	541.28
9	नगर परिषद्, नसरूल्लागंज	17	जल प्रदाय योजना	488.96
		18	सड़क	365.39
10	नगरपालिका, होशंगाबाद	19	जल प्रदाय योजना	1615.26
11	नगरपालिका, हरदा	20	जल प्रदाय योजना	1735.00
12	नगरपालिका, गढ़ाकोटा	21	जल प्रदाय योजना	596.36
		22	सडक	143.76
13	नगरपालिका, दमोह	23	जल प्रदाय योजना	874.20
		24	जीर्ण–शीर्ण पाईप लाईन को बदलना	62.35
		25	गजानन वितरण नलिका का उन्नयन	130.17
		26	तालाब संरक्षण	53.00
		27	सडक	418.97
		28	जलप्रदाय फेस– 2	3715.95
14	नगरपालिका, टीकमगढ़	29	जल प्रदाय योजना	983.18
15	नगरपालिका, रहली	30	जल प्रदाय योजना	602.35
16	नगरपालिका, छतरपुर	31	जल प्रदाय योजना	1593.80
17	नगरपालिका, पन्ना	32	जल प्रदाय योजना	1808.37

18	नगर निगम सागर	33	सीवरेज	7661.55
19	नगरपालिका, जावरा	34	जल प्रदाय योजना	663.00
20	नगर निगम, रतलाम	35	जल प्रदाय योजना	3265.10
21	नगर निगम, देवास	36	जल प्रदाय योजना	5837.00
		37	जल प्रदाय योजना–2	3975.00
		38	सीवरेज	14062.53
		39	सड़क	1254.50
22	नगरपालिका, शुजालपुर	40	जल प्रदाय योजना	1745.32
		41	सड़क	499.00
23	नगरपालिका, मंदसौर	42	जलस्त्रोत उन्नयन	1552.45
		43	जलप्रदाय	5636.37
24	नगरपालिका, आगर	44	जल प्रदाय योजना	1005.80
25	नगरपालिका, शाजापुर	45	जल प्रदाय योजना	996.00
26	नगर निगम, खण्डवा	46	जल प्रदाय योजना	10672.30
27	नगरपालिका, सनावद	47	जल प्रदाय योजना	729.68
28	नगरपालिका, मलाजखंड	48	जल प्रदाय योजना	525.42
		49	सड़क एवं नाली	829.43
		50	नाला निर्माण	27.60
29	नगर निगम, कटनी	51	जल प्रदाय योजना	4080.95
		52	सड़क	4567.00
30	नगरपालिका, डबरा	53	जल प्रदाय योजना	1441.84
		54	जल स्त्रोत उन्नयन	1112.10
31	नगर निगम, ग्वालियर	55	सीवरेज,	6650.00
32	नगरपालिका, शिवपुरी	56	जल प्रदाय योजना	5964.66
		57	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	649.76
33	नगर निगम, रीवा	58	जल प्रदाय योजना	1427.87
34	नगरपालिका, पार्ढुना	59	जल प्रदाय योजना	4611.62
		60	सड़क फेस– 2	2063.75
		61	सड़क	2054.76
35	नगर निगम, छिन्दवाड़ा	62	जल प्रदाय योजना	5732.87
		63	सड़क	5352.70
		64	सड़क एवं नाली फेस– 2	2736.76
		65	आर.यू.बी.	1245.82
		66	तालाब संरक्षण	382.87
36	नगरपालिका, डोंगर परासिया	67	जल प्रदाय योजना	3013.33
		68	सड़क	1098.03
		69	सड़क एवं नाली	1206.37
37	नगरपालिका, सौंसर	70	जल प्रदाय योजना	1930.22
		71	सड़क	2332.73

38	नगर परिषद्, पिपलानारायणवार	72	जल प्रदाय योजना	81.20
		73	जल प्रदाय योजना फेस–2	773.34
		74	सड़क	408.09
39	नगरपालिका, चौरई	75	जल प्रदाय योजना	886.38
		76	सड़क	189.17
40	नगरपालिका, पिपरिया	77	जल प्रदाय योजना	2408.11
		78	सड़क	385.46
41	नगरपालिका, बैतुल	79	जल प्रदाय योजना	3262.07
42	नगरपालिका, मुलताई	80	जल प्रदाय योजना	1929.60
		81	सड़क	723.34
43	नगर परिषद्, खुरई	82	जल प्रदाय योजना	3662.82
		83	सड़क	457.60
44	नगरपालिका, बीना	84	जल प्रदाय योजना	3875.50
45	नगरपालिका, सीधी	85	जल प्रदाय योजना	2118.55
46	नगर परिषद्, खिरकिया	86	जल प्रदाय योजना	1225.70
47	नगरपालिका, महिदपुर	87	जल प्रदाय योजना	1683.75
48	नगर परिषद्, जुन्नारदेव	88	सड़क	345.96
		89	जलप्रदाय	2432.07
49	नगरपालिका, अमरवाड़ा	90	जलप्रदाय	1609.30
		91	सड़क	424.16
		92	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	128.80
50	नगर निगम, सतना	93	जलप्रदाय	8087.57
51	नगर पालिका, सबलगढ़	94	सड़क	459.10
		95	ड्रेनेज	980.94
52	नगरपालिका, करेली	96	सड़क	444.47
		97	जलप्रदाय	3550.77
53	नगरपालिका, आमला	98	सड़क	477.66
54	नगरपालिका, दमुआ	99	सड़क	652.52
		100	सड़क एवं नाली	611.30
		101	जलप्रदाय	1479.19
55	नगरपालिका, मनावर	102	सड़क	475.15
		103	जलप्रदाय	1125.60
56	नगरपालिका, वारासिवनी	104	जलप्रदाय	2232.00
		105	सड़क	810.96
57	नगरपालिका, अनूपपुर	106	जलप्रदाय	1521.22
58	नगरपालिका, बेगमगंज	107	जलप्रदाय	1392.22
59	नगर परिषद्, चुर्हट	108	सड़क	232.10
60	नगर परिषद्, हर्रई	109	सड़क	177.27
		110	जलप्रदाय	873.87
		111	सड़क एवं नाली	324.93

61	नगर परिषद्, चाँदामेटा	112	सड़क	321.30
		113	जलप्रदाय	1432.20
62	नगर परिषद्, चित्रकुट	114	जलप्रदाय	1319.68
63	नगर परिषद्, बरकुही	115	जलप्रदाय	1211.82
		116	सड़क	476.42
64	नगर परिषद्, शमशाहबाद	117	जलप्रदाय	882.47
65	नगर परिषद्, बैकुंठपुर	118	जलप्रदाय	732.75
66	नगर परिषद्, तेंदुखेड़ा (नरसिंहपुर)	119	जलप्रदाय	1028.64
67	नगर परिषद्, शाहगंज	120	जलप्रदाय	436.45
		121	सड़क	477.96
68	नगर परिषद्, शामगढ़	122	जलप्रदाय	2374.00
69	नगर परिषद्, हिन्डोरिया	123	जलप्रदाय	1138.34
70	नगर परिषद्, आठनेर	124	सड़क	217.90
		125	जलप्रदाय	1309.00
71	नगर पालिका, गुना	126	जलप्रदाय	7140.42
72	नगर पालिका, राजगढ़	127	जलप्रदाय	1907.76
73	नगर परिषद्, राजपुर	128	सड़क	489.00
74	नगर परिषद्, मण्डलेश्वर	129	जलप्रदाय	799.29
		130	सड़क	659.08
75	नगर पालिका, सिवनी	131	जलप्रदाय	4735.80
76	नगर परिषद्, जीरन	132	जलप्रदाय	549.92
77	नगर परिषद्, मल्हारगढ़	133	जलप्रदाय	548.92
78	नगर परिषद्, पिपल्यामण्डी	134	जलप्रदाय	968.72
		135	सड़क	487.50
79	नगर परिषद्, रामपुरा	136	जलप्रदाय	1956.37
80	नगर परिषद्, सुवासरा	137	जलप्रदाय	1764.30
81	नगर परिषद्, भेड़ाघाट	138	सड़क	603.40
82	नगर परिषद्, सिंगौली	139	सड़क	264.71
83	नगर परिषद्, लोधीखेड़ा	140	सड़क	417.33
		141	जलप्रदाय	611.76
84	नगर परिषद्, सोनकच्छ	142	सड़क	499.00
85	नगर परिषद्, मोहगांव	143	सड़क	462.18
		144	जलप्रदाय	848.87
86	नगर परिषद्, पिपलरवां	145	सड़क	364.70
		146	जलप्रदाय	964.22
87	नगर परिषद्, न्यूटन चिखली	147	सड़क	604.25
		148	सड़क एवं नाली	163.30
		149	जलप्रदाय	1055.90
88	नगर परिषद्, चंदेरी	150	सड़क	614.85

89	नगर परिषद्, मुंगावली	151	जलप्रदाय	1070.40
		152	सड़क	550.00
90	नगर परिषद्, कोलारस	153	सड़क	1234.03
91	नगर परिषद्, पृथ्वीपुर	154	सड़क	504.80
92	नगर पालिका, पोरसा	155	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	236.47
		156	जलप्रदाय	959.25
93	नगर निगम, सिंगरौली	157	जलप्रदाय	7795.24
94	नगर पालिका, कोलार	158	जलप्रदाय	5210.42
95	नगर पालिका, बड़वाह	159	जलप्रदाय	1704.96
96	नगर पालिका, मण्डला	160	सड़क एवं नाली	133.22
97	नगर पालिका, चाचौड़ा–बीनागंज	161	सड़क एवं नाली	134.27
98	नगर परिषद्, ईसागढ़	162	सड़क	629.40
99	नगर परिषद्, चिचौली	163	सड़क	200.00
100	नगर पालिका, देवरी	164	जलप्रदाय	2301.68
101	नगर पालिका, बालाघाट	165	जलप्रदाय	4283.00
102	नगर पालिका, कोतमा	166	जलप्रदाय	1799.58
103	नगर पालिका, नीमच	167	जलस्त्रोत उन्नयन	1545.98
104	नगर परिषद्, लांजी	168	सड़क	815.88
		169	जलप्रदाय	1825.00
105	नगर परिषद्, लखनादौन	170	सड़क	519.37
106	नगर परिषद्, बैहर	171	सड़क	405.61
107	नगर परिषद्, सतवास	172	जलप्रदाय	1397.40
108	नगर परिषद्, बाड़ी	173	जलप्रदाय	785.60
109	नगर परिषद्, सिरमौर	174	जलप्रदाय	980.00
110	नगर परिषद्, भैंसदेही	175	सड़क	483.00
111	नगर परिषद्, पाटन	176	सड़क	329.60
112	नगर परिषद्, डही	177	जलप्रदाय	931.80
113	नगर परिषद्, बल्देवगढ़	178	जलप्रदाय	1264.80
114	नगर परिषद्, शाहपुरा	179	जलप्रदाय	1368.66
कुल योग				**284936.37**

परिशिष्ट–छः

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजनांतर्गत स्वीकृत 153 योजनाओं की सूची

(राशि रू. लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	जनसंख्या 2011	योजना की स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	नगर परिषद् राजगढ़ (धार)	20668	898.25
2	नगर परिषद् बदनावर	20917	952.31
3	नगर परिषद् मुंदी	12889	578.92
4	नगर परिषद् पंधाना	13694	998.00
5	नगर परिषद् भीकनगांव	16217	760.93
6	नगर परिषद् बाबई	16741	951.62
7	नगर परिषद् खिलचीपुर	18928	999.36
8	नगर परिषद् गुढ़	14608	793.00
9	नगर परिषद् ताल	14913	777.01
10	नगर परिषद् टोंकखुर्द	7979	484.15
11	नगर परिषद् करनावद	11266	950.22
12	नगर परिषद् डिण्डोरी	21323	843.00
13	नगर पालिका धार	93917	2174.54
14	नगर परिषद् कुक्षी	28331	1846.08
15	नगर पालिका बड़वानी	55504	1990.05
16	नगर पालिका नीमच	128561	3367.75
17	नगर पालिका मण्डला	55133	2471.17
18	नगर पालिका गंजबासौदा	78289	4216.00
19	नगर पालिका रायसेन	44162	3317.60
20	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2262.95
21	नगर परिषद् नौरोजाबाद	21883	1581.00

22	नगर परिषद् उन्हेल	14774	1116.00
23	नगर पालिका अशोकनगर	81828	1326.71
24	नगर परिषद् खनियाधाना	15877	566.00
25	नगर परिषद् नामली	9774	595.41
26	नगर पालिका शहडोल	86681	3614.19
27	नगर परिषद् तरीचरकलां	7674	1493.03
28	नगर परिषद् निवाडी	23724	2103.40
29	नगर पालिका, नरसिंहपुर	59966	3217.95
30	नगर परिषद् सांवेर	16150	851.28
31	नगर परिषद् ओरछा	11511	578.23
32	नगर परिषद् सिंगौली	9523	891.42
33	नगर परिषद् बड़ौनी	10309	456.36
34	नगर पालिका पीथमपुर	126200	2766.99
35	नगर पालिका सिवनीमालवा	30100	2286.19
36	नगर पालिका बैरसिया	30951	1745.98
37	नगर परिषद् औबेदुल्लागंज	22845	1343.63
38	नगर पालिका सारंगपुर	37435	1353.08
39	नगर परिषद् त्यौंथर	17039	1046.86
40	नगर परिषद् हनुमना	16771	1035.34
41	नगर परिषद् पाली	22324	1169.33
42	नगर परिषद् पथरिया	21026	2228.20
43	नगर पालिका नौगांव	40580	2780.67
44	नगर पालिका पलेरा	17493	1268.93
45	नगर परिषद् खाचरौद	34191	1628.63
46	नगर परिषद् जावद	17129	1108.26
47	नगर पालिका सबलगढ़	40333	2120.03
48	नगर पालिका अम्बाह	47177	2721.45

49	नगर परिषद् सरदारपुर	7293	405.49
50	नगर परिषद् चाकघाट	10678	453.36
51	नगर परिषद् सेमरिया	13446	808.48
52	नगर परिषद् शाहगढ़	16300	895.45
53	नगर परिषद् बड़ावदा	8700	691.55
54	नगर परिषद् तराना	24908	799.20
55	नगर परिषद् रतनगढ़	7994	563.28
56	नगर परिषद् मनासा	26551	780.85
57	नगर परिषद् बड़ागांव	7217	964.40
58	नगर परिषद् बड़ौद	13834	844.38
59	नगर परिषद् नलखेड़ा	16690	480.33
60	नगर पालिक निगम, ग्वालियर	1054420	480.00
61	नगर परिषद् बैहर	16651	84.24
62	नगर परिषद् ओंकारेश्वर	10063	720.14
63	नगर परिषद् सुल्तानपुर	10268	787.35
64	नगर परिषद् चुरहट	14962	776.14
65	नगर परिषद् बण्डा	30966	547.83
66	नगर परिषद् नारायणगढ़	10191	425.90
67	नगर परिषद् धरमपुरी	16363	911.35
68	नगर परिषद् मानपुर	7621	488.88
69	नगर परिषद् हातौद	10425	648.67
70	नगर परिषद् राऊ	36055	932.77
71	नगर परिषद् पलसूद	10113	676.26
72	नगर परिषद् जीरापुर	21724	876.35
73	नगर पालिक निगम सागर	274556	133.38
74	नगर परिषद् भितरवार	19096	958.69
75	नगर परिषद्, रानापुर	12371	1955.01

76	नगर परिषद्, थांदला	15756	1368.13
77	नगर परिषद् महूँगांव	30012	1078.40
78	नगर परिषद्, अंजड़	26289	1095.01
79	नगर परिषद्, कुरवई	15487	1243.42
80	नगर पालिका मण्डीदीप	59677	1307.77
81	नगर परिषद् जयसिंहनगर	8233	1012.71
82	नगर परिषद् धनपुरी	45156	1645.82
83	नगर परिषद् गोविन्दगढ़	10547	1127.32
84	नगर परिषद, बिजुरी	32682	1686.10
85	नगर परिषद् अमानगंज	13886	2029.59
86	नगर परिषद् अकोदिया	11652	1129.64
87	नगर परिषद् सीतामऊ	14056	2146.68
88	नगर परिषद्, कन्नौद	17744	2002.64
89	नगर परिषद्, लखनादौन	17302	1592.39
90	नगर परिषद् शाहपुरा	13601	1283.15
91	नगर परिषद्, बामौर	32838	1500.41
92	नगर परिषद्, नरवर	19385	1001.62
93	नगर परिषद्, भाण्डेर	25204	1370.75
94	नगर पालिका चंदेरी	33081	1129.95
95	नगर परिषद् कुम्भराज	19707	1481.71
96	नगर परिषद्, चिचौली	9278	595.83
97	नगर परिषद् तलेन	10588	638.52
98	नगर परिषद् ब्यावरा	49093	939.79
99	नगर परिषद् छापीहेड़ा	8501	517.27
100	नगर परिषद् माचलपुर	9556	569.41
101	नगर परिषद्, बुधनी	16808	697.37
102	नगर परिषद् भानपुरा	21000	914.86

103	नगर परिषद् पिपलौदा	7302	448.25
104	नगर परिषद्, कानड़	10457	656.43
105	नगर परिषद्, भुआ बिछिया	10423	708.47
106	नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज	21785	964.12
107	नगर पालिका झाबुआ	36000	4762.66
108	नगर परिषद्, खेतिया	15739	2121.72
109	नगर पालिका विदिशा	155954	3355.91
110	नगर परिषद् सिलवानी	18623	1755.64
111	नगर परिषद्, बरेली	31579	2659.18
112	नगर परिषद्, नरसिंहगढ़	32229	2389.87
113	नगर परिषद्, सुठालिया	10596	1076.36
114	नगर परिषद्, बुढ़ार	19276	1535.93
115	नगर पालिक निगम रीवा	235654	2455.11
116	नगर परिषद्, मझौली	11907	1638.57
117	नगर परिषद् उचेहरा	18377	1414.32
118	नगर पालिका उमरिया	33102	1559.51
119	नगर पालिका दमोह	139415	2634.75
120	नगर परिषद् लवकुशनगर	22075	1481.00
121	नगर निगम रतलाम	264914	2392.99
122	नगर परिषद्, सोनकच्छ	16532	1076.08
123	नगर परिषद्, सोयतकलां	14471	1250.80
124	नगर परिषद् बैहर	16651	1042.31
125	नगर परिषद्, नैनपुर	22618	2123.69
126	नगर परिषद्, बरघाट	11700	1141.63
127	नगर परिशद्, गाडरवाड़ा	47000	2559.78
128	नगर परिषद्, गोटेगांव	38090	2337.76
129	नगर परिषद्, मौ	20147	2193.93

130	नगर परिषद्, इंदरगढ़	23045	2325.55
131	नगर परिषद् जोबट	11976	1251.92
132	नगर परिषद्, गैरतगंज	18184	1756.89
133	नगर परिषद्, इछावर	14582	1015.77
134	नगर परिषद्, नागौद	22568	1879.03
135	नगर पालिका बड़नगर	36438	2090.42
136	नगर परिषद् कोलारस	19781	1780.68
137	नगर परिषद्, नईगढ़ी	10404	751.05
138	नगर पालिका, गढ़ाकोटा	32726	627.28
139	नगर पालिका, खुरई	51108	228.80
140	नगर परिषद् भौरासा (पुनरीक्षित)	12166	711.68
141	नगर पालिका सीहोर	109118	251.05
142	नगर परिषद् बिछुआ	6678	519.64
143	नगर परिषद्, मुंगावली	26192	317.95
144	नगर परिषद्, कटंगी (पुनरीक्षित)	16143	1465.06
145	नगर परिषद्, लांजी	13782	1871.38
146	नगर परिषद् अमरकंटक	8416	1256.20
147	नगर परिषद् रामपुर बघेलान	13636	1304.90
148	नगर पालिका आष्टा	53184	1804.00
149	नगर परिषद् नसरूल्लागंज	23783	266.26
150	नगर पालिका, इटारसी	99300	1934.20
151	नगर परिषद्, उदयपुरा	18236	895.00
152	नगर परिषद्, ओरछा (फेस–2)	11511	353.51
153	नगर पालिका पांढुर्ना	45479	3894.13
		योग–	**209112.57**

परिशिष्ट–सात

एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं की अद्यतन स्थिति

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	निकाय का नाम	योजना लागत	मुक्त की गई राशि	भौतिक प्रगति
1	सेंधवा	2141.74	2064.00	कार्य पूर्ण।
2	डीकेन	558.20	538.00	कार्य पूर्ण।
3	पृथ्वीपुर	1450.44	1398.00	कार्य पूर्ण।
4.	दतिया	2225.90	1745.00	कार्य पूर्ण।
5	लटेरी	1052.04	825.00	कार्य पूर्ण।
6	महेश्वर	1187.00	930.00	कार्य पूर्ण।
7.	अलीराजपुर	1337.00	1337.00	कार्य पूर्ण।
8.	सीहोर बैराज	700.00	700.00	कार्य पूर्ण।
9.	गरोठ	1507.00	1507.00	कार्य पूर्ण।
10.	सैलाना	486.00	486.00	कार्य पूर्ण।
11.	ब्यौहारी	3100.00	3100.00	कार्य पूर्ण।
	योग–	**15745.32**	**14630.00**	